भारत डायनामिक्स लिमिटेड

BHARAT DYNAMICS LIMITED

पहुँच का विस्तार .... EXPANDING REACH

48 वाँ वार्षिक विवरण 48th Annual Report 2017-18

पहच का विस्तार ....

भारत डायनामिक्स लिमिटड अपनी स्थापना क 48 वर्षों स अब तक आतरिक अनसधान एव विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तातरण क माध्यम स सचलित प्रक्षपास्त्र और सबद्ध उपकरणों का विनिमाण करता आ रहा ह। आज बी डी एल, विश्व क तकनीकी रूप स उन्नत मिसाइल विनिमाताओ म स एक होन क साथ-साथ भारतीय रक्षा क्षत्र सहित मित्र दशों को मिसाइल व सबद्ध उपकरण का एक अग्रणी आपतिकता भी ह।

आग, बी डी एल इस बात क लिए भी प्रयासरत ह कि अपन अनसधान, विनिमाण और उत्पादन-क्षमताओ का विस्तार कर दश-विदश क सभावित ग्राहकों तक पहच जाए।

अनक्रमणिका

परिदृश्य

हमारा परिचय 01
बी डी एल क भतपर्व मख्य कायपालक 02
निगम सबधी सचना 03
निदशक मडल 04-07
अध्यक्ष की कलम से 08-13
हमार उत्पाद 14
हमारी रणनीति 16
वित्तीय विशषताए 18
दस वर्षों पर दृष्टिपात 19

अभिशासन

निदशक मडल की रिपोट 20
प्रबधन चचा एव विश्लषण 44
नगमिक अभिशासन पर रिपोट 51
सव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोट 61
सचना 111

वित्तीय विवरणिकाए

स्वतत्र लखापरीक्षकों की रिपोट 67
नियत्रक एव महालखापरीक्षक की रिपोट 73
तलन-पत्र 76
लाभ-हानि लखा 77
ईक्विटी म परिवतन का विवरण 78
नक़द प्रवाह विवरण 79
लखा नीतिया 80
वित्तीय विवरणिकाओ की अगभत टिप्पणियाँ 88

हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल), वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), भारी टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाता है।

कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित है। इसकी और दो नई इकाइयाँ इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और अमरावती जिला, महाराष्ट्र में बनाने की योजना है। पिछले चंद वर्षों से कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2018 तक कुल 3095 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2017-18 के दौरान रु.4576 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

उद्देश्य

संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना। वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।

मिशन

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र-प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।

बी डी एल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक

डॉ. बी डी नागचौधरी
अध्यक्ष
22-09-1970 से 20-09-1975

प्रो. एम जी के मेनन
अध्यक्ष
20.9.1975 से 30.12.1977

एवीएम वी एस नारायणन
पविसेमे, अविसेमे,विसेमे (नि.)
अध्यक्ष
06.10.1978 से 01.04.1980

डॉ. राजा रामन्ना
अध्यक्ष
30.01.1981 से 30.08.1982

डॉ. वी एस अरुणाचलम
अध्यक्ष
30.08.1982 से 09.09.1990

एवीएम एस जे दस्तूर (नि.)
प्रबंध निदेशक
22.09.1970 से 10.04.1974

ब्रिगेडियर जे पी अन्थोनी
प्रबंध निदेशक
11.04.1974 से 31.08.1977

विंग कमांडर वी एम चितले (नि.)
प्रबंध निदेशक
01.09.1977 से 30.09.1980

श्री ज़ेड पी मार्शल
प्रबंध निदेशक
01.10.1980 से 07.11.1988

एअर कमाडोर
आर गोपालस्वामी
अविसेमे, विसेमे (नि.)
प्रबंध निदेशक (1988-1990)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
10.09.1990 से 30.06.1994

कमाडोर एस राव, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01.07.1994 से 08.01.2000

श्री एस गोविंदराजन
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
09.01.2000 से 31.08.2000

श्री वी वी गंगाधर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01.09.2000 से 30.06.2002

श्री जी वी बी बी शर्मा
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
01.07.2002 से 23.07.2002

मेजर जनरल पी मोहनदास
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
24.07.2002 से 27.04.2005

मेजर जनरल रजनीश गोसाईं (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
28.04.2005 से 30.04.2008

कमाडोर पी के सामंता
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
01.05.2008 से 30.06.2008

मेजर जनरल रवि खेतरपाल
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01.07.2008 से 31.03.2012

श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01.04.2012 से 31.12.2014

निगम संबंधी सूचना

निदेशक मंडल

श्री वाराणसी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अश्वनी कुमार महाजन
सरकारी निदेशक

डॉ. जी सतीश रेड्डी
महानिदेशक (एम एस एस), डी आर डी ओ
सरकारी निदेशक
(दि. 1 मई, 2018 से)

श्री एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ

श्री वी गुरुदत्त प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)

श्री के दिवाकर
निदेशक (तकनीकी)

श्रीमती सुषमा वी दबक
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अजय पाण्डेय
स्वतंत्र निदेशक

श्री के एस संपत
स्वतंत्र निदेशक

श्री अजय नाथ
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव

श्री एन नागराजा

प्रधान कार्यपालक

(दि. 31 मार्च, 2018 तक)

श्री एन पी दिवाकर
अधिशासी निदेशक (भा.इ.)

श्री अरूप कुमार माइती
महाप्रबंधक (नि.से.)

श्री एन संपत कुमार
महाप्रबंधक (इब्राहीमपट्टणम इकाई)

श्री जी गोपाल
महाप्रबंधक (कंचनबाग इकाई)

श्री शिवानंद एस खानापेट
महाप्रबंधक (एन पी अण्ड आर)

श्रीमती वी लता
महाप्रबंधक (ओ पी, क्यू आर – सैम एवं डी अण्ड ई)

श्री टी जगदीश्वर राव
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री एम एन सुरेश
महाप्रबंधक (जी एस डी)

श्री के जे जोसेफ़
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री पी राधाकृष्ण
महाप्रबंधक (कांकूर्स-एम एवं सी पी)

श्री आशुतोष कुमार
महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)

श्री एस नारायणन
महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.)

लेखापरीक्षक

मेसर्स एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स उमामहेश्वर राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स राममूर्ति (एन) अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स नरसिम्हा राव अण्ड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स बी वी राव अण्ड कंपनी, एल एल पी

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स डी जेड आर अण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

विधि सलाहकार

श्रीमती वी उमा देवी
श्री डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

आंध्रा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक
आई सी आई सी आई बैंक
एच डी एफ सी बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ई पी ए बी एक्स : 040-24587466 &
040-24587777
फैक्स : 040-24342826
ई-मेल : bdlitd@ap.nic.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास)
गच्ची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
हैदराबाद-500032.
दूरभाष : 040-23456145
फैक्स : 040-23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निदेशक मंडल

1	**श्रीमती सुषमा विश्वनाथ दबक** स्वतंत्र निदेशक
2	**श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति** स्वतंत्र निदेशक
3	**श्री वी उदय भास्कर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
4	**श्री एस पिरमनायगम** निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ
5	**श्री अजय नाथ** स्वतंत्र निदेशक

6	**श्री वी गुरुदत्त प्रसाद** निदेशक (उत्पादन)
7	**श्री के एस संपत** स्वतंत्र निदेशक
8	**श्री अश्वनी कुमार महाजन** सरकारी निदेशक
9	**प्रो. अजय पाण्डेय** स्वतंत्र निदेशक
10	**श्री के दिवाकर** निदेशक (तकनीकी)

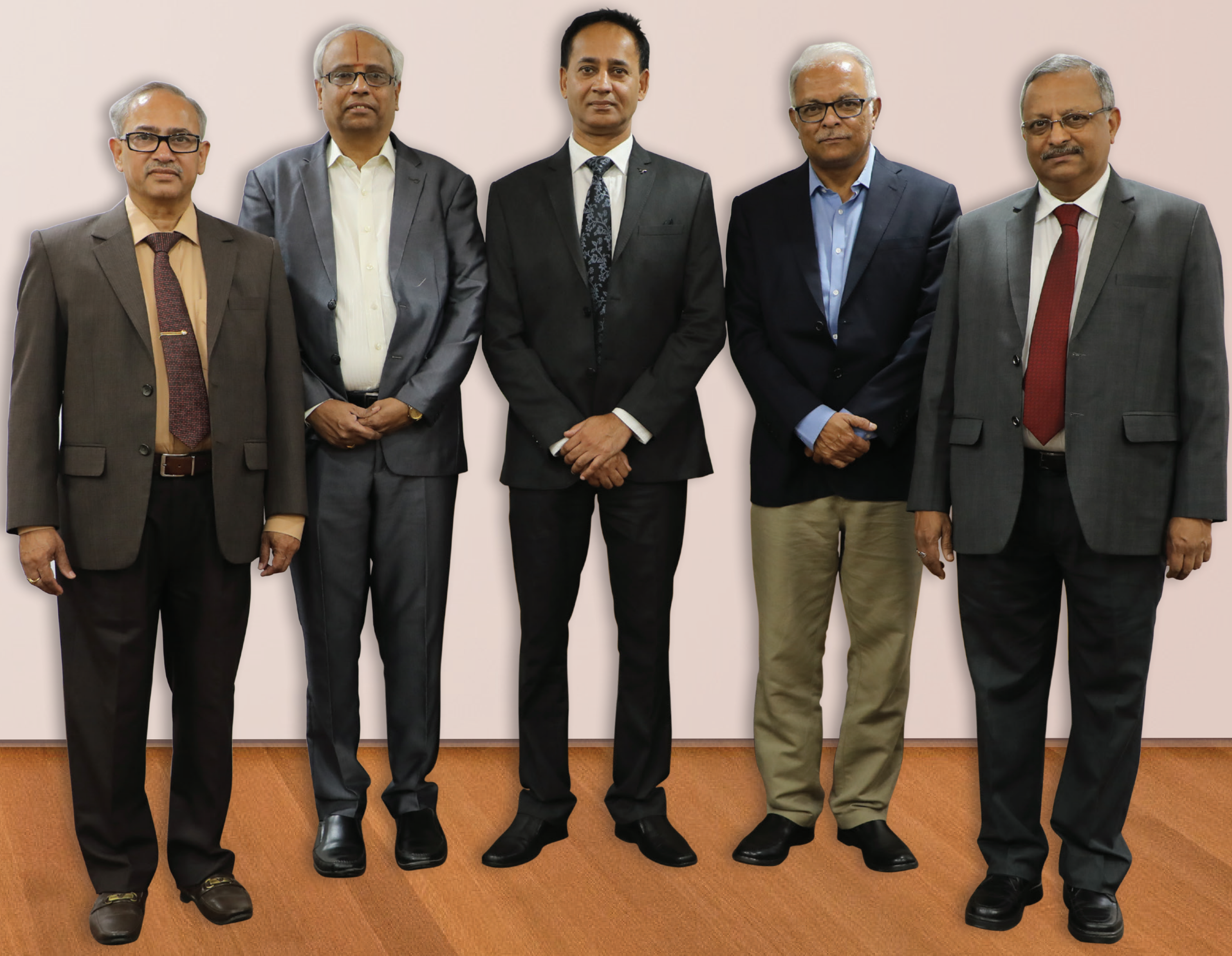

निदेशक मंडल

श्री वाराणसी उदय भास्कर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल में : दि. 30 जनवरी, 2015 से

अपनी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नई नियुक्ति से पहले ये बी डी एल के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) रहे। पॉलीमर साइंस एवं टेक्नोलॉजी में आई आई टी, दिल्ली से एम.टेक की उपाधि प्राप्त श्री उदय भास्कर हारकोर्ट बट्लर टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, कानपुर से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एवं केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें इनवार, कांकूर्स, कांकूर्स-एम का देशीकरण, मिसाइल संयोजन, एकीकरण तथा परीक्षण, सामग्री प्रबंधन, विक्रेता विकास तथा योजना जैसे मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23 से भी अधिक वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है। इन्होंने टैंकभेदी मिसाइलों की उत्पादन लाइन तैयार करने में विशेष भूमिका निभायी तथा 90 प्रतिशत से भी अधिक देशीकरण हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री भास्कर ने बी डी एल की भानूर इकाई में आई एस ओ 9001 : 2000 संस्करण के कार्यान्वयन की आई एस ओ कोर टीम का नेतृत्व किया। बाद में वे बी डी एल की भानूर इकाई में आई एस ओ 9001 : 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली के अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) के लिए प्रबंधन प्रतिनिधि भी रहे।

श्री उदय भास्कर को इनवार मिसाइल के विस्फोटक चार्जर के देशीकरण के लिए टी-72 फिक्स्ड फायरिंग स्टैंड के सहारे बैलेस्टिक इवेल्यूएशन पद्धति स्थापित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2010-11 में सामूहिक / वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत गौरवशाली 'रक्षा मंत्री नवोन्मेष पुरस्कार' प्राप्त हुआ। इन्होंने वर्ष 1990 के दौरान बी डी एल में कार्यभार ग्रहण किया था और इससे पूर्व वे एक निजी संस्था में लगभग 6 वर्ष तक सेवारत रहे। अकादमिक तथा मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे विकास से बाबस्ता होने में इनकी गहरी रुचि है। इन्होंने कई फोरम से शोधपरक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किये हैं तथा कई मूल्य आधारित आलेख भी प्रकाशित करवाए हैं।

श्री अश्वनी कुमार महाजन

सरकारी निदेशक

निदेशक मंडल में : दि. 08 जनवरी, 2016 से

ये 1988 बैच के आई आर एस अधिकारी हैं। इन्हेंने एम बी बी एस, एल एल बी, एल एल एम (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) उपाधियाँ भी हासिल की हैं। दि. 08 जनवरी, 2016 से रक्षा मंत्रालय (वित्त) में अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किये गये। दि. 9 मार्च, 2016 से ये बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

समिति में सदस्यता

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री एस पिरमनायगम

निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ

निदेशक मंडल में : दि. 01 जनवरी, 2015 से

श्री एस पिरमनायगम विज्ञान में स्नातक एवं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के संबद्ध सदस्य हैं। बी डी एल में निदेशक (वित्त) का पदभार सँभालने से पूर्व ये मेसर्स बी ई एम एल के रेल एवं मेट्रो संव्यवहार के वित्तीय कार्यों के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। दस वर्ष तक नैवेली लिगमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सेवाएँ प्रदान करने के बाद वर्ष 1996 से 2007 के दौरान इन्होंने बी डी एल के मध्य प्रबंधकीय संवर्ग में भी अपनी सेवाएँ दीं। इन्हें लेखापरीक्षा, लेखा, वित्त और कराधान के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव प्राप्त है।

समितियों में सदस्यता

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

श्री वी गुरुदत्त प्रसाद

निदेशक (उत्पादन)

निदेशक मंडल में : दि. 10 सितंबर, 2015 से

अपनी इस नियुक्ति से पहले ये इकाई प्रधान के रूप में बी डी एल – भानूर इकाई के महाप्रबंधक रहे। जे एन टी यू, हैदराबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त श्री गुरुदत्त प्रसाद ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से बी.टेक. किया था। इन्हें मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त है जिनमें सिस्टम इंजीनियरिंग, घटक उत्पादन, संयोजन आदि शामिल है। इन्होंने टैंकभेदी मिसाइल (ए टी जी एम) के लिए एकीकरण तथा परीक्षण सुविधाएँ स्थापित कीं और ए टी जी एम के घटक, मशीन व परीक्षण उपकरणों के त्वरित देशीकरण में प्रमुख भूमिका निभायी। इनके योगदान को देखते हुए इन्हें वर्ष 2012-13 के लिए 'रक्षा मंत्री पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। श्री गुरुदत्त प्रसाद वर्ष 1986 में बी डी एल में शामिल हुए। इससे पूर्व इन्होंने राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स हैदराबाद आलविन लिमिटेड में अपनी सेवाएँ दीं।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

श्री के दिवाकर

निदेशक (तकनीकी)

निदेशक मंडल में : 01 जुलाई, 2016 से

निदेशक (तकनीकी) की इस नियुक्ति से पहले इन्होंने बी डी एल में महाप्रबंधक (अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी) के पद पर अपनी सेवाएँ दीं। श्री दिवाकर जे एन टी यू, हैदराबाद से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक., तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन, हैदराबाद से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 28 से भी अधिक वर्ष का सुदीर्घ अनुभव प्राप्त है। विशाखापट्टणम में बी डी एल का नौसेना प्रभाग स्थापित कर भारतीय नौसेना के लिए टॉरपिडो के सफल उत्पादन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इससे पहले इन्होंने मिलान, पुनर्सज्जीकरण और विस्फोटक विभागों के प्रधान के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। बी डी एल भानूर इकाई में वारहेड, प्रणोदक तथा अन्य विस्फोटकों के देशीकरण के लिए इन्होंने काम किया। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने वाले इनके देशीकरण संबंधी कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। बी डी एल में आने से पहले इन्होंने इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज़, रायबरेली में लगभग 6 वर्ष तक अपनी सेवाएँ दीं।

श्रीमती सुषमा वी दबक

स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल में : 01 दिसंबर, 2015 से

सुषमा वी दबक 1981 में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में भर्ती हुई। इन्होंने प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, महालेखाकार, राजस्थान तथा महाराष्ट्र सहित कई पद सँभाले। वर्ष 2013 में ये मुंबई में लेखापरीक्षा के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई। आई ए एवं ए एस में भर्ती से पहले ये एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली में अर्थशास्त्री के पदों पर कार्यरत रहीं।

इन्होंने अर्थशास्त्र में एम ए, एल एल बी, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की। इन्हें सरकार के तीनों स्तरों यथा केंद्र, राज्य एवं क्षेत्रीय तथा आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी सरकारी कंपनियों, स्वायत्त एवं क्षेत्रीय निकाय जैसे विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठनों में लेखापरीक्षा का अनुभव प्राप्त है। ये न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड में वित्तीय सलाहकार तथा महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कार्पोरेशन में वित्तीय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त रहीं। विदेश स्थित भारतीय मिशन तथा यू एन एच सी आर की लेखापरीक्षा के लिए भी प्रतिनियुक्त रहीं। इन्हें सरकारी लेखा, सरकारी कंपनियों तथा बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रमाणन का अनुभव प्राप्त है। ये देश-विदेश में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियों में भाग ले चुकी हैं।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

प्रो. अजय पाण्डेय

स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल में : 01 दिसंबर, 2015 से

प्रो. अजय पाण्डेय संप्रति भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त एवं लेखा विधि के प्रोफेसर हैं। इन्होंने रूरकी विश्वविद्यालय (आजकल आई आई टी, रूरकी) से औद्योगिक इंजीनिरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) तथा ऑयल अण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) में परियोजना एवं अनुवीक्षण इंजीनियर के पद पर कार्य किया। तदुपरांत, आई आई एम अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए फेलो प्रोग्राम के तहत प्रवेश पाकर वित्त के क्षेत्र में फेलो डिग्री (पी एच डी के समकक्ष) प्राप्त की। डॉक्टरेट करने के बाद तथा आई आई एम, अहमदाबाद में आने से पहले ये भारत की कई शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। इसके बीच, इन्होंने निजी क्षेत्र की संयुक्त परियोजना के वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य किया। अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्यापन संबंधी इनकी व्यावसायिक रुचि विशेष रूप से निगम वित्त तथा नैगमिक अभिशासन, जोख़िम प्रबंधन, परियोजना वित्त, अस्थिरता एवं संपत्ति लागत गतिकी जैसे पूँजीगत बाजार में है। इन्हें परियोजना संरचना एवं जोख़िम नियतन, सार्वजनिक खरीदी, भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों से संबंधित संरचना क्षेत्र के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में भी व्यावसायिक रुचि है। ये सरकार, नियामक एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संरचना संबंधी मामलों में परामर्शदाता भी रहे हैं। इन्होंने आई आई एम अहमदाबाद में अध्यक्ष, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, डीन (संकाय), डीन (कार्यक्रम) एवं प्रभारी निदेशक के पद पर रहते हुए शैक्षणिक प्रशासन के कार्य भी सँभाले।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

श्री के एस संपत

स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल में : 13 सितंबर, 2017 से

श्री के एस संपत पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हैं जिन्हें आयकर, कारपोरेट कानून, बैंकिंग (ट्रेजरी, फोरेक्स, विदेशी बैंक के ड्यू डिलिजेन्स सहित) तथा बीमा क्षेत्र सहित नैगमिक अभिशासन विकास में विशेषज्ञता का 32 वर्ष का विस्तृत व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने देश के कुछ उच्च संस्थान जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में सेवाएँ देकर तथा हाल ही में नाबार्ड के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डी सी सी बी और आर आर बी के पर्यवेक्षक बोर्ड के सलाहकार सदस्य के रूप में बोर्ड स्तर का अनुभव अर्जित किया है। लेखापरीक्षा समिति, प्रबंधन समिति, आई टी समिति, जोख़िम प्रबंधन समिति तथा शेयर अंतरण समितियों में अध्यक्ष / सदस्य के रूप में रहते हुए इन्होंने नैगमिक अभिशासन बेहतर बनाने का कार्य किया है।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

श्री अजय नाथ

स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल में : 13 सितंबर, 2017 से

ये मध्यप्रदेश कैडर के 1982 बैच के आई ए एस अधिकारी हैं। श्री अजय नाथ दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं और सितंबर 2011 से सितंबर 2015 तक मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग में पहले प्रधान सचिव और फिर बाद में अपर मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ देकर सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। इससे पूर्व इन्होंने भारत सरकार के निगम मामले मंत्रालय में निरीक्षण एवं पंजीकरण महानिदेशक के रूप में, तदुपरांत भारत सरकार के निगम मामले मंत्रालय के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। ये भारत सरकार के वित्त मामले विभाग के उप सचिव भी रहे और एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलिप्पाइन्स में कार्यपालक निदेशक (भारत) के तकनीकी सहायक भी। इन्होंने मध्य प्रदेश को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम सेक्यूरिटि प्रिंटिंग अण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी पी एस यू के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी रहे।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति

स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल में : 13 सितंबर, 2017 से

श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति संप्रति मेलंगे प्राइम प्रापर्टीज़ और टॉय पटनम में प्रबंधन भागीदार हैं। इन्होंने एम आई टी ग्लोबल इंटरपेन्यूरशिप बूटकैंप पूर्ण कर मेसाश्यूट्ज़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 'न्यू वेंचर्स लीडरशिप' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति ने तक्षशिला संस्थान से लोक-नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु से इंडिया-वुमेन इन लीडरशिप (I-WIL) पूर्ण किया है। इन्होंने वर्ष 2010 से 2015 तक बृहत् बेंगलूरु महानगरपालिका में कॉर्पोरेटर के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। राजनीति के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए इन्हें वर्ष 2014 में 'बेंगलूरु युवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया तथा यू एल और अशोका चेंज मेकर द्वारा आयोजित 'सुरक्षित सड़क, सुरक्षित भारत अभियान' की भी ये विजेता रही हैं।

समितियों में सदस्यता

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

अध्यक्ष की कलम से

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आपकी कंपनी की 48वीं वार्षिक आम सभा में निदेशक मंडल की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

मैं बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर पिछले साढ़े तीन साल से भी अधिक समय के दौरान आयी हर चुनौती का सामना और इनका हल ढूँढने में मुझे 'टीम बी डी एल' का भरपूर साथ मिला जिससे यह समय बहुत रोमांचक बीता।

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों से आपको अवगत कराने और परिचालनीय परिदृश्य सहित नई पहल की जानकारी देने से पहले कहना चाहूँगा कि यह वार्षिक विवरण आई पी ओ के सफल कार्यान्वयन के बाद "हमारी पहुँच का विस्तार" थीम के साथ पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। अत: इस दृष्टि से यह विशिष्ट और खास महत्व रखता है। यह देश और देश से बाहर संभावित ग्राहकों तक पहुँचने के उद्देश्य और रणनीति को भी स्पष्टत: दर्शाता है।

कार्यनिष्पादन की स्थिति :

कार्यनिष्पादन की दृष्टि से यह वर्ष बहुत प्रभावशाली रहा। इस वर्ष हासिल रु. 4576 करोड़ का रिकॉर्ड टर्न-ओवर (उत्पादन मूल्य रु.4630 करोड़) खासकर हमारे संगठन के जुझारूपन, दृढ़ता और वास्तविक दक्षता का परिचायक है। जिसे, आज़माने वाले हालात और अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियों के रहते हुए अर्जित किया गया। इस बात का श्रेय मैं प्रत्येक कर्मचारी और भागीदार को देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे दुष्कर कार्य को संभव कर दिखाया।

वित्तीय कार्यनिष्पादन की दृष्टि से देखें तो आपकी कंपनी लाभ के मार्ग पर अग्रसर है और लगातार लाभांश दे रही है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए रु. 133.61 करोड़ (अर्थात् 10/- रुपये के प्रत्येक ईक्विटी शेयर के प्रति रु. 7.29/-) का अंतिम लाभांश देने का निर्णय लिया है।

परिचालनीय परिदृश्य :

भारतीय उद्योग आज एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है जहाँ से यह राष्ट्र को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभायेगा। भारत के विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुत्थान उल्लेखनीय रहा है। न केवल इनका मुनाफा बढ़ रहा है, बल्कि कई भारतीय कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ बन रही हैं जिससे विनिर्माण क्षेत्र विदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गुणता मानक, क्षमता और विनिर्माण सुविधाओं से युक्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। भारत उत्पाद डिजाइन, पुन:विन्यास, सृजनात्मक अनुकूलन, आश्वस्त गुणता और मूल्यवर्द्धन क्षेत्र में सिद्ध कौशल की चाह रखने

इस वर्ष हासिल रु. 4576 करोड़ का रिकॉर्ड टर्न-ओवर (उत्पादन मूल्य रु.4630 करोड़) खासकर हमारे संगठन के जुझारूपन, दृढ़ता और वास्तविक दक्षता का परिचायक है। जिसे, आज़माने वाले हालात और अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियों के रहते हुए अर्जित किया गया।

वाले विश्व स्तर के निगमों के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से विकास कर रहा है। साथ ही, भारत, अपने रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग को मजबूत करने के लिए तत्पर है और इस दृष्टि से प्रमुख अस्त्र निर्यातक देशों से प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए बात की है।

सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों जैसे "मेक इन इंडिया" और देशीकरण से देशी रक्षा निर्माण में वृद्धि और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को बल मिला है।

पिछले दो वर्षों से भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ रही है। एक ओर बड़े भारतीय समूह ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ायी है वहीं दूसरी ओर विदेशी रक्षा ठेकेदार भारतीय कंपनियों के साथ अपने गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं। इसे विशेषकर रक्षा और सामान्य रूप से 'मेक इन इंडिया' अभियान दोनों ही दृष्टियों से प्रोत्साहन मिला है।

रक्षा मंत्रालय ने एम एस एम ई का योगदान बढ़ाने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विशेष 'रक्षा गलियारा' बनाने की बात कही है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों से भारत में देशीकरण पर विशेषकर रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में जोर दिये जाने के चलते इसके नतीज़े मिलने लगे हैं। परिणामस्वरूप, भारत में एच ए एल के 'तेजस' (एल सी ए), अर्जुन टैंक के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित 'पेनेट्रेशन-कम-ब्लास्ट' (पी सी बी) और ध्यान रहे कि हमारा अपना उत्पाद 'वरुणास्त्र' डी आर डी ओ द्वारा विकसित और हमारे द्वारा 90 प्रतिशत स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री से 'भारी टॉरपिडो' के रूप में बनाया जा रहा है।

भारत सरकार की ओर से रक्षा क्षेत्र में देशीकरण को प्रोत्साहित करने उठाये जा रहे कदमों के साथ कदम मिलाकर बी डी एल अपने लंबे अनुभव, विनिर्माण विशेषज्ञता, डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं के साथ समवर्ती इंजीनियरिंग साझेदारी, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, दृढ़ परियोजना प्रबंधन कौशल और सशक्ति-प्राप्ति डी अण्ड ई के बल पर अवश्य लाभार्जन प्राप्त कर समृद्ध बनना तय है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ:

i) जैसे कि व्यक्त किया गया है कि आपकी कंपनी ने कई तकनीकी चुनौतियों के बावजूद 4576 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टर्नओवर हासिल किया है।

ii) आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 22,451,953 इक्विटी शेयरों (भारत सरकार की 100% प्रदत्त पूंजी का 12.25% का हिस्सा) के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए दि. 23 मार्च, 2018 को यह बी एस ई और एन एस ई दोनों में शामिल होकर एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। आपके लाभ की दृष्टि से ये शेयर 1.3 गुना खरीदे गये।

iii) आपकी कंपनी ने हल्के भार वाले टॉरपिडो के पहले निर्यात आदेश का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया है।

iv) आपकी कंपनी ने 2175 करोड़ रुपये के नए कार्य-आदेश प्राप्त किये हैं जिनमें एम आर एस ए एम, हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

v) मिसाइल और अन्य संबद्ध उपकरणों के निर्माण क्षेत्र में अपनी खास विशेषज्ञता रखने के नाते आपकी कंपनी ने भारत की प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ प्रौद्योगिकी समझौता किया है जिसमें एनएसटीएल के साथ 'वरुणास्त्र' के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग करार, डीआरडीओ के साथ 'अस्त्र' का उत्पादन आदि शामिल है।

vi) इनके अतिरिक्त, आपकी कंपनी 'आकाश' के अगले आदेश, विश्रॉड तथा ए टी जी एम जैसी विभिन्न परियोजनाओं की आदेश-प्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से बातचीत में लगी है और नतीज़तन ये प्रयास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पहुँच चुके हैं।

vii) मिसाइल विनिर्माण कंपनी होने के नाते, यहाँ उत्पाद की गुणता सर्वोपरि होती है और कंपनी के उत्पादों को पहली बार और हर बार लक्ष्यभेदी होना पड़ता है। इस दृष्टि से उच्च गुणता मानक प्राप्ति के लिए 'मिलान', 'आकाश' और भानूर प्रभागों को एएस 9100 डी वांतरिक्ष गुणता मानकों में से उन्नयन किया गया है।

viii) किसी संगठन की क्षमता का विकास करने में हर क्षेत्र सहित रक्षा क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) सहित सख्त साइबर सुरक्षा का कार्यान्वयन हमारी कंपनी के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

तदनुसार , आपकी कंपनी ने अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अपनी सभी इकाइयों में बहु-प्रकार्यात्मक एकीकृत ई आर पी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है जिससे संगठन के संपूर्ण प्रचालन में गति, सटीकता और पारदर्शिता आयी है।

हमने उद्यम स्तरीय डॉटा रखने के लिए एक उत्कृष्ट डॉटा सेंटर और डॉटा की सुरक्षा और संरक्षा के लिए रिकवरी सेंटर बनाया है।

बीडीएल, इसकी आईटी प्रणाली के सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आई एस ओ 27001: 2013 से अधिप्रमाणित है।

ix) वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने तीन मौजूदा निर्माण सुविधा क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और अन्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए पहले चरण के अंतर्गत इब्राहीमपट्टणम में 'टेस्ट बेड प्रणाली' का प्रचालन पूरी तरह शुरू कर दिया है।

x) संगठन के विकास के लिए मानव संसाधन विकास काफी महत्वपूर्ण होता है और प्रेरित कर्मचारी बल संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति। इस दिशा में काम करते हुए कंपनी ने वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीकी और आवश्यकता आधारित विषयों पर 658 अधिकारी और 530 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा, कंपनी ने विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को देश के शीर्ष 'बी' स्कूलों में प्रायोजित किया।

नैगमिक अभिशासन :

किसी भी संगठन की एकता, प्रतिष्ठा व इसके कार्यनिष्पादन के लिए सुशासन ही केंद्रीय होता है।

आपकी कंपनी में व्यावसायिकता तथा जवाबदेही बनाये रखने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है। नैगमिक अभिशासन के संबंध में कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित प्रकटीकरण करना, कानून व विनियमों का अनुपालन, नैतिक मूल्य बनाए रखना तथा सभी भागीदारों के हितों को ध्यान में रखना है। यह संगठन कार्यकारी प्रबंधन को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम संभव स्थितियों के तहत रणनीतिक योजना लागू करने की अनुमति देता है। यह समूह के परिवर्तन के संयोजन के साथ किया जाता है।

आपकी कंपनी का प्रशासकीय ढाँचा इसकी दीर्घकालीन सफलता को रक्षित करने के लिए बनाया गया है ताकि शेयरधारक और अन्य हितधारकों का लाभ बना रहे। यह निरंतर जारी है क्योंकि यह समूह पारदर्शिता, सम्मान और उत्तरदायित्व को विकसित करता है और बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विशेषज्ञता समृद्ध बोर्ड

रिकॉर्ड टर्नओवर

सूचीबद्ध कंपनी बनी

निर्यात आदेश

रु. 2175 करोड़ के नये कार्य-आदेश प्राप्त

भारत की प्रमुख रक्षा प्रयोगशालाओं के साथ तकनीकी गठबंधन

मंत्रालय के साथ त्वरित आबंटन के लिए सक्रिय चर्चाएँ

दि. 23 मार्च, 2018 को एन एस ई, मुंबई में संपन्न 'लिस्टिंग' समारोह।

मिलान, आकाश और भानूर प्रभाग का ए एस 9100 डी ए क्यू एस में उन्नयन

प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अपनी सभी इकाइयों में बहु-प्रकार्यात्मक एकीकृत ई आर पी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन

अवसंरचना विस्तारण

वित्तीय वर्ष 2018 में कंपनी के कुल 1188 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

बी डी एल और डी आर डी ओ ने 'वरुणास्त्र' और 'अस्त्र' के उत्पादन संबंधी टेक्नोलॉजी अंतरण के लिए अनुज्ञप्ति करार' पर हस्ताक्षर किये। माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की उपस्थिति में दि. 11 अप्रैल, 2018 को आयोजित डेफेक्सपो-2018 के अवसर पर माननीय रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष रामाराव भामरे ने हस्ताक्षरित दस्तावेज श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी, बी डी एल को सौंपे। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं अध्यक्ष, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डी आर डी ओ और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खुलेपन की संस्कृति में काम कर सके। इससे सहयोगी भाव को बढ़ावा मिलता है और यह अधिकतम प्रभावशीलता के साथ काम कर सकता है।

एस ई बी आई सूची विनियम तथा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार नैगमिक अभिशासन संबंधी तिमाही एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्टें निर्धारित फार्मेट में क्रमश: स्टॉक एक्स्चेंज तथा रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी को मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त हुआ है।

आपकी कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण और संरक्षा :

आपकी कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ कर्मचारी, ग्राहक और जहाँ हमारा समुदाय काम करता और रहता है, इसके रक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह मानते हैं कि हमारे व्यापार के सभी पहलुओं में उत्तम पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन परिपाटी के पालन से आपकी कंपनी पर्यावरण, स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली और अपने उत्पादों की प्रक्रियाओं और सेवाओं की पर्यावरणीय गुणता में लगातार सुधार आएगा।

आपकी कंपनी ने विपणन एवं संव्यवहार विकास विभाग को मजबूत बनाते हुऐ देश और देश से बाहर अपनी पहुँच बढ़ाने के स्पष्ट कार्य-लक्ष्य के साथ विपणन का नेतृत्व करने के लिए एक अधिशासी निदेशक (विपणन) की नियुक्ति की।

अधिशासी निदेशक (विपणन) मंत्रालय के बुलावे पर दिल्ली कार्यालय में हमेशा मौजूद।

आपकी कंपनी ए टी जी एम के देशीकरण की दिशा में आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा में बचत और समग्र लागत में कमी की दृष्टि से दृढ़ प्रयास कर रही है।

बीडीएल का यह भी मानना है कि जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं उस क्षेत्र के कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता और भागीदारों के प्रति हम जिम्मेदार हैं।

आपकी कंपनी औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता के प्रचार का बारीकी से पालन करती है और सभी सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करती है। संरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा, निगरानी और इनकी बेहतरी के लिए संरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

बी डी एल अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में स्वच्छ और हरे-भरे वातावरण को बनाए रखने में विश्वास रखता है। स्वच्छ परिवेश, हरा-भरा पर्यावरण, कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय, शून्य प्रदूषण बहिर्गमन, ऊर्जा संरक्षण, व्यवस्थित प्रबंधन और हानिकारक अपशिष्ट का निपटान करना आदि हमारी नियमित और स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा बन चुका है।

हमारी तीनों उत्पादन इकाइयाँ आईएस 14000 पर्यावरण गुणता मानक प्राप्त हैं जो उपरोक्त कथन को प्रमाणित करती हैं। भानूर इकाई में ग्रिड परिवर्तित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रीन एनर्जी के प्रति हमारी वचनबद्धता दर्शाता है।

ग्राहकों के साथ बातचीत :

ऐसे भी दिन थे जब ग्राहक (सेवाओं) अपनी आवश्यकताओं के लिए ओ ई एम से संपर्क किया करते थे। आज की माँग है कि संगठन सक्रिय रूप से सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में जानें और तदनुसार इसे उपलब्ध कराए।

तदनुसार, आपकी कंपनी ने ग्राहकों के साथ नियमित बातचीत बनाये रखने के लिए अपने विपणन और संव्यवहार विकास विभाग को मजबूत किया है। डी अण्ड ई और उत्पादन विभागों की टीमें नियमित रूप से उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ग्राहकों के पास जाकर मिलती हैं। ग्राहक प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से नियमित बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं को समझ कर और हुई प्रगति का अनुवीक्षण भी किया जाता है।

विक्रेता विकास :

विक्रेता हमारे संव्यवहार विकास के मूल्यवान भागीदार हैं और हम उनके साथ अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग की भावना से काम करेंगे।

निगम वाणिज्यिक विभाग विक्रेताओं की पहचान करता है और प्राप्त प्रतिपुष्टि तथा गुणता, वितरण समय और मात्रा इत्यादि जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर विक्रेताओं को रेटिंग देता है।

आपकी कंपनी अपने विक्रेताओं को प्रगति में भागीदार के रूप में मानती है और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध स्थापित करने में विश्वास करती है। गुणता स्तर बनाए रखने के लिए बीडीएल परियोजना और उत्पादन इंजीनियरिंग के रूप में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

संबंधित प्रभाग और निगम वाणिज्यिक विभाग द्वारा विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि स्पष्ट, पारदर्शी और आपसी समझ रखते हुए सभी को समान अवसर प्राप्त हों, सुनिश्चित किया जा सके।

द्रष्टव्य मार्ग :

दि. 01 अप्रैल, 2018 तक आपकी कंपनी के पास 8889 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं। किंचित संकोच की बात है कि वर्ष 2019-20 के दौरान इन 8889 करोड़ रुपये में से केवल 1800 करोड़ का ही काम बचा रहेगा। पर, बी डी एल को दी जाने वाली परियोजनाओं का आबंटन विभिन्न चरणों में पहुँच चुका है अत: भविष्य खुशी देने वाला है। आपकी कंपनी इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है, जिससे आने वाले वर्षों में हमारी ऑर्डर बुक भरी-भरी होगी।

आपकी कंपनी ने विपणन एवं संव्यवहार विकास विभाग को मजबूत बनाते हुऐ देश और देश से बाहर अपनी पहुँच बढ़ाने के स्पष्ट कार्य-लक्ष्य के साथ विपणन का नेतृत्व करने के लिए एक अधिशासी निदेशक (विपणन) की नियुक्ति की। अधिशासी निदेशक (विपणन) मंत्रालय के बुलावे पर दिल्ली कार्यालय में हमेशा मौजूद रहेंगे।

इसके अलावा, आपकी कंपनी अपने आंतरिक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग (डी अण्ड ई) समूह को भी मजबूत किया है और इन्हें खुद को ए टी जी एम विकसित करने का कार्य सौंपा है जिसके लिए उच्च प्रबंधन भी पूर्णत: प्रतिबद्ध है। हालाँकि यह कहना कुछ ज्यादा लग सकता है पर मुझे विश्वास है कि एक बार यह काम पूरा हो जाने पर एक नव-उत्तेजित बीडीएल सामने आएगा और रक्षा क्षेत्र में आपकी कंपनी की छवि कई गुना बढ़ जाएगी।

इसके साथ-साथ आपकी कंपनी ए टी जी एम के देशीकरण की दिशा में आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा में बचत और समग्र लागत में कमी की दृष्टि से दृढ़ प्रयास कर रही है।

इन सबके अतिरिक्त भारत सरकार की ओर से मेक इन इंडिया, देशीकरण और आयात प्रतिस्थापन जैसी पहलों पर निरंतर जोर दिये जाने से हमें पर्याप्त अवसर मिलेंगे और बीडीएल अपने दशकों के अनुभव से इनका अधिकाधिक लाभ उठाएगा।

ऑर्डर बुक स्थिति, प्रत्याशित आदेश और अन्य पहल के आधार पर, मैं विश्वस्त हूँ कि आपकी कंपनी निरंतर विकास हासिल करने पूरी तरह तैयार है। आपकी कंपनी मौजूदा व प्रक्रियागत कार्य-आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नई विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित कर रही है।

सी एस आर कार्य-कलाप :

बीडीएल हमेशा मूल्य आधारित स्थायी और जिम्मेदार विकास में विश्वास करता आया है। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) आपकी कंपनी के व्यावसायिक प्रतिरूप का अभिन्न हिस्सा है। कंपनी के सीएसआर प्रयास अल्प सुविधाएँ प्राप्त, ग्रामीण और शहरी समुदायों को सहयोग देने का प्रयास करते हैं जिनमें कमजोर और हाशिए पर बसे ऐसे स्थानीय समुदायों के वर्गों पर ध्यान दिया जाता है जो अपनी विनिर्माण सुविधाओं के आसपास अर्द्ध-ग्रामीण स्थानों में रहते हैं । बीडीएल पेय जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में अपने सी एस आर पहल के माध्यम से उनके जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी लाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न-भोज, नलगोंडा और विशाखापट्टणम जिलों में उम्रदराज लोगों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण जैसी लगभग 32 सामाजिक परियोजनाएँ की हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कौशल विकास, खेल-कूद के विकास में योगदान, स्वच्छ भारत, दिव्यांग कल्याण और समाज के हाशिए वाले वर्गों के विकास जैसे कई कार्य किए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान इन गतिविधियों पर रु. 1839.40 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

आपकी कंपनी सी एस आर गतिविधियों के अंतर्गत आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना के पिछड़े / अविकसित क्षेत्रों में अपने सद्कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी।

निष्कर्ष

मैं रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, तीनों सेनाओं और उनके निरीक्षणालय तथा हमारे ग्राहकों के प्रति उनके अमूल्य मार्गदर्शन व समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपसे प्राप्त संरक्षण हमारे लिए बहुत मायने रखता है।

मैं अपने सभी कर्मचारी और संव्यवहार सहयोगियों को वर्षों से कंपनी के कार्यनिष्पादन और विकास में उनके समर्पित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंतर समर्पित प्रयास, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से आपकी कंपनी और अधिक ऊंचाई हासिल कर वायुवाहक व रक्षा उपकरणों के विश्वस्तरीय विनिर्माता बनने का आपका सपना साकार करेगी।

मैं निदेशक मंडल के अपने साथियों को उनके द्वारा दिये गये परामर्श व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

और अंत में, मैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले सभी खुदरा और संस्थागत निवेशकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 06669311

हमारे उत्पाद

बी डी एल, संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विनिर्माण करने वाला भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। कंपनी की उत्पाद-सूची में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), अंतर्जल-अस्त्र, लाँचर, प्रतिमारक तथा परीक्षण उपकरण शामिल हैं। कंपनी मिसाइल के कार्य-काल का विस्तार और इनके पुनर्सज्जीकरण का कार्य भी करती है। बी डी एल, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सैम (एस ए एम) व ए टी जी एम आपूर्त करने वाला अकेला आपूर्तिकर्ता है।

आकाश सैम (एस ए एम)

ज़मीन से हवा में मार करने वाली आकाश अस्त्र–प्रणाली (सैम) हर तरह के मौसमी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को साध सकती है। यह हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मानव रहित वायु वाहनों को लक्ष्य बना सकती है। हम आकाश – एस ए एम के अतिरिक्त इसके लिए आवश्यक भू-आधार प्रणाली और निर्माण संरचनात्मक सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को मुहैया कराते हैं।

लंबी दूरी की सैम (एल आर सैम) और मध्यम दूरी की सैम (एम आर सैम)

यह उच्च और त्वरित प्रतिक्रियावादी लंब रूप प्रमोचित सुपरसॉनिक मिसाइल है जो शत्रु के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, वायुयान, संचलित बम और हेलिकॉप्टर आदि को ध्वस्त करती है।

मिलान 2टी ए टी जी एम

मिलान 2टी दूसरी पीढ़ी की दो युद्धास्त्रों से लैसे एक व्यक्तिवाह्य टैंकभेदी मिसाइल है जो चल और अचल दोनों तरह के लक्ष्य भेद सकती है।

कांकूर्स-एम ए टी जी एम

कांकूर्स-एम दूसरी पीढ़ी की अर्द्ध-स्वचालित ट्यूब प्रमोचित प्रकाशिकीय नियंत्रित लक्ष्य-पथ पर वायर संचलित पंख नियंत्रित टैंकभेदी मिसाइल है जो चल एवं अचल कवचित लक्ष्य भेदने तैयार की गई है। इसे वाहन और लाँचर दोनों से चलाया जा सकता है।

इनवार (राउंड 3 यू बी के 20) ए टी जी एम

इनवार (3यूबीके 20) ए टी जी एम दूसरी पीढ़ी से आगे का मेकनाइज़्ड इंफैण्ट्री का अस्त्र है जिसे टी-90 टैंक गन बैरल से फायर कर कवचित वाहनों को ध्वस्त करने बनाया गया है।

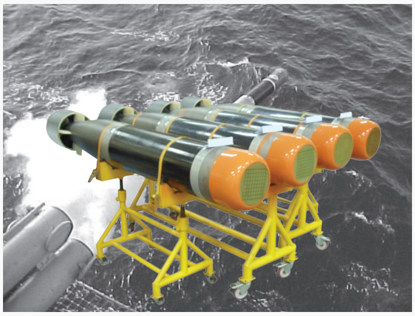

हल्के भार वाला टॉरपिडो

यह हल्के भार वाला टॉरपिडो युद्धपोत हेलिकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी को खत्म करने किया जाता है।

सी एम डी एस

सी एम डी एस एक माइक्रो कंट्रोलर शाफ़ और फ्लेएर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पायलेट या फिर वायुयान के राडार चेतावनी रिसीवर से सक्रिय किया जा सकता है। सी एम डी एस हीट सीकिंग व राडार संचलित मिसाइल से वायुयान को शाफ़ और फ्लेएर, पे-लोड अवसर्जित कर सुरक्षा प्रदान करता है।

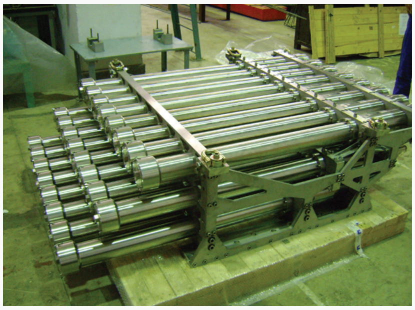

सी-303 टॉरपिडो रोधी डिकॉय क्षेपण प्रणाली ('टॉरपिडो रोधी प्रणाली')

टॉरपिडो रोधी प्रणाली किसी सक्रिय और / या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से पनडुब्बी को होने वाले खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है।

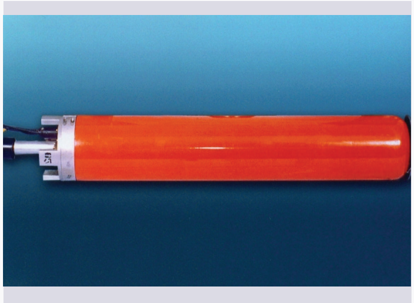

पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला डिकॉय ('एस एफ डी')

एस एफ डी सक्रिय या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से स्वयं की पनडुब्बी के समक्ष वांछित लक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

कांकूर्स एम और मिलान 2टी ए टी जी एम के लिए लॉंचर

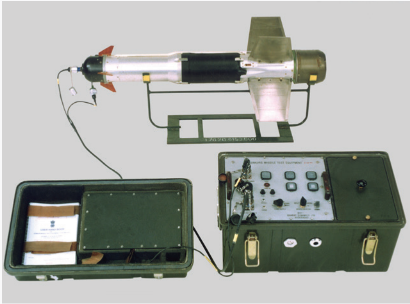

परीक्षण उपकरण

हमारी रणनीति

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत एवं वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियों से युक्त वातावरण बी डी एल के संव्यवहार का प्रमुख वाहक तत्व है। इस माहोल को बढ़ती टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र में हो रहे देशीकरण तथा बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा से और बढ़ावा मिलता है।

इस तरह के माहोल में हमारी संव्यवहार दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है क्रियान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय थल-सेना को हमारे उत्पादों की सुपुर्दगी तय करने पूर्वानुमयता कर पाना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा तथा हमारे अपनों पर निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

ऐसी पृष्ठभूमि में रणनीतिक दृष्टि से बी डी एल के उद्देश्य रहे कि बाजार में कंपनी की स्थिति दृढ़ करने अपनी क्षमताओं का विस्तार करें, देशी एवं विदेशी बाजार में उपलब्ध अवसरों को भुनाए और देशीकरण पर अधिक ध्यान देते हुए कंपनी की प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की स्थिति को और बढ़ाए।

अपने रणनीतिपरक लक्ष्यों को प्राप्त करने कंपनी प्रमुखत: निम्नलिखित पहल पर ध्यान केंद्रित कर रही है :

स्वचालन एवं प्रक्रियागत विकास

हम, सैम के उत्पादन को बढ़ाने हैदराबाद स्थित अपनी विनिर्माण सुविधाओं की उत्पादन प्रणालियों को स्वचालित बनाने की ओर प्रयासरत हैं।

अवसंरचना का विस्तार

हम अपनी अवसंरचना पर निवेश जारी रखेंगे। आशा है कि देशी और विदेश से निर्यात की आने वाली माँग को पूरा करने में इब्राहीमपट्टणम और अमरावती में ज़मीन से हवा में मार करने वाले सैम तथा विश्रॉड की नई विनिर्माण सुविधाएँ कंपनी को सशक्त बनाएँगी।

नयी पीढ़ी के सैम और ए टी जी एम

हम अपने अनुभव का उपयोग नई पीढ़ी के सैम, ए टी जी एम, भारी टॉरपिडो जैसे नये उत्पादों को विकसित करने के लिए तत्पर हैं जिससे हमारे राजस्व में आगे और वृद्धि हो सकें।

अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान

बी डी एल, अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियाँ बढ़ाकर अपने प्रयोक्ताओं के लिए नवोन्मेषी उत्पाद तैयार करना चाहता है। अनुसंधान एवं विकास व्यय वित्तीय वर्ष 2015 के 227.21 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 रु. 347.10 मिलियन रहा जो 23.60 % की सी ए जी आर में वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय विशेषताएँ

टर्नओवर

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	1779.89
वित्तीय वष 14-15	2799.68
वित्तीय वष 15-16	4159.97
वित्तीय वष 16-17	4886.62
वित्तीय वष 17-18	4587.60

कर पूर्व लाभ

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	508.59
वित्तीय वष 14-15	614.19
वित्तीय वष 15-16	847.31
वित्तीय वष 16-17	802.81
वित्तीय वष 17-18	773.82

कराधान के बाद लाभ

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	345.51
वित्तीय वष 14-15	418.57
वित्तीय वष 15-16	564.88
वित्तीय वष 16-17	524.06
वित्तीय वष 17-18	528.15

निवल मालियत

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	1217.75
वित्तीय वष 14-15	1533.37
वित्तीय वष 15-16	1800.02
वित्तीय वष 16-17	2194.98
वित्तीय वष 17-18	1956.38

उत्पादन मूल्य

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	1804.49
वित्तीय वष 14-15	2770.05
वित्तीय वष 15-16	4297.83
वित्तीय वष 16-17	5011.00
वित्तीय वष 17-18	4641.30

ईक्विटी

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वष 13-14	115.00
वित्तीय वष 14-15	115.00
वित्तीय वष 15-16	97.75
वित्तीय वष 16-17	122.19
वित्तीय वष 17-18	183.28

दस वर्षों पर दृष्टिपात

(रु. करोड़ में-जब तक कि कोई अन्य मुद्रा न बतायी गयी हो)

विवरण	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
बिक्री (सकल)	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71	959.12	939.16	627.23	464.82
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन कार्य में परिवर्तन	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81	33.82	(28.18)	4.38	58.24
उत्पादन मूल्य	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52	992.94	910.98	631.61	523.06
सामग्री की खपत	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57	633.53	580.14	438.01	364.84
परिवर्द्धित मूल्य	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95	359.41	330.84	193.60	158.22
कर पूर्व लाभ	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06	348.19	79.17	50.63	74.23
कराधान के बाद लाभ	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40	234.96	51.70	33.77	47.67
ईक्विटी	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30	617.38	437.05	412.08	405.13
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर)	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55	604.24	488.08	461.20	403.42
सामग्री-सूची	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53	602.57	502.19	570.26	623.11
ग्राह्य व्यापार	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55	88.39	45.15	33.58	8.95
कार्यगत पूँजी	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34 ^	812.68 $	614.58	458.97	370.66 #	360.44	404.86
नियोजित पूँजी	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20 ^	1172.29 $	892.59	670.64	511.79 #	503.66	508.81
निवल मालियत	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	953.08	732.19	551.85	526.88	519.93
कर्मचारियों की संख्या	3095	3182	3132	3183	3266	3300	3142 @	2897	2894	2788
कर्मचारियों पर लागत	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99	240.32	234.53	178.84	151.16
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53	1.50	1.41	1.08	1.05
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी (रु. लाख में)	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00	11.44 @	11.42	6.69	5.67
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) रु.	26.65 !	24.51 !	4273	3640	3004	2508	2043	450	294	415

* वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2016-17 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गई।
# परिवर्द्धित अनुसूची-VI के अनुरूप लेखा प्रस्तुति करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुन:समायोजित।
@ अस्थाई कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्था की गई।
$ वर्ष 2013-14 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुनर्व्यवस्था की गई।
^ वर्ष 2014-15 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-16 में पुनर्व्यवस्था की गई।
! वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1000/- मूल्य के शेयर को रु. 10/- में विभाजित करना।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इस कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे सहित 48 वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत है।

1. **परिचालन के मुख्य अंश**

- वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1% की मामूली वृद्धि के साथ 4576 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) का उच्चतम बिक्री कारोबार हासिल किया है।
- आपकी कंपनी ने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव सफलतापूर्वक पूरा किया और 23 मार्च, 2018 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करके एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई है।
- 5 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक पॉवर प्रोजेक्ट बीडीएल, भानूर में शुरू कर दिया गया।

2. **वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ**

2.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है:

विवरण	करोड़ रु. म		वद्धि का % (कमी)
	2016-17*	2017-18	
परिचालन से राजस्व (सकल)	4887	4588	(6)%
कमी:			
शुल्क एवं कर	351	11	-
परिचालन से राजस्व (निवल)	4536	4576	0.89%
उत्पादन मूल्य	4660	4630	(0.65)%
कर से पूर्व लाभ	803	774	(3.61)%
कराधान के बाद लाभ	524	528	0.78%
परिवर्धित मूल्य	1528	1715	12.23%
प्रति शेयर आय #	24.51	26.65	-

* भारतीय लेखा-मानक के अनुसार समेकित आंकड़े;

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है। पिछले वर्ष के लिए ईपीएस वर्ष के दौरान दिए गए बोनस के प्रति समायोजित किया गया। चूँकि वर्ष के दौरान 1000/- रुपये से 10/- रुपये के अंकित मूल्य से शेयरों का विभाजन किया गया अत: पिछले वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार संशोधित किया गया है।

2.2 निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	करोड़ रु. म		वद्धि का % / (अपवद्धि)
	2016-17*	2017-18	
सकल ब्लॉक	681	856	25.69%
मूल्यहास	84	136	61.90%
निवल ब्लॉक	596	720	20.63%
कार्यगत पूंजी	1570	1086	(30.83)%
नियोजित पूंजी	2327	1954	(16.02)%
निवल मालियत	2195	1956	(10.87)%

* भारतीय लेखा-मानक के अनुसार पुनर्समूहित आंकड़े।

2.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 803 करोड़ रुपये की तुलना में रु.774 करोड़ का कर पूर्व लाभ हासिल किया है। कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के 524 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 528 करोड़ रुपये रहा। आय में कमी का कारण ब्याज से प्राप्त आय में कमी का होना रहा। 2016-17 में ब्याज से आय 189 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 2017-18 में यह 8 करोड़ रुपये है।

2.4 बिक्री (निवल) के मूल्य में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान उत्पादन मूल्य में क्रमशः 1% और 1% की कमी आई है। इस साल आपकी कंपनी ने 601 करोड़ रुपये की तुलना में 682 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया जो पिछले वर्ष के परिचालन कार्यनिष्पादन में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। सशस्त्र बलों के लिए वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख आदेशों में आकाश अस्त्र प्रणाली, एटीजीएम और पुनर्सज्जीकरण सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

2.5 कंपनी की कार्यगत पूंजी परिचालन दक्षता के कारण 1570 करोड़ रुपये से घटकर कुल (पिछले वर्ष की तुलना में) 1086 करोड़ रुपये हो गई है।

2.6 भारत सरकार से प्रति शेयर 147.49 के हिसाब से देखें 547.34 करोड़ रुपये वापस खरीदे गए 30546875 इक्विटी शेयरों (देय पेड-अप पूंजी का 25% और कंपनी का मुक्त प्रारक्षण दर्शाती है।) के कारण कंपनी की निवल मालियत रु.1956 करोड़ रह गई।

2.7 दि. 01 अप्रैल, 2018 तक आपकी कंपनी के पास 8889 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं। जिनमें मुख्य रूप से आकाश, एमआर-एसएएम, एटीजीएम, एलडब्ल्यूटी का निर्यात और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

3. **सार्वजनिक से सावधि जमा :**

कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार की सावधि जमा स्वीकार नहीं की है, और न ही वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि जमा रही। तदनुसार, उस पर जमा / ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं रही।

4. **सामान्य प्रारक्षण में लाभांश और अंतरण :**

4.1 आपकी कंपनी के पास लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए रु.10/- रुपये के प्रति इक्विटी शेयर पर रु.7.29/- रुपये के हिसाब से रु.133.61 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने कंपनी के इक्विटी शेयरों के सूचीबद्ध होने से पहले मार्च, 2018 में 25 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है।

4.2 वर्ष 2017-18 के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जा रही है।

5. **पूँजी संरचना:**

5.1 वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 27 मई, 2016 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ5/2/2016 के अनुसार सीपीएसई के पूँजी पुनर्गठन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों की वापस खरीदी और बोनस शेयर जारी करने का काम पूरा किया। कंपनी ने सितंबर, 2017 में भारत सरकार से 457.98 करोड़ रुपये के 25% के बराबर जारी शेयर खरीदे। इसके अलावा, कंपनी ने प्रत्येक शेयरधारक को 1:1 के अनुपात में 15 फरवरी, 2018 को बोनस शेयर जारी किए (प्रतिधारित शेयर पर 10/-रु. का एक पूर्णत: ईक्विटी शेयर)।

5.2 परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रदत्त पूँजी दि. 31 मार्च, 2018 को वर्ष के अंत में रु.183.28 करोड़ रही। (प्रति 10/- रुपये के 18,32,81,250

ईक्विटी शेयर) कंपनी की प्राधिकृत पूँजी वर्ष 2017-18 के दौरान 125 करोड़ रुपये से बढ़कर 200 करोड़ रुपये हुई।

5.3 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने कंपनी में अपनी 100% हिस्सेदारी से बिक्री का प्रस्ताव लाते हुए जनता और कंपनी का 12.25% हिस्सेदारी का विनिवेश किया। इस तरह, आपकी कंपनी ने सरकार द्वारा बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 22,451,953 इक्विटी शेयरों के अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव दि. 23 मार्च, 2018 को सफलतापूर्वक पूरा किया (भारत सरकार द्वारा धारित 100% प्रदत्त पूंजी का 12.25%) (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड)। इस शेयर बिक्री को मंदबाजार हालात रहने के बावजूद और अपने ईक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया। जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कुल मिलाकर 1.3 गुना संख्या में खरीदा गया।

6. समझौता ज्ञापन पर कार्य-निष्पादन :

आपकी कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ हर साल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन "बहुत अच्छा" आँका गया है। वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू रेटिंग मूल्यांकन अधीन है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मंत्रालय के साथ एमओयू को अंतिम रूप देते हुए शुद्ध बिक्री लक्ष्य 4600 करोड़ रुपये तय किया गया है। आपकी कंपनी इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने अच्छी तरह से तैयार है।

7. आधुनिकीकरण और उन्नयन:

एटीजीएम और अन्य उत्पादों की विनिर्माण क्षमताओं को और बढ़ाया जा रहा है। सिविल आधारभूत संरचना बनाई जा रही है और मशीनरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण का काम प्रक्रियाधीन है। वर्ष के दौरान 140 करोड़ रुपये की पूँजी व्यय राशि संयंत्र और मशीनरी और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास कार्यक्रम के आधुनिकीकरण (सीएपीईएक्स) के लिए निर्धारित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएँ आरंभ की गईं :

ए) 320 केवी एक्स-रे मशीन

बी) उच्च तापमान पिट फर्नेस

सी) इब्राहीपट्टणम में अवसंरचना सुविधाएँ

डी) 2 डी-विजन मापन प्रणाली

ई) 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्रणालियाँ

आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा प्रवाह में और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम के निर्माण में देशीकरण बढ़ाने के दृढ़ प्रयास कर रही है। कांकूर्स-एम, इनवार, मिलान -2 टी जैसे उत्पादों का देशीकरण क्रमशः 90%, 78.6% और 71% तक हासिल कर लिया गया है।

8. अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी का मानना है कि भारतीय सशस्त्र सेना बलों के लिए विभिन्न उत्पादों का अभिकल्पन और विकास करने अनुसंधान और विकास एक ध्यान दिये जाने वाला क्षेत्र है। इस क्रम में कम्प्यूटेशनल फ्ल्यूड डायनामिक्स, स्पेक्ट्रो-रेडिओमीटर, उन्नत संरचनात्मक और थर्मल विश्लेषण सॉफ्टवेयर, 3-डी स्कैनर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रिलायबिलेटी सॉफ्टवेयर और अन्य विकास उपकरण जैसे आर अण्ड डी सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। आपकी कंपनी ने टैंकरोधी संचालित प्रक्षेपास्त्र के लिए लाँचर और परीक्षण उपकरण, आउटडोर सिम्युलेटर, इन्फ्रारेड इंटरफेरेंस इंडिकेटर (आईआरआईआई), काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम (सीएमडीएस) आदि आयात विकल्प के रूप में पहले ही बना लिये हैं।

आपकी कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान की है और वर्तमान में निम्नलिखित मिशनों में केंद्रित अनुसंधान और विकास:

अमोघ-I: - यह पैदल सेना के लिए लक्ष्य रेखा को अर्द्ध स्वचालित कमांड (SALCOS) देने वाली एक टैंकरोधी संचालित प्रक्षेपास्त्र (एटीजीएम) है। इस मिसाइल का डिजाइन, परीक्षण, फायरिंग आयोजित कर पुष्ट कर लिया गया है। जबकि, मिसाइल को आगे के परीक्षण और अर्हयता के लिए निर्मित किया जा रहा है। आपकी कंपनी को अमोघ-1 एटीजीएम के कार्य के लिए 30 मई, 2017 को नवोन्मेष श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

अमोघ-II: - यह मेकेनाइज्ड इन्फेण्ट्री के लिए तैयार रेडियो बारंबारिता निर्देशित लक्ष्य रेखा को अर्द्ध स्वचालित कमांड देने वाली एक एटीजीएम है। इस मिसाइल का विकास चल रहा है। ग्राउंड लांचर से अमोघ-II का सफलतापूर्वक परीक्षण 14 अक्तूबर, 2017 को किया गया था।

अमोघ-III: - यह तीसरी पीढ़ी का आई आई आर सीकर आधारित 'फायर अण्ड फारगेट' किस्म की एटीजीएम है। इसकी प्रणालिक संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जबकि, इसकी उप-प्रणालियों के डिजाइन पर काम चल रहा है।

कंपनी भारतीय वायु सेना के लिए काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम (सीएमडीएस) जैसे एवियानिक्स सिस्टम के अभिकल्पन और विकास पर भी काम कर रही है। विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए सीएमडीएस और इसके परीक्षण उपकरण आयात प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। सीएमडीएस के लिए निर्यात का पर्याप्त बाजार है।

निम्नलिखित तालिका में आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय में हालिया प्रवृत्ति दर्शायी गयी है :

(रुपये करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री कारोबार (सकल)	2800	4160	4887	4588
आर अण्ड डी व्यय	23.72	29.43	34.71	40.22

आंतरिक आर अण्ड डी गतिविधियों के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय प्रतिबद्धता और मानव-शक्ति समर्थन के साथ विभिन्न मिसाइलों के सह-विकास के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ एम ओ यू किया है। बी डी एल के इन आर अण्ड डी प्रयासों से भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी।

9. एम एस एम ई से खरीद :

आपकी कंपनी लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश / अधिसूचनाओं के अनुसरण में लघु, छोटे व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदी पर अधिक बल दे रही है। (एमएसएमई)।

अस्त्र विनिर्माता होने के नाते आपकी कंपनी को एम एस एम ई नीति के अंतर्गत छूट प्राप्त है। यद्यपि आपकी कंपनी प्रयास करती है कि कुछ सामान्य प्रकृति की वस्तुएँ एसएमई से खरीदें। एसएमई से खरीदी के लिए 358 वस्तुओं की सूची कंपनी के आईएमएम मैनुअल में आरक्षित कर रखी गई है।

आपकी कंपनी द्वारा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एन एस आई सी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं के लिए इसके सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ विशेष सुविधाएँ / छूट दी

जाती है :

ए) निविदा दस्तावेजों को नि:शुल्क जारी करना।

बी) ईएमडी के भुगतान से छूट।

सी) भारी मात्रात्मक इकाई की निविदाओं पर 15% की मूल्य प्राथमिकता। यदि एसएमई का मूल्य एल-1 रहने वाले गैर एसएमई के मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक की सीमा में हो तो उसे एल-1 मूल्य तक कम करने का मौका दिया जाता है और एल-1 मूल्य की स्वीकृति पर 20 प्रतिशत काम के आदेश एसएमई को दिए जाते हैं।

डी) भारत के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार गुणता और तकनीकी विनिर्देश युक्त होने पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्ट-अप (चाहे एमएसएमई या अन्य) पूर्व योग्यता अनुभव में छूट दी जाती है।

ई) एमएसएमई और स्टार्ट-अप को कार्य-आदेश की 110% राशि पर बैंक गारंटी होने पर ब्याज़ मुक्त अग्रिम भी दिया जा रहा है।

एफ) अन्य रक्षा उपक्रमों में पंजीकृत विक्रेताओं को यहाँ भी पंजीकृत माना जाता है। यह माना गया पंजीकरण विक्रेताओं को आरएफक्यू में संकेतित अन्य पात्रता मानदंडों की पूर्ति करने पर डी पी एस यू के लिए समान श्रेणी के माल / सेवाओं की सभी भावी निविदाओं में भाग लेने योग्य बनाता है।

जी) एमएसएमई / स्टार्ट-अप विक्रेताओं को परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करना।

10. प्रदर्शनियाँ :

वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया। इस तरह के आयोजन में भाग लेने से उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करने, विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने और ज्ञान साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य देशों के पेवेलियन का दौरा कर उनके पास उपलब्ध सिस्टम को जानने और आपकी कंपनी को भविष्य की अपनी व्यावसायिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में मदद मिलती है।

आपकी कंपनी ने दी. 11 से 14 अप्रैल, 2018 तक चेन्नई में आयोजित डेफेक्सपो - 2018 में भाग लिया।

11. निर्यात :

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की निर्यात नीति में हुए हालिया परिवर्तनों के चलते आपकी कंपनी निर्यात बाजार पर अब अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। आपकी कंपनी इस दिशा में संभावित निर्यात के लिए बाजार की खोज करने और इस रण नीति में सफल होने के लिए हर संभव तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के चलते आपकी कंपनी ने एक मित्र देश को हल्के भार वाले टॉरपिडों की आपूर्ति के लिए रु.21.5 मिलियन अमेरीकी डालर के अपने पहले निर्यात आदेश के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। साल के दौरान, आपकी कंपनी इस निर्यात आदेश अनुबंध को निष्पादित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इसी प्रयोगकर्ता देश से यू एस डी 14.33 मिलियन अमेरीकी डालर के हल्के भार वाले टॉरपिडो की आपूर्ति के आदेश प्राप्त किए हैं।

आपकी कंपनी के पास अपने उत्पाद मित्र देशों को निर्यात करने की बहुत संभावनाएँ हैं। यह मूल्यांकन 2018-19 के दौरान निर्यात आदेश के लिए एमओयू लक्ष्य पर आधारित है, जो 250 करोड़ रुपये है।

12. निदेशक मंडल :

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, नामित सरकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, कार्यकारी निदेशक और इनमें शामिल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / सर्च कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इस सरकारी सूचना में इन नियुक्तियों के विस्तृत नियम और शर्तों को भी इंगित किया जाता है जिसमें संबंधित कंपनी के नियमों की प्रामाणिकता का प्रावधान शामिल रहता है।

सरकारी निदेशक किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। जबकि, स्वतंत्र निदेशक बैठक में भाग लेने शुल्क के हकदार होते हैं जो बोर्ड द्वारा सरकार के निर्देशों, सांविधिक अधिनियम, नियम और विनियम पर विचार कर अनुमोदित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम, 2015 की पूर्ति करते हुए भारत सरकार ने 13 सितंबर, 2017 की अपनी पत्र सं. एच-62011/2/2016-डी (बीडीएल) के माध्यम से तीन नये स्वतंत्र निदेशक श्री अजय नाथ, श्री के एस संपत और श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति को 13 सितंबर, 2017 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए जो भी पहले हो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इन तीन स्वतंत्र निदेशकों के शामिल हो जाने से आपकी कंपनी 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी विनियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 का भी अनुपालन करती है।

(i) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर वक्तव्य :

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे इस अधिनियम की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ii) निदेशकों का परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन और लिस्टिंग विनियम के तहत कंपनी के सीएफओ के रूप में नामित किया है।

इनके अलावा, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं.62011 / 6/2016-डी (बीडीएल) पीटी1 दिनांक 01 मई, 2018 के तहत अवगत कराया है कि डॉ. जी सतीश रेड्डी, डीजी (एमएसएस) / डीआरडीओ, कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक (यानी सरकारी नामित निदेशक) होंगे।

इस अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के तहत श्री एस पिरमानयगम, निदेशक (वित्त) और सीएफओ आने वाली वार्षिक आम सभा में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होकर खुद को पुन: नियुक्ति के लिए पेश करने अर्ह्य होंगे।

(iii) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वर्ष 2017-18 के दौरान 08 मई, 2017, 03 अगस्त, 2017, 18 सितंबर, 2017, 20 नवंबर, 2017, 26 दिसंबर, 2017, 15 फरवरी, 2018, 28 फरवरी, 2018, 01 मार्च, 2018, 05 मार्च, 2018, 16 मार्च, 2018 और 21 मार्च, 2018 को बोर्ड की कुल ग्यारह (11) बैठकें आयोजित की गईं।

(iv) निष्पादन मूल्यांकन

बोर्ड / निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इसमें आवश्यक छूट प्राप्त है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को इसी तरह की छूट सेबी के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ {एलओडीआर}) विनियम, 2015 दिनांक पत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ डीआईएल1/ओडब्ल्यू/पी/2018/1679/1 दिनांक 17 जनवरी, 2018 के तहत प्राप्त है। कंपनी ने इस संबंध में और स्पष्टता के लिए सेबी के साथ पत्राचार भी किया है।

डेफेक्सपो-2018 में बी डी एल का प्रतिभाग

बी डी एल और डी आर डी ओ ने 'वरुणास्त्र' और 'अस्त्र' के उत्पादन संबंधी टेक्नोलॉजी अंतरण के लिए अनुज्ञप्ति करार पर हस्ताक्षर किये। माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की उपस्थिति में दि. 11 अप्रैल, 2018 को आयोजित डेफेक्सपो-2018 के अवसर पर माननीय रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष रामाराव भामरे ने हस्ताक्षरित दस्तावेज श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी, बी डी एल को सौंपे।

इस अवसर पर नौसेना प्रमुख, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं अध्यक्ष, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डी आर डी ओ और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बी डी एल स्टॉल के दौरे पर माननीय रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष रामाराव भामरे।

वाइस एडमिरल आर बी पंडित, अविसेमे, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट बी डी एल स्टॉल के दौरे पर।

श्री संजय मित्रा, आई ए एस, सचिव (रक्षा), रक्षा मंत्रालय बी डी एल स्टॉल के दौरे पर ।

ई एम ई के महानिदेशक बी डी एल स्टॉल के दौरे पर ।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय के महानिदेशक बी डी एल स्टॉल के दौरे पर।

13. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथासंशोधित धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

(i) वार्षिक लेखा-नीति तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण, सामग्री के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामलों में तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष संबंधी कंपनी के लाभ-हानि सत्य व स्पष्ट परिलक्षित हो सकें इस दृष्टि से चुनिंदा लेखा-नीति निरंतर बनाये रखी गई है तथा बनाये जाने वाले प्राक्कलन भी उचित व सही हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार लेखा-अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गई है ताकि कंपनी की आस्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके।

(iv) वार्षिक लेखा चालू संबद्ध आधारों पर किये गये हैं। और

(v) कंपनी ने उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों का सृजन किया है और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

14. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ:

31 मार्च, 2018 से लेकर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं से संबंधित रिपोर्ट – शून्य।

15. मानव-शक्ति तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण :

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।

दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर 3095 रही। इनमें अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 60 है। कुल कार्मिकों में से 79 भूतपूर्व सैनिक, 586 अनुसूचित जाति तथा 217 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमश: 18.93% और 7.01% है।

दि. 31 मार्च, 2018 तक कुल 60 अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनमें से 18 अ. जा. और 01 अ. ज. जा. श्रेणी के हैं।

दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :

श्रणी	कमचारियों की सख्या					
	कल सख्या		अनसचित जाति		अनसचित जन-जाति	
	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017	31-03-2018
ग्रुप-ए	829	856	138	153	84	86
ग्रुप-बी	60	17	14	2	04	01
ग्रुप-सी	1940	1892	348	342	110	111
ग्रुप-डी	277	266	74	71	19	18
अस्थायी	72	60	18	18	2	1
कुल	3178*	3091*	592	586	219	217

* चार कार्यकारी निदेशक छोड़कर।

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति तथा जन-जाति की भर्ती निम्न प्रकार रही :

पदों का वर्गीकरण	कल जारी रिक्तिया	कल भर्ती	पदों का आरक्षण (कॉलम 3 म स)		वष 2017-18 क दौरान की गई भर्ती	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
ग्रुप-ए	15	15	6	0	6	0
ग्रुप-बी	0	0	0	0	0	0
ग्रुप-सी	14	14	0	1	0	1
ग्रुप-डी	1	1	0	0	0	0
कुल	30	30	6	1	6	1

16. महिला नियोजन :

रक्षा मंत्रालय की दि. 27 अगस्त, 1999 की पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2018 तक महिला नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है :

I. कार्यपालक :

ग्रड	कमचारियों की कल सख्या	महिलाए	प्रतिशत
I	17	3	17.65%
II	214	30	14.02%
III	209	33	15.79%
IV	126	14	11.11%
V	88	11	12.50%
VI	167	7	4.19%
VII	40	0	0.00%
VIII	11	1	9.09%
IX	1	0	0%
कार्यकारी निदेशक	3	-	0%
सी एम डी	1	-	0%
कुल	877	99	11.29%

II. कार्यपालकेतर :

ग्रड	कमचारियों की कल सख्या	महिलाए	प्रतिशत
वेज ग्रुप-0	2	0	0.00%
वेज ग्रुप -1	13	2	15.38%
वेज ग्रुप -2	132	15	11.36%
वेज ग्रुप -3	207	24	11.59%
वेज ग्रुप -4	347	42	12.10%
वेज ग्रुप -5	147	30	20.41%
वेज ग्रुप -6	261	34	13.03%
वेज ग्रुप -7	29	4	13.79%
वेज ग्रुप -8	130	7	5.38%
वेज ग्रुप -9	17	0	0.00%
वेज ग्रुप -10	59	3	5.08%
वेज ग्रुप -11	184	9	4.89%
वेज ग्रुप -12	630	51	8.10%
कुल	2158	221	10.24%

17. दि. 31 मार्च, 2018 तक दिव्यांग कर्मचारी (पी डब्ल्यू डी) :

दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी में कुल 103 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत रहे और दिव्यांग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.33% रहा।

	एच आई	एल डी	वी आई	कल
ग्रुप-ए	0	12	5	17
ग्रुप-बी	0	1	0	1
ग्रुप-सी	18	46	8	72
ग्रुप-डी	4	5	4	13
कुल	**22**	**64**	**17**	**103**

एच आई – बधिर, एल डी – अपंग, वी आई – दृष्टिबाधित

18. मानव संसाधन विकास :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें कंपनी के 658 अधिकारी तथा 530 कर्मचारी प्रशिक्षित हुए। कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया :

(ए) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) :

आपकी कंपनी ने 2017-18 के दौरान आई आई एम - अहमदाबाद, आई आई एम – कोलकत्ता और एक्स एल आर आई जमशेदपुर जैसी भारत की प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) के लिए वरिष्ठ प्रबंधक और उनसे ऊपर के 49 वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रायोजित किया।

(बी) उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (ए एम पी):

आपकी कंपनी ने ए एस सी आई हैदराबाद द्वारा एस डी ए बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मिलानो के सहयोग से आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (ए एम पी) के लिए महाप्रबंधक स्तर के 03 प्रधान कार्यपालकों को प्रायोजित किया।

(सी) पेशायी परियोजना प्रबंधन (पीएमपी) कार्यक्रम :

कंपनी में परियोजना प्रबंधन सिद्धांत के संस्थापन के उद्देश्य से कंपनी में पीएमपी / आईपीएमए स्तर-डी प्रमाणित कार्यपालकों को परियोजनाएँ सौंपी गई ताकि वे प्राप्त ज्ञान को विकासाधीन परियोजनाओं पर लागू कर सकें।

अब तक 65 कार्यपालकों ने पी एम आई, यू एस ए के साथ अपनी ओर से नामांकन करवाया और 19 कार्यपालकों ने पी एम पी प्रमाणन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। 05 पी एम पी प्रमाणित कार्यपालकों को हैदराबाद में परियोजना प्रबंधन सम्मेलन (पी एम आई सी) में शामिल होने भेजा गया।

19. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (प्रबंधन कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। साथ ही, दि. 5 जून, 2015 की निगम मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इस पर बने नियमों से छूट प्राप्त है।

20. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संव्यवहार यात्रा तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश यात्राओं पर रु. 68.52 लाख खर्च किये।

21. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

आपकी कंपनी, सभी वर्ग के कर्मचारी अर्थात् पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संघ जैसे विभिन्न एसोसिएशन के साथ लगातार समता व मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं। सभी अनिवार्य वर्ग की समितियों जैसे कार्यकारी समिति, संरक्षा समिति और कल्याण समिति ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया है।

सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से किया जा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान बीडीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार रख रही है। इसके अलावा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ संबंधी योजना बनाकर लागू की है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों के लिए तीसरा वेतन संशोधन सफलतापूर्वक लागू किया तथा प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियन (बी डी ई यू) ने समझौता अधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद के सहयोग से दि. 28 मार्च, 2018 को कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी वेतन संशोधन पर समझौता किया है।

22. सुरक्षा :

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाई में सुरक्षा तथा अग्नि सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकी व प्रौद्योगिकी के सहयोग से कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये रखे हैं।

आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद बनाए रखी गयी है। कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है।

अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत फोटो पहचान कार्ड के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। कंपनी के अधिकाधिक परिसर क्षेत्र को सी सी टी वी निगरानी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से फैक्टरी परिसर में सी सी टी वी कैमेरा, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। सैनिकी सुरक्षा मानदंडों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैरिकेड, बूम बैरियर तथा मोर्चों को लगाया गया है।

सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम सहित सुरक्षा सप्ताह / अग्नि सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे, आपातकालीन व अग्नि दुर्घटनाओं संबंधी रखी जाने वाली सावधानियों से परिचित करवाया जाता है।

23. संरक्षा :

आपकी कंपनी में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (एस एच ई) संबंधी मानकों का कड़ा पालन किया जाता है। कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम स्तर पर दो समितियाँ – औद्योगिक संरक्षा समिति जो सांविधिक समिति है और विस्फोटक संरक्षा समितियाँ कार्यरत हैं। सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए नियमित अंतरल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। काम-काज फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप किया जाता है और एस टी ई सी (विस्फोटक भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों के अधीन विस्फोटक संरक्षा का कड़ा अनुपालन किया जाता है।

वार्षिक विस्फोटक संरक्षा लेखा-परीक्षा अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई ए), नई दिल्ली द्वारा की जाती है और लेखापरीक्षा-समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों का अनुपालन किया जाता है। साथ ही, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ भी करवायी जाती हैं।

मानव संसाधन विकास द्वारा कर्मचारियों में संरक्षा-भावना जागरूक करने तथा सुरक्षित कार्य-परिसर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संरक्षा परिषद (एन एस सी), केंद्रीय श्रमिक संस्थान (सी एल आई), क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान (आर एल आई) तथा अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली के माध्यम से संरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

वर्ष के दौरान बी डी एल संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के संरक्षा अधिकारियों ने नव-नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत आई एस टी एम – मा.सं.वि. के सहयोग से औद्योगिक संरक्षा और विस्फोटक संरक्षा विषयों पर कक्षाएँ आयोजित कीं। साथ ही, संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने कंपनी के कर्मचारियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुभवी व औद्योगिक एवं विस्फोटक संरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से अतिथि व्याख्यान भी आयोजित किये।

अग्नि-शमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर के मॉक-ड्रिल भी नियमित अंतराल से आयोजित किये जाते हैं। मार्च, 2018 के दौरान संरक्षा दिवस / सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को संरक्षा शपथ दिलायी गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और संरक्षा के प्रति कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किये गये।

24. वार्षिक विवरणिका

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका का सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न किया गया है।

25. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:

आपकी कंपनी पर्यावरण को स्वच्छ व हरा-भरा बनाये रखने पुन:चक्रण, पुन: उपयोग और घटाव के तरीके अपनाकर साफ-सुथरी प्रौद्योगिकी लाने और पर्यावरण हरा-भरा रखने प्रणाली रूप से उत्तम परिपाटियों को शामिल करती जा रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ व स्क्रैप का निपटान, फूल लगने वाले पौधे तथा बागवानी, अशुद्ध जल को शुद्ध कर उपयोग में लाने जैसे पर्याहितैषी काम किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी, कोर-समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा करती आ रही है।

सभी तरह के प्रदूषण को नियंत्रित कर रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i) संचालन की सहमति:

भानूर और विशाखापट्टणम इकाइयों को संचालन के लिए वैध सहमति प्राप्त है। कंचनबाग इकाई के लिए वर्तमान वैधता की समाप्ति से पहले सहमति के नवीकरण के लिए आवेदन दे दिया गया है जो ते.रा.प्र.नि.बोर्ड (टी एस पी सी बी) में प्रक्रियाधीन है।

ii) अपशिष्ट प्रबंधन :

कैंटीन में बचे भोजन का निपटान खाद के रूप में या इसे जानवरों को खिला कर किया जाता है। हानिकारक अपशिष्ट / ई-अपशिष्ट तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

के साथ पंजीकृत एजेंसी को दिया जा रहा है। लेड एसिड बैटरियाँ, वापस-खरीद विकल्प के साथ प्राधिकृत पुन:चक्रक / डीलर को दी जा रही हैं। धातुपरक स्क्रैप का निपटान भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स एम एस टी सी के माध्यम से किया जा रहा है।

iii) पर्यावरण मानदंडों का परीक्षण :

पर्यावरणीय मानदंड़ जैसे परिवेशी वायु गुणता, मल-जल संयंत्र तथा अपशिष्ट जल संयंत्र का व्यर्थ जल, डीज़ल जनरेटर सेट की वायु गुणता तथा वेंटूरि स्क्रबर का परीक्षण अधिप्रमाणित एजेंसियों द्वारा तीनों इकाइयों में किया जाता है और इससे प्राप्त परिणाम पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की निर्धारित सीमाओं में पाये गये हैं।

iv) विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का आयोजन

विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का आयोजन बीडीएल की तीनों इकाइयों में किया गया। इस अवसर पर 'कनेक्टिंग पिपुल टू नेचर' ('प्रकृति से जन-जुड़ाव') विषय पर प्रमुख जगहों पर बैनर लगवाए गए। और वृक्षारोपण किया गया। साथ ही, बहुभाषी निबंध लेखन, श्लोगन लेखन, प्रश्नमंच जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई और सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। उपरोक्त विषय पर अतिथि व्याख्यान भी आयोजित किये गये।

दि. 05 जून, 2017 को कंचनबाग इकाई में वृक्षारोपण करते हुए **श्री वी उदय भास्कर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।** साथ में हैं - **श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त), श्री के दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) तथा महाप्रबंधकगण।** इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यपालक सहित कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 40 प्रकार के पौधे रोपे गये।

26. गुणता :

आपकी कंपनी एकल प्रयुक्त उत्पाद बनाती है। उत्पादों का कड़े गुणता मानक तथा उच्च विश्वसनीयता युक्त होना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य-प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने पिछले 22 वर्ष से आई एस ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय गुणता प्रबंधन नीतियाँ अपना रखी हैं। वर्तमान में सीपी-आईजीएमपी प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एवं डी अण्ड ई प्रभाग आई एस ओ 9001: 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित हैं।

मिलान, आकाश प्रभाग तथा भानूर इकाई को ए एस 9100डी एअरोस्पेस मानक से अधिप्रमाणित किया गया है। अन्य आई एस ओ प्रमाणित प्रभाग भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ए एस 9100डी के उन्नयन की योजना बना रहे हैं।

आई एस ओ / आई ई सी 17025 :2005 (एन ए बी एल) से अधिप्रमाणित मिलान प्रभाग और भानूर इकाई लैब के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंशमापन द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मूल्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप रख देखे जा सकते हैं।

कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीनों इकाइयाँ आई एस ओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) से अधिप्रमाणित हैं।

आपकी कंपनी आई एस ओ 27001 : 2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) से अधिप्रमाणित है। भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

वर्ष के दौरान सभी आई एस ओ / ए एस अधिप्रमाणित प्रभागों का बाहरी एजेंसियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षाएँ की गई। इन सभी प्रभागों द्वारा विनिर्मित प्रमुख उत्पादों की ग्राहक संतुष्टि का आकलन किया जाता है।

आपकी कंपनी ग्राहकों के साथ बैठकें, प्रयोगकर्ताओं से संपर्क आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जहाँ आवश्यक हो, सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

27. राजभाषा कार्यान्वयन :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी एवं निदेशकगण की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल तथा संसदीय समितियों के लिए प्रस्तुति, कंपनी का परिचय आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

दि. 01 से 14 सितंबर, तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। हिन्दी दिवस दि. 19 सितंबर को मनाया गया। इस अवसर पर कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम इकाइयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों के अनुपालन में हिंदी पक्षोत्सव समारोह के दौरान दि. 10 सितंबर को कंचनबाग में 'गाज़ी अटैक' और भानूर इकाई में 'हॉली डे' फिल्में मल्टीमीडिया के ज़रिए दिखायी गयीं।

बीडीएल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए 45 उपक्रमों की इस समिति के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। सी एम डी, बी डी एल एवं इस समिति के अध्यक्ष ने 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के रूप में शील्ड प्राप्त की और उप महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं समिति के सदस्य सचिव को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह, अग्नि संरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस तथा क़ौमी एकता दिवस के अवसर पर कंपनी में अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल करने तथा इन विषयों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया।

हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों में पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए नियमित रूप से (1) हिंदी मिलाप (2) स्वतंत्र वार्ता (3) अनुवाद (4) साहित्य अमृत (5) आविष्कार (6) योजना (7) रोजगार समाचार (8) प्रतियोगिता दर्पण (9) मेरी सहेली (10) दक्षिण समाचार (11) गोलकोण्डा दर्पण (12) वाक् (13) श्री मिलिंद पत्रिका (14) नया ज्ञानोदय (15) स्वतंत्र वार्ता जैसी विभिन्न हिंदी पत्रिकाएँ और समाचार पत्र मँगाये जाते हैं। इसी क्रम में राजभाषा विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रति वर्ष विभिन्न विषयों पर हिंदी किताबें भी खरीदी जाती हैं।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार की गई है और समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है।

28. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च :

सार्वजनिक रक्षा उपक्रम होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च संबंधी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर सं. 680 (ई), दि. 4 सितंबर, 2015 के तहत सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को इनसे छूट प्राप्त है।

नवीकरण ऊर्जा

भारत के माननीय प्रधान मंत्री को दिए गए 'ग्रीन एनर्जी' आश्वासन के तहत आपकी कंपनी अपनी इकाइयों में 10 मेगावाट के ग्रिड युक्त सौर-ऊर्जा संयंत्र लगवाने के प्रति प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भानूर इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो सितंबर, 2017 से परिचालन में आ गया है। इससे तैयार सौर ऊर्जा को नंदिगाम सब-स्टेशन स्थित तेलंगाना राज्य विद्युत ऊर्जा ग्रिड के साथ जोड़ा गया और इस बिजली का उपयोग बीडीएल-भानूर इकाई की खपत के लिए किया जा रहा है। फलस्वरूप बिजली लागत में कमी आयी और बचत में वृद्धि हुई है।

इब्राहीमपट्टणम इकाई में मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाने का काम जारी है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में चालू हो जाएगा। इस तरह जनित सौर ऊर्जा को मंगलपल्ली सब-स्टेशन स्थित तेलंगाना राज्य विद्युत ऊर्जा ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस तरह उत्पन्न बिजली का उपयोग बी डी एल–कंचनबाग परिधि में होने वाली खपत के लिए किया जाएगा।

सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा प्रणाली ऐसी नवीकरण ऊर्जा है जो पर्याहितैषी और गैर-प्रदूषणकारी होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित जगहों पर ग्रिड युक्त सौर फोटो वोल्टिक (पीवी) रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किये गये :

ए) मिलान कैंटीन भवन की छत पर 100 किलोवाट ग्रिड युक्त सौर पीवी पावर प्लांट स्थापित किया गया जो दिसंबर 2015 से परिचालन में है।

बी) एक और 100 किलोवाट ग्रिड युक्त सौर पीवी पावर प्लांट डी अण्ड ई भवन की छत पर स्थापित किया गया जो फरवरी, 2016 से परिचालन में है।

29 सतर्कता :

दि. 30 अक्तूबर से 04 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

दि. 30 अक्तूबर, 2017 को श्री के दिवाकर, निदेशक (तकनीकी), बी डी एल ने सतर्कता शपथ दिलायी जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी प्राधिकारियों के संदेशों का वाचन किया। बी डी एल के सभी प्रभाग – i) कंचनबाग – हैदराबाद, ii) भानूर – संगारेड्डी जिला, तेलंगाना और iii) विशाखापट्टणम – आंध्र प्रदेश में शपथ-ग्रहण तथा संदेश वाचन कार्यक्रम लाइव वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुआ। इसी दिन 'मेरा उद्देश्य – भ्रष्टाचार मुक्त भारत' मुख्य विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आरंभ की घोषणा भी की गई।

दि. 31 अक्तूबर, 2017 को बी डी एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बी डी एल – भानूर, संगारेड्डी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पी वी के रमण प्रसाद, मुख्य प्रधान विधि सलाहकार, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, तेलंगाना राज्य ने बी डी एल टाउनशिप ऑडिटोरियम, भानूर में अतिथि व्याख्यान दिया।

इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत दि. 01 नवंबर, 2017 को सुश्री अनुपमा झा, पूर्व अधिशासी निदेशक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अतिथि व्याख्यान दिया और मिधानि सम्मेलन कक्ष, कंचनबाग, हैदराबाद में वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ परिचर्चा सत्र में भाग लिया।

इस दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के अंतर्गत दि. 3 नवंबर, 2017 को आयोजित समापन समारोह में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व उच्च न्यायाधीश जस्टिस जी वी सीतापति ने 'मेरा उद्देश्य – भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर अतिथि व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उच्च न्यायाधीश जस्टिस जी वी सीतापति ने मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र व अन्य दस्तावेजी-संकलन के आधार पर तैयार 'सतर्कता मैनुअल' का विमोचन किया। इसके बाद अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

दि. 30 अक्तूबर, 2017 को बी डी एल – कंचनबाग, भानूर, बड़ामाफ़ी और विशाखापट्टणम इकाइयों के कर्मचारी और कॉलेज विद्यार्थियों को 'नागरिकों के लिए एकता शपथ' दिलायी गयी।

सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक / पूर्व सक्रिय सतर्कता है। सतर्कता विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-निविदा, भर्ती एवं प्रबंधन प्रशिक्षुओं का आमेलन, त्यागपत्र, ई-भुगतान, ई-खरीद, विभागीय पदोन्नतियाँ, विदेश यात्राएँ कर्मचारियों को दिये जाने वाले मेरिट अवार्ड, सिविल कार्य जैसे विषयों के संबंध में प्रबंधन को सुझाव दिए गए। वर्ष के दौरान कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से वार्षिक संपत्ति विवरणिका के ऑनलाइन भरे जाने का भी कार्यान्वयन किया गया।

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान और निगम मामले एवं डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधन के साथ पठनीय कंपनी नियमावली, 2014 के क्रम में सी एस आर नीति के अनुसार कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। ये कार्यक्रम / गतिविधियाँ / परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किये जाते हैं और इसे विधिवत रूप से सी एस आर नीति में शामिल किया गया है जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक नियम भी हैं।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के मुताबिक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति (नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट का संदर्भ लें) का गठन किया गया है। गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर गतिविधियों / परियोजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक मंडल को सी एस आर नीति की सिफारिश की है।

सी एस आर एवं एस डी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सावधिक तौर पर समिति द्वारा किया जाता है और सी एस आर एवं एस डी गतिविधि संबंधी वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

आपकी कंपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ संपन्न कर रही है।

सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेय जल आदि आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेय जल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों पर 1839.40 लाख रुपये खर्च किये और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक लक्ष्य हासिल किया।

कंपनी द्वारा संचलित सी एस आर गतिविधियों की जानकारी कंपनी वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर दी गई है।

31. लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी में अच्छे नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति कार्यरत है। वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान छ: बैठकें बुलायी गई। इस समिति के गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

32. संबंधित पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं पाया गया जिससे कंपनी को किसी प्रकार की हित बाधा पहुँचती हो। अत: फॉर्म एओसी-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है । सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए लेखा संबंधी टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी नीति कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर अपलोड की गई है।

33. ऋण, गारंटी या निवेश संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं।

34. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय औचित्य के मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा हर प्रकार के आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाह्य लेखापरीक्षक फर्म की भी नियुक्ति की गई है। आंतिरक लेखापरीक्षा फर्म तथा आपकी कंपनी के आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग की विश्लेषण रिपोर्टें समीक्षा व सुझाव के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा कर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। टिप्पणियों व लेखाओं में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

35. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स एस आर मोहन अण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेखापरीक्षकों ने लेखाओं की लेखापरीक्षा की और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक विवरण के अंग के रूप में दी गयी है।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त कंपनी के लेखा पर दी गई टिप्पणी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद दी गई है।

37. लागत लेखापरीक्षक :

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स डी ज़ेड आर अण्ड कंपनी को लागत लेखापरीक्षक, हैदराबाद के रूप में नियुक्त किया।

38. साचिविक लेखापरीक्षा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए श्री वाई रमेश, पेशेवर कंपनी सचिव, (पीसीएस पंजीकरण संख्या 7929) को नियुक्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 3** के रूप में संलग्न है।

साचिविक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 31 (2) के अनुसार, प्रवर्तक और प्रवर्तक ग्रुप की शत-प्रतिशत शेयरहोल्डिंग डिमेटीरियलाइज्ड रूप में होगी। यद्यपि, दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति के नामित छ: शेयरहोल्डर के पास बारह ईक्विटी शेयर भौतिक रूप में हैं।

सूचित किया जाता है कि कंपनी हाल ही में दि. 23 मार्च, 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई है। आईपीओ दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार डी-मेटीरियलाइजेशन के उद्देश्य से दि. 30 मई, 2018 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त अनुमोदन अनुसार सूचीबद्ध होने के उपरांत भौतिक रूपी नामित शेयर भारत के राष्ट्रपति को वापस कर दिये गये हैं।

39. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन :

सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस ई बी आई) लिस्टिंग विनियम तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

40. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सी पी एस ई) के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-4** के रूप में संलग्न की गई है।

41. नैगमिक अभिशासन :

नैगमिक अभिशासन, उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से जुड़ा है ताकि कंपनी के भागीदारों की मान-वृद्धि हो और सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके।

कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है।

सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) /2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के तहत, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर इसकी शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-5** के रूप में संलग्न है।

नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 'सेबी', रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए रक्षा मंत्रालय से नैगमिक अभिशासन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया है और वर्ष 2017-18 के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

42. आपदा प्रबंधन :

सी पी एस ई – 2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर डी पी ई दिशा-निर्देश के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण और संरेखण परिचालन उद्देश्यों के साथ हो। साथ ही, यह भी कि आपदा प्रबंधन सामान्य संव्यवहार के अंग के रूप में लिया जाए न कि समय-समय पर स्थापित एक अलग गतिविधि के रूप में।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति बनायी है जो कंपनी के सभी स्तरों पर तथा सभी इकाइयों में समान रूप से लागू है। आपदा प्रबंधन नीति के तहत यह सुनिश्चित करना भी एक उद्देश्य है कि कंपनी के सभी वर्तमान तथा भविष्य आपदा क्षेत्रों की पहचान कर, उनका मूल्यांकन कर, मात्रा निर्धारित कर इसे समुचित रूप से खत्म कर इनका प्रबंधन किया जाए।

प्रभाग स्तरों पर आपदा की वर्तमान स्थिति की पहचान कर इसे खत्म करने के लिए मानक तैयार करने तथा उनके मानकों के मूल्यांकन के लिए समितियाँ गठित की गई हैं। इस संबंध में आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और तत्संबंधी रिपोर्ट कम से कम वर्ष में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार, दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बाजार पूँजीकरण के आधार पर आपकी कंपनी के लिए आपदा प्रबंधन समिति का गठन लागू नहीं होता है।

43. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :

कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने 'यौन उत्पीड़न विरोधी नीति' लागू की है। वर्ष 2017-18 के दौरान यौन-उत्पीड़न संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन :

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी की सूचना कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें कंपनी का सामान्य परिचय, क्रियाकलाप, अधिकारी / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम-विनियम, कंपनी द्वारा रखे जाने वाले मैनुअल और रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की सूची, अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान, सूचना प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया आदि शामिल है। प्रश्न और अपील देखने के लिए कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। आगे, वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कुल 105 आवेदन / प्रश्न प्राप्त किये जिनका निपटारा कर दिया गया।

45. विज़िल मेकानिज़्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के साथ पठनीय कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 तथा सी पी एस ई के लिए डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा व्हिज़िल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) / व्हिज़िल मेकानिज़्म का अनुमोदन दिया गया था जिसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इस नीति में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधा संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है।

46. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूँजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत, व्यापार और प्रशासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति का रूप तैयार किया है जिसमें रक्षा उपक्रम के रूप में बीडीएल कार्यरत है। वर्ष के लिए कंपनी की बी आर रिपोर्ट **अनुलग्नक 6** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

47. लाभांश वितरण नीति :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम , 2015 के अनुसार, बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ एक 'लाभांश वितरण नीति' तैयार करेंगी। स्टॉक एक्सचेंजों के द्वारा जारी बाजार पूँजीकरण डॉटा के अनुसार, आपकी कंपनी 500 सूचीबद्ध शीर्षस्थ कंपनियों की सूची में आती है। अत: चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से आपकी कंपनी के लिए उक्त नीति लागू होगी।

तदनुसार, लाभांश वितरण नीति अपनायी गयी ताकि शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और / या लाभ को संव्यवहार में लगाने के लिए मानदंड व परिस्थितियों का निर्धारण करने पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा सकें। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध है।

48. आभार-प्रदर्शन :

आपके निदेशक-गण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणियाँ, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षक, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सहयोग तथा सुझाव के लिए निदेशक मंडल कंपनी के अभिलेखों में अभिलिखित करता है।

निदेशक, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति-पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 06669311

स्थान : विशाखापट्टणम
तिथि : 20 जुलाई, 2018

अनुलग्नक – 1

फॉर्म संख्या एमजीटी - 9

वार्षिक विवरण का सार

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i)	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L24292TG1970GOI001353
ii)	पंजीकरण तिथि	:	16 जुलाई, 1970
iii)	कंपनी का नाम	:	भरत डायनामिक्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	मिनीरत्न श्रेणी -1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	कंचनबाग , हैदराबाद -500058 दूरभाष : + 91 4024344979
vi)	निगम कार्यालय और संपर्क विवरण	:	टीएसएफसी बिल्डिंग, फाइनोंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्ची बाउली, हैदराबाद - 500032 दूरभाष : + 91 40 23456145
vi)	क्या सूचित कंपनी है?	:	हाँ
vii)	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो तो	:	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 दूरभाष : + 91 11 42541234 Facsimile: +91 11 41543474

II. कंपनी की प्रमुख संव्यवहार गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली संव्यवहार गतिविधियों का उल्लेख करें :

क्र.स.	मल उत्पाद / सवाओ का नाम और विवरण	उत्पाद / सवा का एनआईसी कोड	कपनी क कल कारोबार का 10 %
1.	दि. 05 जून 2015 की शून्य संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त।		

III. स्वामित्व, अधीनस्थ व सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.स.	कपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	स्वामित्व / अधीनस्थ / सहयोगी	शयर का %	लाग लर
			- शून्य -		

IV. शेयर धारण की पद्धति

(कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयर धारण

शयरधारकों की श्रणी	वष क आरभ म धारित शयरों की सख्या (@ 1000 / रुपय का अकित मल्य)				वष क अत तक धारित शयरों की सख्या (प्रति 10 / रुपय का @ अकित मल्य)				वष क दौरान परिवतन का %
	डीमट	भौतिकत:	कल	कल शयरों का %	डीमट	भौतिकत:	कल	कल शयरों का %	
ए. प्रचारक									
1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक / एच यू एफ (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	-	2	2		-	12	12		-
बी) केंद्र सरकार	-	1221875	1221875	100%	160829285	-	160829285	87.75	-12.25%
सी) राज्य सरकारें	-	-	-		-	-	-	-	-
डी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक /वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (1)	-	1221875	1221875	100%	160829285	12	160829297	87.75	-12.25%
2) विदेशी									
ए) विदेशी – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य-वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रचारक के कुल शेयर (ए) = (ए) (1) + (ए) (2)	-	1221875	1221875	100%	160829285	12	160829297	87.75	-12.25%

शयरधारकों की श्रणी	वष क आरभ म धारित शयरों की सख्या (@ 1000 / रुपय का अकित मल्य)				वष क अत तक धारित शयरों की सख्या (प्रति 10 / रुपय का @ अकित मल्य)				वष क दौरान परिवतन का %
	डीमट	भौतिकत:	कल	कल शयरों का %	डीमट	भौतिकत:	कल	कल शयरों का %	
बी. सार्वजनिक शेयर धारण									
1. संस्थाएँ									
ए) म्यूचुअल फण्ड	-	-	-	-	5056573	-	5056573	2.76	-
बी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	2448767	-	2448767	1.34	-
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर पूँजी निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनी	-	-	-	-	4832297	-	4832297	2.64	-
जी) एफआईआईएस	-	-	-	-	7315	-	7315	0.00	-
एच) विदेशी वेंचर पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (बी) (1)	-	-	-	-	12344952	-	12344952	6.74	-
2. गैर-संस्थाएँ									
ए) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-		-		-	-
(i) भारतीय	-	-	-	-	655152	-	655152	0.36	-
(ii) ओवरसीज़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) वैयक्तिक i) वैयक्तिक रु.1 लाख रुपये तक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	7988402	-	7988402	4.36	-
ii) रु.1 लाख रुपये से अधिक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	565325	-	565325	0.31	-
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
न्यास	-	-	-	-	490		490	0.00	-
एचयूएफ	-	-	-	-	365834	-	365834	0.20	-
एनआरआई	-	-	-	-	199184		199184	0.11	-
कर्मचारी	-	-	-	-	51241		51241	0.03	-
समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	281373		281373	0.15	-
उप-कुल बी (2):	-	-	-	-	10107001	-	10107001	5.51	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारक (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	-	-	-	-	22451953	-	22451953	12.25	-
सी) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा लिये गये शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए + बी + सी)	-	1221875	1221875	100%	183281238	12	183281250	100%	-

ii) प्रचारकों की शेयरधारिता

शयरधारकों का नाम	वष क आरभ म धारित कल शयर (01 अप्रल, 2017)			वष क अत तक कल शयरधारकों की सख्या (31 माच, 2018)		
	शयरों की सख्या (प्रति 1000/- रुपय क @ एफवी)	कपनी क कल शयरों का %	कल शयर म स बधित / भारित शयर का %	शयरों की सख्या (प्रति 10/- रुपय क @ अकित मल्य)	कपनी क कल शयरों का %	कल शयर म स बधित / भारित शयर का %
1 भारत के राष्ट्रपति	1221873	100%	-	160829285	87.75%	-
भारत के राष्ट्रपति के नामित						
वी उदय भास्कर	1	0%	-	2	0%	-
एस पिरमनायगम	1	0%	-	2	0%	-
डॉ. अमित सहाय	-	-	-	2	0%	-
अश्वनी कुमार	-	-	-	2	0%	-
वी गुरुदत्त प्रसाद	-	-	-	2	0%	-
के दिवाकर	-	-	-	2	0%	-

iii) प्रचारक शेयरधारकों में बदलाव :

क्र.स.	शयरधारकों का नाम	वष क आरभ म कल शयरधारण		तारीख	शयर धारण म वद्धि / अपवद्धि	कारण	वष क दौरान सचित शयरधारण	
		शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %				शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1221873	100%	2017/01/04	-	-	1221873	100%
				2017/08/05	120965427	उप विभाजन	122187300	100%
				2017/03/08	194	नामित से अंतरण	122187494	100%
				26/09/2017	(30546875)	वापस खरीद	91640619	100%
				15/02/2018	91640619	बोनस शेयर	183281238	100%
				22/03/2018	(22451953)	बिक्री के लिए प्रस्ताव	160829285	87.75 %
				31/03/2018	-	-	160829285	87.75%
	भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित							
ए)	वी उदय भास्कर	1	0%	2017/01/04	-	-	1	0%
				2017/08/05	99	उप विभाजन	100	0%
				2017/03/08	(99)	अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%
ख)	एस पिरमानायगम	1	0%	2017/01/04	-	-	1	0%
				2017/08/05	99	उप विभाजन	100	0%
				2017/03/08	(99)	अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%
सी)	डॉ. अमित सहाय	-	-	2017/01/04	-	-	-	-
				26/12/2017	1	अन्य नामित से अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%
घ)	अश्विनी कुमार	-	-	2017/01/04	-	-	-	-
				2017/03/08	1	अन्य नामित से अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%
ई)	वी गुरुदत्त प्रसाद	-	-	2017/01/04	-	-	-	-
				2017/03/08	1	अन्य नामित से अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%
च)	के दिवाकर	-	-	2017/01/04	-	-	-	-
				2017/03/08	1	अन्य नामित से अंतरण	1	0%
				15/02/2018	1	बोनस शेयर	2	0%
				31/03/2018	-	-	2	0%

iv) दस उच्चतम शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (निदेशक, प्रचारक तथा जीडीआर और धारकों के अतिरिक्त) :

क्र.स.	शयरधारक का नाम	तारीख	वष क आरभ म शयरधारण		वष क दौरान सचित शयरधारण	
			शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %	शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम					
	वर्ष के आरंभ में	2017/01/04	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	4089614	2.23	4089614	2.23
	वर्ष के अंत में	31/03/2018	4089614	2.23	4089614	2.23
2	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-एचडीएफसी ईक्विटी फण्ड					
	वर्ष के आरंभ में	2017/01/04	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	3265331	1.78	3265331	1.78
	वर्ष के अंत में	31/03/2018	3265331	1.78	3265331	1.78

क्र.स.	शयरधारक का नाम	तारीख	वष क आरभ म शयरधारण		वष क दौरान सचित शयरधारण	
			शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %	शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फण्ड					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	895621	0.49	895621	0.49
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**895621**	**0.49**	**895621**	**0.49**
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाउसिंग अपार्चुनिटीस फण्ड - 1140 डी					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	895621	0.49	895621	0.49
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**895621**	**0.49**	**895621**	**0.49**
5	बैंक ऑफ बड़ौदा					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	868878	0.47	868878	0.47
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**868878**	**0.47**	**868878**	**0.47**
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	695087	0.38	695087	0.38
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**695087**	**0.38**	**695087**	**0.38**
7	जनरल इंश्यूरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	521322	0.28	521322	0.28
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**521322**	**0.28**	**521322**	**0.28**
8	दि न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	434426	0.24	434426	0.24
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**434426**	**0.24**	**434426**	**0.24**
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-	-	-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	276611	0.15	276611	0.15
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**276611**	**0.15**	**276611**	**0.15**
10	धुनसेरी पेट्रोकेम लिमिटेड					
	वर्ष के आरंभ में	**2017/01/04**	-		-	-
	आईपीओ में आबंटन	22/03/2018	233625	0.13	233625	0.13
	वर्ष के अंत में	**31/03/2018**	**233625**	**0.13**	**233625**	**0.13**

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण:

प्रत्यक उच्च 10 शयरधारकों क लिए	वष क आरभ म शयरधारण		वष क दौरान सचित शयरधारण	
	शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %	शयरों की सख्या	कपनी क कल शयरों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस स्वेट ईक्विटी आदि)				
वर्ष की समाप्ति पर (या वर्ष के दौरान अलग हो जाने की स्थिति में अधिवर्षिता की तारीख पर)				

V) ऋणग्रस्तता

बकाया ऋण / भुगतान के लिए बकाया नहीं ऐसा प्रोद्भूत ब्याज मिलाकर कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	निक्षप क अतिरिक्त लिय गय सरक्षित ऋण	असरक्षित ऋण	जमा	कल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर नहीं दिया गया iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • कमी		शून्य		
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर नहीं दिया गया iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				

VI निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(राशि रुपये में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यटीआई / प्रबधक का नाम				कल राशि
		वी उदय भास्कर अध्यक्ष एव प्रबध निदशक	एस पिरमानयगम निदशक (वित्त)	वी गरुदत्त प्रसाद निदशक (उत्पा.)	क दिवाकर निदशक (तकनीकी)	
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	54,72,593	46,28,824	45,82,359	52,54,145	1,99,37,921
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17(2) अनुसार अनुलाभ	6,42,910	32,400	32,400	32,400	7,40,110
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	-	-	-	-	
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (ए)	**61,15,503**	**46,61,224**	**46,14,759**	**52,86,545**	**2,06,78,031**

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

(राशि रुपये में)

क्र. स.	पारिश्रमिक क विवरण	निदशक क नाम					कल राशि
		सषमा वी दबक	प्रो.अजय पाण्डय	अजय नाथ	क एस सपत	लता नरसिम्ह मति	
1.	स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें	3,50,000	2,60,000	1,70,000	1,10,000	2,40,000	11,30,000
	कुल (1)	3,50,000	2,60,000	1,70,000	1,10,000	2,40,000	11,30,000
2.	स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें	शून्य					
3.	कुल (2)	शून्य					
4.	कुल (बी) = (1 + 2)	11,30,000					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)	2,1808,031					
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमांत	दि. 05.06.2015 की 463 (ई) संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त।					

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	मख्य प्रबधकीय कामिक
		कपनी सचिव
		एन नागराज
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 के 17(1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	14,83,904
	बी) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान 17(2) अनुसार अनुलाभ	-
	सी) आयकर धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन लाभ	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-
4.	लाभ के % के रूप में कमीशन	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें	-
	कुल	**14,83,904**

टिप्पणी : निदेशक (वित्त) कंपनी के सी एफ ओ भी हैं। इसलिए कोई अलग प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं किया गया है।

VII) अपराध पर जुर्माना / दंड़ / निपटान :

प्रकार	कपनी अधिनियम की धारा	सक्षिप्त विवरण	लगाया गया जमाना / दड़ / निपटान शल्क क विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / अदालत]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण द)
ए. कंपनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
बी. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-

अनुलग्नक – 2

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास पर वार्षिक रिपोर्ट [कंपनी नियमावली, 2014 का नियम 8 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)]

ए) कंपनी की सी एस आर एवं एस डी नीति का संक्षिप्त परिचय

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चला रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बी डी एल तत्काल तीन पिछले वित्तीय वर्षों के औसत का शुद्ध 2% लाभ खर्च कर रहा है।

सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेय जल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

सी एस आर के तहत बीडीएल की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन।
- तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम जिले में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट के माध्यम से उम्रदराज लोगों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण।
- आरा ओ जल शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पेय जल।
- सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और उनका रखरखाव।
- सरकारी आई टी आई को अपनाना।
- बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
- स्वच्छता और स्वच्छ भारत
- दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण
- शिक्षा का प्रचार। (सरकारी स्कूलों में दो खाने वाले डेस्क का वितरण)

सी एस आर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

बी) 31 मार्च, 2018 तक सी एस आर समिति की संरचना

1	श्री अजय नाथ स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्रीमती सुषमा वी दबक स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सी एफ ओ	सदस्य
4	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन)	सदस्य
5	श्री के एस संपत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	प्रोफेसर अजय पाण्डेय स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

सी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसतन निवल लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसतन निवल लाभ : रु. 75477 लाख।

डी) निर्धारित सी एस आर व्यय :

निर्धारित सीएसआर व्यय अर्थात् उपर्युक्त मद सं. (सी) में बताई गई राशि का 2% रु. 1509.54 लाख।

ई) वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई सी एस आर राशि का विवरण :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि : रु. 1509.54 लाख

ii) व्यय नहीं की गई राशि, यदि है तो : शून्य

iii) वर्ष के दौरान यह राशि कैसे खर्च की गई है, इसका विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपनाई गई सी एस आर गतिविधियाँ

[कंपनी (सी एस आर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित फार्मेट]

(लाख रुपये में)

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. स.	सी एस आर परियोजना एव पहचानी गई गतिविधि	परियोजना क अतगत आन वाला क्षत्र	परियोजनाए या कायक्रम		कायक्रम या परियोजनावार आबटित राशि (बजट)	परियोजना या कायक्रम पर खच राशि उप-शीष :		रिपोटिग अवधि तक सचित व्यय	सीध या कायान्वयन एजसी क माध्यम स खच की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एव जिल का नाम जहा परियोजना या कायक्रम चलाए गए		परियोजनाओ या कायक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहड		
1	मध्याह्न भोज योजना पटानचेरु	शिक्षा	स्थानीय	संगारेड्डी , तेलंगाना	107.00	84.77	शून्य	84.77	अक्षय पात्र फाउंडेशन
2	मध्याह्न भोज योजना विशाखापट्टणम	शिक्षा	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	53.50	42.89	शून्य	42.89	अक्षय पात्र फाउंडेशन
3	नलगोंडा में स्वास्थ्य संरक्षण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	नलगोंडा, तेलंगाना	29.06	18.43	शून्य	18.43	हेल्प एज इंडिया
4	विशाखापट्टणम में स्वास्थ्य संरक्षण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	22.49	14.75	शून्य	14.75	हेल्प एज इंडिया
5	शुद्ध पेय जल	पेय जल की आपूर्ति	स्थानीय	नलगोंडा , तेलंगाना	5.42	5.42	शून्य	5.42	नांदी फाउंडेशन
6	इंडो-जर्मन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आईजीआईएटी) के माध्यम से कौशल विकास	कौशल विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	50.00	29.99	शून्य	29.99	इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
7	सीआईपीईटी के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	50.00	39.65	शून्य	39.65	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एँड टैक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), हैदराबाद
8	कृत्रिम अवयवों का वितरण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	सिद्धिपेट , तेलंगाना	20.00	13.23	शून्य	13.23	भारतीय कृत्रिम अवयव विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)
9	भारतीय अंध संगठन को लेखन-सामग्री	शिक्षा	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	0.21	0.21	शून्य	0.21	सीधा
10	आईटीआई (सरकारी आईटीआई ओल्ड सिटी और सरकारी आईटीआई अलवाल, हैदराबाद) को अपनाना	कौशल विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	158.77	33.72	शून्य	33.72	सीधा
11	तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूलों के शौचालयों का रखरखाव	स्वच्छता	स्थानीय	संगारेड्डी , नलगोंडा, रंगा रेड्डी, तेलंगाना	37.08	30.90	शून्य	30.90	तेलंगाना सर्वशिक्षा अभियान
12	आन्ध्र प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों के शौचालयों का रखरखाव	स्वच्छता	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	9.00	5.94	शून्य	5.94	आंध्र प्रदेश सर्वशिक्षा अभियान
13	मिलिटरी माधवराम गावँ को अपनाना	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश	658.90	153.00	शून्य	153.00	सीधा
14	गोंडुपालेम गांव को अपनाना	ग्रामीण विकास	स्थानीय	संगारेड्डी, तेलंगाना	20.00	23.25	शून्य	23.25	सीधा
15	नलगोंडा में सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल फर्नीचर	शिक्षा	स्थानीय	नलगोंडा , तेलंगाना	10.25	13.25	शून्य	13.25	सीधा

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. स.	सी एस आर परियोजना एव पहचानी गई गतिविधि	परियोजना क अतगत आन वाला क्षत्र	परियोजनाए या कायक्रम		कायक्रम या परियोजनावार आवटित राशि (बजट)	परियोजना या कायक्रम पर खच राशि उप-शीष :		रिपोटिग अवधि तक सचित व्यय	सीध या कायान्वयन एजसी क माध्यम स खच की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एव जिल का नाम जहा परियोजना या कायक्रम चलाए गए		परियोजनाओ या कायक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहड		
16	आरसीआई, बीडीएल और अन्य डीआरडीओ लैब्स में केबीसी रोड्स डेवलपमेंट, आर्बारिकल्चर प्लांटेशन	स्वच्छता	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	29.06	25.12	शून्य	25.12	सीधा
17	भानूर गांव में स्कूल भवन का निर्माण और आर ओ जल संयंत्र की कमिशनिंग	शिक्षा	स्थानीय	संगारेड्डी , तेलंगाना	268.00	3.02	शून्य	3.02	सीधा
18	कंचनबाग पीएस के परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था	अन्य	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	5.00	4.93	शून्य	4.93	हैदराबाद पुलिस विभाग
19	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के माध्यम से स्कूल शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय	संगारेड्डी , नलगोंडा, रंगा रेड्डी, तेलंगाना	19.92	19.92	शून्य	19.92	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
20	राजन्ना सिरसिल्ला जिला के लिए ट्री-गार्ड	पर्यावरणीय सातत्यता	स्थानीय	सिरसिल्ला, तेलंगाना	70.00	63.00	शून्य	63.00	जिला प्रशासन, राजन्ना सिरिसिल्ला जिला
21	स्वच्छ भारत कोष	स्वच्छता	अन्य	-	450.00	450.00	शून्य	450.00	सीधा
22	स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि	स्वास्थ्य संरक्षण	अन्य	-	100.00	100.00	शून्य	100.00	सीधा
23	सशस्त्र बलों का झंडा दिवस निधि	सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय	अन्य	-	50.00	50.00	शून्य	50.00	सीधा
24	जीएचएमसी अंडरग्राउंड कचरा डिब्बे	स्वच्छता	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	75.00	75.00	शून्य	75.00	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम
25	बधिर व्यक्तियों को कोचलीर इम्प्लांट परियोजना	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	तेलंगाना	73.79	73.79	शून्य	73.79	भारतीय कृत्रिम अवयव विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)
26	चंचलगुडा और चेरलापल्ली जेलों के माध्यम से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के लिए स्कूली फर्नीचर	शिक्षा	स्थानीय	तेलंगाना	200.00	198.50	शून्य	198.50	सेंट्रल जेल, चंचलगुडा औरचेरलापल्ली, हैदराबाद
27	आईजीआईएटी में बीडीएल डिजिटल प्रयोगशालाओं की स्थापना	कौशल विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	15.06	15.06	शून्य	15.06	इंडो जर्मन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
28	सीआईपीईटी के माध्यम से बेरोजगार युवाओं (520 प्रतिभागी) के लिए कौशल विकास	कौशल विकास	स्थानीय	तेलंगाना	184.08	184.08	शून्य	184.08	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एँड टैक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), हैदराबाद

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. स.	सी एस आर परियोजना एव पहचानी गई गतिविधि	परियोजना क अतगत आन वाला क्षेत्र	परियोजनाए या कायक्रम		कायक्रम या परियोजनावार आबटित राशि (बजट)	परियोजना या कायक्रम पर खच राशि उप-शीष :		रिपोटिग अवधि तक सचित व्यय	सीध या कायान्वयन एजसी क माध्यम स खच की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एव जिल का नाम जहा परियोजना या कायक्रम चलाए गए		परियोजनाओ या कायक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहड		
29	सीएसआर प्रशासनिक ओवरहेड्स	अन्य	-	हैदराबाद, तेलंगाना	-	67.59	शून्य	67.59	सीधा
					2751.67 *	1839.40		1839.40	

* टिप्पणी : यह एक अनुमानित परियोजना लागत है जिसके लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। ध्यान दें कि अधिनियम के प्रावधानानुसार कंपनी को सी एस आर गतिविधियों के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 1509.54 लाख (अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसतन निवल लाभ का 2%) रुपये खर्च करना था। यद्यपि, कंपनी ने पिछले वर्ष में खर्च न की गई राशि मिलाकर रु.1839.40 लाख खर्च किये हैं। अत: इस संबंध में कोई कमी नहीं है तथा इसका पूर्ण अनुपालन किया गया है।

एफ) यदि कंपनी, पिछले तीन वर्षों के औसतन निवल लाभ की 2% राशि पूरी तरह से या उसका कोई अंश खर्च नहीं कर पाती है तो कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इसका विवरण देगी।

-शून्य–

जी) सी एस आर समिति द्वारा सी एस आर नीति संबंधी उत्तरदायित्व वक्तव्य कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप है।

यह व्यक्त किया जाता है कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप हुआ है।

स्थान : विशाखापट्टणम
तारीख : 30 मई 2018

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 06669311

अजय नाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति

अनुलग्नक – 3

फॉर्म संख्या एमआर -3

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक)]

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

{दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए}

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मैंने लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड (आगे 'कंपनी' नाम से अभिहित है) द्वारा अच्छी नैगमिक प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि मुझे नैगमिक परिपाटियाँ / संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियाँ, कागज़ात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और साचिविक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मैं अभिलिखित करता हूँ कि मेरी राय में दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वितीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यत: नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

मैंने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागज़ात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बने नियम;

(iii) डिपॉजिटरीज (निक्षेपागार) अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अंतर्गत बने उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश : -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का ठोस अधिग्रहण और टेकओवर);
(कंपनी के लिए सूचीबद्ध होने की तारीख अर्थात् 23 मार्च, 2018 से लागू होती है।)

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;
(कंपनी के लिए सूचीबद्ध होने की तारीख अर्थात् 23 मार्च, 2018 से लागू।)

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना);

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2014 (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) { पूर्व में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दिशानिर्देश, 1999 (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना)} ;
(समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प या स्टॉक खरीद योजना जारी नहीं किये जाने के कारण लागू नहीं।)

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
(समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की ऋण प्रतिभूतियाँ जारी नहीं किये जाने के कारण यह लागू नहीं);

(एफ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993
(समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने जारी करने के लिए रजिस्ट्रार के रूप में या शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं होने के कारण यह लागू नहीं)

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्विटी शेयर की डी-लिस्टिंग);
(समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ईक्विटी शेयर डी-लिस्ट नहीं करने और डी-लिस्ट करने का प्रस्ताव न रखने के कारण यह लागू नहीं।

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद);
(दि. 23 मार्च, 2018 को सूचीबद्ध होने के उपरांत कंपनी ने अपने ईक्विटी शेयर की वापस-खरीद नहीं की। अत: लागू नहीं।)

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

(i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानदंड।

(ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।

(iii) मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानकों इत्यादि का अनुपालन निम्नलिखित के अधीन किया है :

i) कंपनी वर्ष की शुरुआत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और दि. 27 अक्तूबर, 2017 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गयी है। इसके बाद, कंपनी भारत सरकार द्वारा बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 22,451,953 इक्विटी शेयरों (भारत सरकार की 100% प्रदत्त पूंजी का 12.25% का हिस्सा) के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए दि. 23 मार्च, 2018 को बी एस ई और एन एस ई दोनों में शामिल होकर एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई। अत: दि. 23 मार्च, 2018 को सूचीबद्ध होने की तारीख से ऊपर उल्लिखित कुछ एस ई बी आई विनियम लागू होते हैं।

ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 31 (2) के अनुसार, प्रचारक और प्रचारक समूह की शेयरधारिता का 100% डी-मेटीरियलाइज्ड रूप में होगा। यद्यपि दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के प्रचारक के तौर पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से नामित छ: शेयरधारकों के पास मौजूद 12 ईक्विटी शेयर पूर्णत: फिज़िकल मोड में है।

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी हाल ही में दि. 23 मार्च, 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई है और आई पी ओ दस्तावेज में घोषित अनुसार सूचीबद्ध होने के उपरांत दि. 30 मई, 2018 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के तहत उक्त नामित शेयर भारत के राष्ट्रपति को डी-मेटीरियलाइजेशन के लिए हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

मैं, आगे अभिलिखित करता हूँ कि कंपनी का निदेशक मंडल, अधिशासी निदेशक, गैर-अधिशासी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक मिलाकर विधिवत रूप से गठित किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल में रिक्त निदेशक पदों की भर्ती नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत सरकार का दायित्व है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किए गए थे।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थीं; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी है कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधी आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।

निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो उसे कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उक्त संदर्भित कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश, मानक के अनुपालन में निम्नलिखित घटनाएँ कंपनी के मामलों को प्रभावित करते हैं :

(ए) शेयर का 1000 रुपये से 10/- रुपये तक नाममात्र मूल्य का उप-वर्गीकरण।

(बी) प्रत्येक रु. 10/- के मूल्य के 30546875 इक्विटी शेयर की वापस-खरीदी (कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 25% का प्रतिनिधित्व करता है)।

(सी) निजी लिमिटेड कंपनी से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन।

(डी) कंपनी की 25 करोड़ की अधिकृत पूँजी से बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो जाना तथा 1:1 अनुपात में रु. 10/- मूल्य के 91640625 बोनस शेयर जारी करना। (यानी प्रत्येक शेयर के लिए एक शेयर)

(ई) भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से रु. 10/- के अंकित मूल्य के 22,451,953 ईक्विटी शेयर (कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 12.25% का प्रतिनिधित्व करता है) का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव।

हस्ताक्षर :

नाम : वाई रमेश

पेशेवर कंपनी सचिव

ए सी एस नं. 14910; सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 04.07.2018

यह रिपोर्ट अनुलग्न-ए के रूप में संलग्न किये गये मेरे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक-'ए'

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

इस पत्र को इसी तारीख की मेरी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. साचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव और नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंड़ों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

2. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना मेरी जिम्मेदारी है।

3. मुझे विश्वास है कि मेरी राय के लिए तार्कित आधार उपलब्ध कराने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य और कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त सूचना / जानकारी पर्याप्त और उचित रही।

4. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।

5. जहाँ आवश्यकता रही, मैंने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।

6. यह साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

हस्ताक्षर :

नाम : वाई रमेश

पेशेवर कंपनी सचिव

ए सी एस नं. 14910; सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 04.07.2018

अनुलग्नक – 4

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

प्रगतिगामी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी का उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यवाणी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत भविष्यदर्शी प्रतीत हो सकते हैं। भविष्यदर्शी कथन कुछ निश्चित पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का वादा नहीं कर सकती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और सच में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन भविष्यदर्शी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को सरकार की नौ-सेना प्लेटफार्म अधिग्रहण संबंधी नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर कानून, देश के भीतर होने वाला आर्थिक विकास और ऐसा ही वैश्विक परिवर्तन जैसे कारक प्रभावित कर सकते हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), भारी टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण का विनिर्माणकर्ता है।

कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित है। इसकी और दो नई इकाइयाँ इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और अमरावती जिला, महाराष्ट्र में बनाने की योजना है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2018 तक कुल 3095 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2017-18 के दौरान रु.4576 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

1. सामरिक वातावरण :

कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत एवं वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियों से युक्त वातावरण में कार्य करती है। इस वातावरण में हमारी संव्यवहार दृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है कार्यान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय उत्पादों की सुपुर्दगी तय करने सुनिश्चयन करना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा तथा हमारे अपने लोगों के लिए निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

1.1 वैश्विक रक्षा व्यय

वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद 2009 एवं 2015 की अवधि के दौरान विश्व के पश्चिमी हिस्से में रक्षा व्यय में काफी कमी आई थी। इसी अवधि के दौरान मिलिटरी बैलेंस नामक एक अध्ययन के मुताबिक मध्य पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में रक्षा खर्च में वृद्धि देखने में आयी।

वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद 2009 और 2015 के बीच पर्याप्त वास्तविक अवधि रक्षा-व्यय में कमी के बाद, 2016 में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा व्यय में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, एशिया का रक्षा व्यय यूरोप को पार कर गया। इस प्रकार, 2008 से 2017 के बीच वैश्विक रक्षा व्यय में एशिया का हिस्सा 2008 में 17% से बढ़कर 2017 में 24% हो गया। जबकि, यूरोप की हिस्सेदारी 2008 में 22% से घटकर 2017 में 18% हो गई तथा उत्तरी अमेरिका का व्यय 46% से घटकर 36% हो गया। इसी अवधि में, मध्य पूर्व के हिस्से में भी वृद्धि हुई (7% से 12%)।

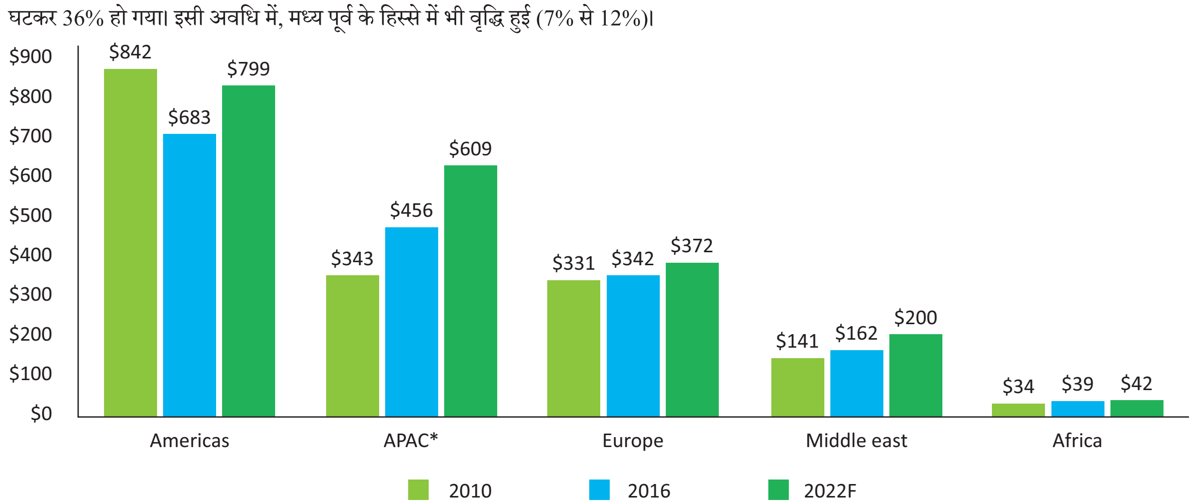

तथापि, 2017-18 की अवधि के आँकड़े इस रुख में परिवर्तन को दर्शाते हैं। मिलिटरी बैलन्स अध्ययन 2018 के अनुसार आर्थिक संकेतक अब वैश्विक रक्षा व्यय, विशेष रूप से पश्चिम में एक नवीनीकृत वृद्धि को इंगित करते हैं। आगामी वर्षों में अधिकाधिक व्यय करने वाले कई यूरोपीय राज्यों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। अमेरिका में, ट्रम्प प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस ने 2018 और 2019 में रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने पर भी सहमति व्यक्त की है। दरअसल, वास्तविक रूप से 2018 में अमेरिका का रक्षा बजट 6%, फ्रांस में 3.3% और जर्मनी में 2.5% बढ़ेगा।

अनुमान है कि 2017 का कुल मिलाकर वैश्विक रक्षा क्षेत्र व्यय 1.728 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2017-2022 तक इसके 3.0 प्रतिशत सी ए जी आर की दर से बढ़ने की उम्मीद है जो 2022 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर जाएगा।

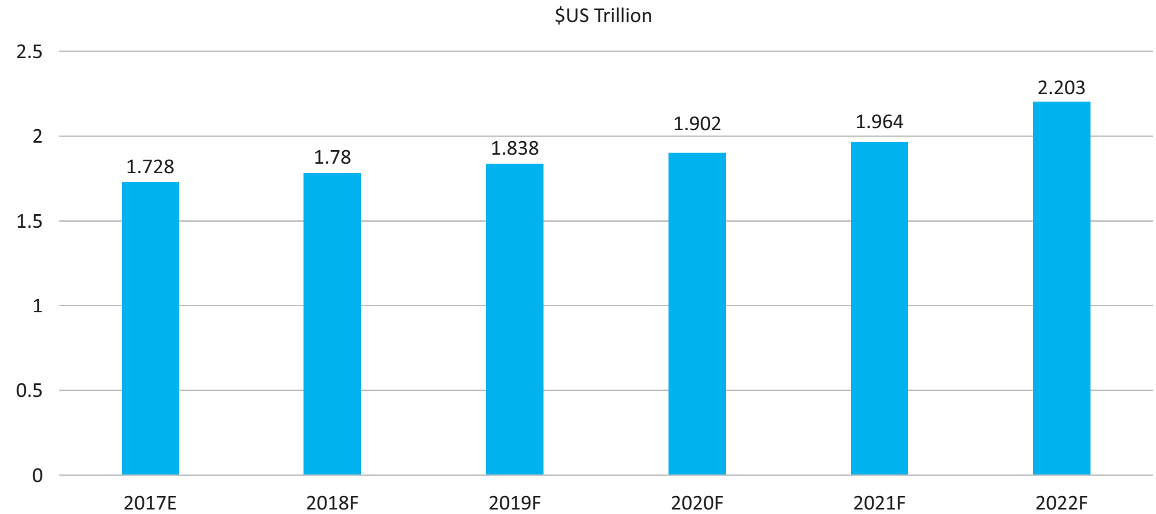

निम्नलिखित तालिका दुनिया में रक्षा व्यय के शीर्ष 25 राष्ट्रों को दर्शाती है। वर्ष 2016 में अमेरिका सबसे ज्यादा रक्षा व्यय करने वाला देश रहा जिसका व्यय 1682 अरब अमेरिकी डॉलर पर कुल वैश्विक रक्षा व्यय का 36% रहा। कई मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देश रक्षा व्यय पर अपने जी डी पी से ज्यादा प्रतिशत राशि खर्च करते हैं। अन्य देशों की सरकारों ने भी सुरक्षा खतरों से निपटने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की है। भारत, रूस और चीन का वर्ष 2016 के रक्षा व्यय में क्रमश: 8.5%, 5.9% और 5.4% की वृद्धि हुई। इनमें कुछ प्रमुख रक्षा उत्पाद जिन पर ध्यान केंद्रित रहेगा उनमें बख्तरबंद ग्राउंड वाहन, सतह से मार करने वाली युद्ध-सामग्री, हल्के वायु सहायता विमान, खुफिया, निगरानी और टोही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, साइबर सुरक्षा, समुद्री गश्त जहाज, विमान और उपकरण रखरखाव एवं सातत्यता के प्रावधान शामिल हैं।

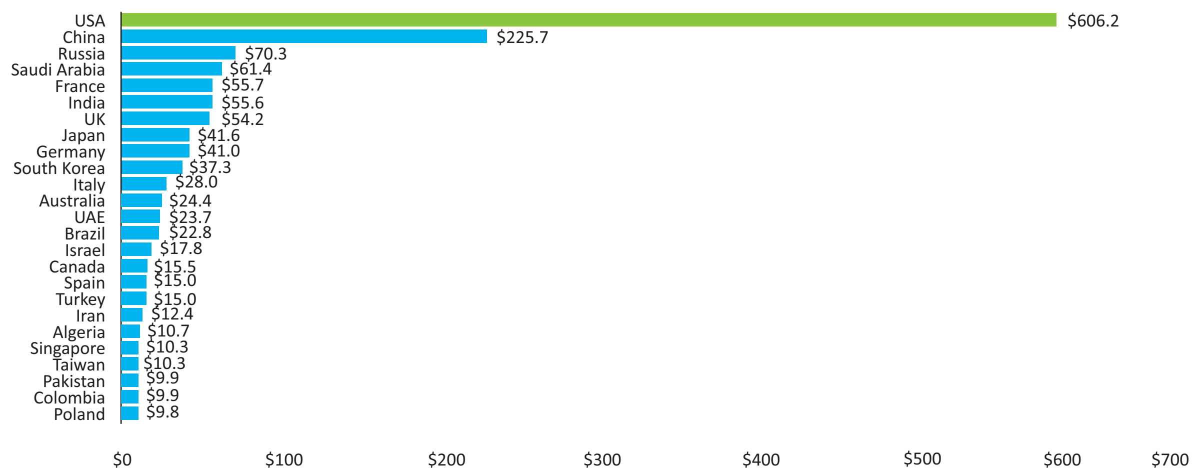

बी डी एल सक्रिय रूप से एशिया में मित्र देशों से निर्यात व्यापार के अवसर खोज रहा है। पर इन देशों द्वारा परिव्यय में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी का असर बी डी एल के निर्यात कारोबार पर पड़ेगा। समग्र वैश्विक रक्षा खर्च देखने पर इसमें भारत का बड़ा योगदान दिखाई देता है। विशेष रूप से रक्षा उपकरण खरीद के संदर्भ में भारत के रक्षा बजट में वृद्धि बी डी एल को भी प्रभावित करेगी।

1.2 वैश्विक निर्यात

विश्व के पाँच सबसे बड़े निर्यातक : 2011 से 2015 के बीच के पाँच सबसे बड़े वैश्विक आपूर्तिकर्ता – संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए), रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी रहे जिनका हिस्सा 74 प्रतिशत है। 1950 से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता रहे हैं।

1.3 भारतीय रक्षा क्षेत्र

दुनिया के मुकाबले भारत की तीसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है।

सरकार द्वारा प्रख्यापित नई नीतियों के फलस्वरूप भारतीय रक्षा बाजार संक्रमण की स्थिति से गुज़र रहा है। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने रक्षा उत्पादन नीति – 2016 को माध्यम बनाया है जिसमें खरीदी को व्यवस्थित करते हुए आपूर्तिकर्ता को अधिक मौका देना, एफ डी आई लाना, टेंडर्स में एकल विक्रेता की सहभागिता को अनुमत करना और 'रणनीतिक भागीदार' प्रतिरूप शामिल है। सरकार देशीकृत निर्माण को उच्च प्राथमिकता देते हुए देश को रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने नीति को आकार दे रही है। रक्षा निर्यात की अनुमति होगी और एफ डी आई को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि अधिक से अधिक मूल विदेश उपकरण निर्माता भारत में उद्यम लगा सकें। इससे कई बिलियन डॉलर की परियोजनाओं के आने की संभावना है। इनमें से कुछ परियोजनाओं की खरीद सरकार से सरकार के बीच और कुछ की तुरंत उपलब्ध वस्तुओं के रूप में भी जाएगी। यद्यपि अधिकतर देशी कंपनियों और विदेशी ओ ई एम की भागीदारी से बनेंगे। इस दृष्टि से त्वरित खरीदी और टेंडर्स देते समय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिसंतुलन की शर्तों में छूट दी जा रही है।

1.3.1 बजट – 2018 के प्रस्ताव और प्रमुख पहलें

2017-18 के बजट के तहत रक्षा व्यय के लिए एक निश्चित राशि प्रदान की गई है। बजट 2018 में रक्षा क्षेत्र के लिए आबंटित कुल राशि पिछले वर्ष के प्राक्कलन से 5.8% अधिक है। बजट 2018 में अनुसंधान एवं विकास के लिए राशि आबंटित की गई है जो पिछले वर्ष से 29% अधिक है और उम्मीद है कि इससे देशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

निम्नलिखित की घोषणा के साथ रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विकास और रक्षा उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए रक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर इसमें निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है :

- दो रक्षा औद्योगिक कॉरिडारों का विकास।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों और एमएसएमई द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अनुकूल डीपीपी 2018 का निर्माण।
- भारतीय सेना की परियोजनाओं के लिए 'मेक' प्रक्रिया के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए अतिरिक्त रु. 130 करोड़ की राशि का आबंटन।
- मेक इन इंडिया पहल का प्रचार रक्षा उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होगा।
- बजट 2018 की घोषणा भारत की सीमाओं पर सड़क अवसंरचना मजबूत बनाने के सरकार के सामारिक उद्देश्य की पूर्ति करती है।

1.3.2 रक्षा खरीदी नीति 2018

भारत सरकार ने 2018-19 के आम बजट में घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और एमएसएमई के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 बनाएगी। इसके अनुसरण में सरकार ने रक्षा उत्पादन नीति 2018 का मसौदा तैयार किया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

एक ऐसा वातावरण बनाना जो 'मेक इन इंडिया' पहल के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करें।

प्रौद्योगिकी की तेजी से आमेलन की सुविधा उपलब्ध कराना तथा देश में एक स्तरीय रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी प्रणाली तैयार करना।

आयात की वर्तमान निर्भरता को कम करना तथा वर्ष 2025 तक निम्नलिखित अस्त्र प्रणाली / प्लेटफार्म के विकास और निर्माण में स्वावलंबी बनना :

- लड़ाकू विमान
- मीडियम लिफ्ट अण्ड युटिलिटी हेलिकापॅप्टर
- युद्धपोत
- जमीनी लड़ाकू वाहन
- स्वायत्त हथियार प्रणाली
- मिसाइल प्रणाली
- गन प्रणाली
- छोटे शस्त्र
- गोला बारूद और विस्फोटक
- निगरानी प्रणाली
- इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) प्रणाली
- संचार प्रणाली
- रात्रि-युद्ध उपकरण

1.4 भारतीय रक्षा-क्षेत्र का देशीकरण

भारत ने वर्ष 2016 के रक्षा व्यय में 51.1 बिलियन डॉलर से बढ़ोत्तरी करते हुए वर्ष 2017 में इसे 52.5 बिलियन डॉलर कर दिया। इस प्रकार यह यू के के रक्षा व्यय को पार करते हुए रक्षा व्यय करने वाले दुनिया का पाँचवाँ बड़ा देश बन गया।

इंटरनेशन इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आई आई एस एस) की 'मिलिटरी बैलेंस 2018' रिपोर्ट के अनुसार इस रक्षा बजट का 33 कैपिटल (एक साथ खरीद) अधिग्रहण पर खर्च किया जाता है।

50% से अधिक रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से की जाती है। इसे आयात प्रतिस्थापन के बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

देश को रक्षा उत्पाद के विनिर्माण में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से डी पी पी 2013 में संशोधन किया गया जो 2 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :

रक्षा उपकरणों के देशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिग्रहण श्रेणी में सर्वाधिक प्राथमिकता 'भारत का खरीदें' (आई डी डी एम – देशी अभिकल्पन विकास और विनिर्माण) को दी गई है। यह श्रेणी भारतीय विक्रेताओं से ऐसे उत्पादों की खरीद के बारे में है जिसका देशी अभिकल्पन एवं विकास और विनिर्माण किया गया हो तथा जिसमें कम से कम 40% देशी सामग्री हो। यदि उत्पाद का देशी अभिकल्पन एवं विकास नहीं किया गया हो तो कम से कम इसमें 60% देशी सामग्री होनी चाहिए।

'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' श्रेणी के तहत भारतीय कंपनियाँ प्रौद्योगिकी अंतरण (टी ओ टी) के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ समझौता कर सकती हैं।

बड़ी मात्रा में 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के तहत पूँजीगत अधिग्रहण में विदेशी विक्रेता को वस्तुओं के देशी उत्पादन के लिए भारतीय उत्पादन एजेंसी को प्रौद्योगिकी का अंतरण करेंगी।

विदेशी ओ ई एम प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए अपनी पसंद की भारतीय उत्पादन एजेंसी का चयन कर सकते हैं।

सरकार, प्रोटोटाइप विकास को प्रोत्साहित करने विक्रेताओं को अग्रिम के रूप में 20% देते हुए विकास की 90% की प्रतिपूर्ति कर रही है। अगर विक्रेता को दो साल के भीतर कोई आदेश नहीं मिलता है तो शेष 10% की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रतिसंतुलन (अफसेट) नीति

विदेशी रक्षा ओ ई एम के साथ पूँजीगत खरीद अनुबंध में रक्षा अनुबंधों के लिए ऑफसेट पॉलिसी के तहत न्यूनतम 30% की अनिवार्य ऑफ़सेट आवश्यकता निर्धारित की है। न्यूनतम अनुबंध मूल्य जिसके लिए ऑफसेट अनिवार्य है अब 300 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1.5 भारतीय रक्षा निर्यात

भारत का रक्षा व्यापार भारतीय देशी उत्पादन में भारी व्यापार अभाव के चलते निर्यात और आयात को सामने रखकर देखने पर निरंतरता के दो सिरों पर दिखाई देता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (एसआईपीआरआई) आर्म्स ट्रांसफर डाटाबेस दर्शाता है कि 2012-16 की समय-सीमा में भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातकर्ता रहा है जिसका वर्ष 2007 से 11 के बीच वैश्विक आयुध आयात हिस्सा 9.7% से बढ़कर 2012-16 में 12.8% हो गया है। इसकी तुलना में भारत से आयुध निर्यात वैश्विक आयुध व्यापार की तुलना में अत्यल्प अंश के बराबर है। **तथ्य यह है कि पिछले पाँच वर्षों में भारतीय रक्षा निर्यात केवल 751.8 मिलियन डॉलर (1 आईएनआर = 0.016 डॉलर की रूपांतरण दर पर) रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान विश्व रक्षा व्यापार 8379 अरब डॉलर था।**

सरकार ने निर्यात क्षेत्र में देश के देशी रक्षा उद्योग के प्रवेश के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। निर्यात अनुज्ञप्ति अनापत्ति प्रदान करने आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को स्पष्ट करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। 66 प्रतिशत वस्तुओं को रक्षा निर्यात अनापत्ति की सूची से हटा दिया गया है। एक निर्यात सामरिक नीति का निर्माण और रक्षा निर्यातकों को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

भारत के निर्यात वस्तुओं की सूची में अब मिसाइल, युद्धपोत, ऑफ-शोर पेट्रोल वेसल (ओपीवी) और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स (एसपी गन्स) शामिल कर दिये गये हैं।

इसके अलावा भारत और स्पेइन ने भी अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाल ही में, भारत और युनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच आदान-प्रदान की बात हुई है इस बातचीत में भारत ने अरब को ऑफशोर

गश्ती वाहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ वायु रक्षा प्रणाली के विकास तथा रक्षा उपकरणों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए उसकी मरम्मत में सहायता करने की बात कही है क्योंकि खाड़ी के देश अपने पारंपरिक साथी पाकिस्तान से परे संबंधों के विस्तार की आशा रखते हैं।

भारतीय सार्वजनिक नीति के एक अग्रणी फोरम 'अनंत केंद्र' के अनुसार भारत एवं यू ए ई संबंधों पर विस्तृत रिपोर्ट में व्यक्त अनुसार वायु रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत, युनाइटेड अरब एमिरेट्स की सहायता कर सकता है, जो भारत की विकसित नई विशेषज्ञता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) एवं बीडीएल जैसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के बढ़ते उत्पादन से पता चलता है कि भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दो साल में ओएफबी और डीपीएसयू का उत्पादन 25 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है।

ओमन और नेपाल को भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (आईएनएसएएस) एसाल्ट राइफल्स के आरंभिक निर्यात से शुरुआत कर विश्व रक्षा बाजार में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यद्यपि इस पहले सौदे में कमियों के रहते हुए भी भारत ने अपने शस्त्र निर्माण एवं प्रबंधन तथा उसके निर्यात के मामले में बेहतर निष्पादन किया है।

भारत के रक्षा उत्पादन में गति लाने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने अपनी वर्ष 2018 की रक्षा उत्पादन नीति में खास उपाय सुझाये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

- रक्षा निर्माण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए डिफेंस एक्सपो और एयरो एक्सपो प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किये जाएँगे।
- सामरिकता को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और निजी उद्योग दोनों के घरेलू रूप से निर्मित रक्षा उत्पादों को सरकार से सरकार के बीच समझौते तथा ऋण व्यवस्था / निधीकरण माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- ऑफ़सेट प्रक्रिया के अंग के रूप में विकसित पुर्जों एवं सहायक सामग्री के निर्यात के लिए भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सक्रिय रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीपीएसयू / ओएफबी आयातक क्षमता रखने वाले देशों में निर्यात कार्यालय स्थापित करेंगे।
- विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा निर्यात संगठन, उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किये जाएँगे।
- रक्षा उत्पादन विभाग में निर्यात मंजूरी की एक से दूसरे सिरे तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध होगी।

  सितंबर 2014 में की गई रक्षा निर्यात की कार्यनीति की घोषणा जिसमें निर्यात के संवर्धन और विनियमन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ एवं व्यवस्थित पद्धति का प्रावधान किया गया है। विदेश व्यापार नीति के दायरे में, यह निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशन / दूतावासों के साथ जुड़ने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है, ऋण व्यवस्था के माध्यम से निर्यात वित्त-पोषण का विकल्प प्रदान करता है, ऑफसेट पॉलिसी का बेहतर उपयोग और देशी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ निर्यात विनियमन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

2. बीडीएल के संव्यवहार की समीक्षा

2.1 कंपनी के बारे में

सन् 1970 में स्थापित बी डी एल का मुख्यलय हैदराबाद में है। बी डी एल भारत का एक अग्रणी रक्षा उपक्रम है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित मिसाइल (ए टी जी एम), अंतर्जालास्त्र, लाँचर, प्रतिमारक एवं परीक्षण उपकरणों का विनिर्माण करता है। मिनी-रत्न (श्रेणी -1) प्रदत्त बी डी एल, सैम, टॉरपिडो, ए टी जी एम बनाने वाला भारत का एकमात्र विनिर्माता है। बी डी एल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैम एवं ए टी जी एम का एकमात्र आपूर्तिकर्ता भी है। कंपनी, भंडारित एवं प्रयुक्त मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण एवं कार्य-काल विस्तार का कार्य भी कर रही है। हम अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम बनाने में डी आर डी ओ के साथ सह-विकास भागीदार भी हैं।

बीडीएल के उत्पाद

सम	ए टी जी एम	टॉरपिडो	लाचर	प्रतिमारक	डिकॉय प्रणालिया	परीक्षण उपकरण
आकाश मिसाइलें	मिलान 2टी कांकूर्स-एम इनवार (3 यू बी के 20)	हल्के भार वाला टॉरपिडो	कांकूर्स-एम और मिलान-2टी ए टी जी एम के लिए लाँचर	शॉफ्स एवं फ्लेर आधारित वायु रक्षा प्रणालियाँ, सी-303 टॉरपिडो डिकॉय	पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली डिकॉय	ए टी जी एम के लिए अवस्था अनुवीक्षण उपकरण

2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखापट्टणम में स्थित हैं। हैदराबाद विनिर्माण इकाई सैम, मिलान 2 टी एटीजीएम, प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली, लाँचर्स एवं परीक्षण उपकरण के विनिर्माण में लगी हुई है। भानूर इकाई कॉंकूर्स-एम एटीजीएम, इनवार (3 यूबीके 20) एटीजीएम, लाँचर एवं पुर्जों के विनिर्माण में लगी हुई है। विशाखापट्टणम इकाई हल्के भार वाले टॉरपिडो, सी-303 टॉरपिडो रोधी प्रणाली, प्रतिमारक एवं पुर्जों के विनिर्माण में लगी हुई है। हमारी सभी विनिर्माण सुविधाएँ टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आईएसओ 14001: 2004 प्रमाणन प्राप्त हैं। हैदराबाद (आकाश प्रभाग) एवं भानूर विनिर्माण इकाइयों को एनवीटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एएस 9100 सी प्रमाणन प्राप्त है (आईएसओ 9001: 2008 के आधार पर)। हैदराबाद विनिर्माण सुविधा की गुणता प्रबंधन प्रणाली एवं प्रबंधन प्रणाली को क्रमशः आईआर क्लास सिस्टम अण्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आईएसओ 9001: 2008 और आईएसओ 9001: 2015 अनुपालन प्रमाणन प्राप्त हैं।

कंपनी इब्राहीमपट्टणम (हैदराबाद के पास) एवं महाराष्ट्र के अमरावती में दो अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में लगी है जिसे क्रमशः सैम एवं अत्यंत लघु दूरी वायु रक्षा मिसाइल (विश्रॉड) के विनिर्माण के लिए स्थापित किया जा रहा है। हम विश्रॉड (वी एस एच ओ आर ए डी एम) के लिए मनोनीत उत्पादन एजेंसी हैं।

2.3 कार्यादेश

01 अप्रैल, 2018 तक हमारे पास रु. 8889 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

2.4 वित्तीय निष्पादन

वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	2016-17*	2017-18	वद्धि / (अपवद्धि) का %
परिचालनों से प्राप्त राजस्व (सकल)	4887	4588	(6%)
घटाव :			
शुल्क एवं कर	351	11	-
परिचालनों से प्राप्त राजस्व (निवल)	4536	4576	0.89%
उत्पादन मूल्य	4660	4630	(0.65)%
कर पूर्व लाभ	803	774	(3.61)%
कराधान के बाद लाभ	524	528	0.78%
मूल्यवर्द्धन	1528	1715	12.23%
प्रति शेयर अर्जन	24.51	26.65	-

* भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनर्समूहित आँकड़े।

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है। पिछले वर्ष का ईपीएस उस वर्ष के दौरान किए गए बोनस मद में समायोजित किया गया है। चूँकि वर्ष के दौरान शेयरों का विभाजन 1000/- रुपये से 10/- रुपये के अंकित मूल्य में किया गया है अत: तदनुसार पिछले वर्ष के आँकड़े संशोधित किये गये हैं।

निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	2016-17*	2017-18	वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
सकल निरुद्ध	681	856	25.69%
मूल्यह्रास	84	136	61.90%
निवल निरुद्ध	596	720	20.63%
कार्यगत पूँजी	1570	1086	(30.83)%
नियोजित पूँजी	2327	1954	(16.02)%
निवल मालियत	2195	1956	(10.87)%

* भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनर्समूहित आँकड़े।

2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

2.6 अवसर और खतरे

अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना।
- बीडीएल का अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का अनुभव प्राप्त है।
- "मेक इन इंडिया" नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसरों की संभावना।
- बी डी एल तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ताओं से युक्त है जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- प्राथमिकत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए बजट में बढ़ा कर आबंटन कर रही है।
- कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और पड़ोसी देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ प्राप्त हो रही है।

खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी से बीडीएल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।
- एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- निर्यात कारोबार में धीमी वृद्धि से कंपनी के नव-निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
- आदेश रद्द किये जाने से कार्य-आदेश एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।
- **उत्पाद / सीमा शुल्क में रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को दी जाने वाली छूट एक समान अवसर देने रद्द कर दी गई है।** संशोधित नीति के अनुसार, सभी भारतीय उद्योग (सार्वजनिक और निजी) के लिए अब एक ही तरह का उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रहेगा। (अप्रैल 2015)।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के समान भारतीय निजी क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के पूँजीगत अधिग्रहणों के लिए विनिमय दर परिवर्तन संरक्षण लागू किया गया है।

2.7 प्रमुख कार्यनीतियाँ :

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर कंपनी की बाजार में स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने समारिक लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा।

2.7.1 अवसंरचना विस्तारण : हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेंगे। इब्राहीमपट्टणम एवं अमरावती में बन रही हमारी विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएँगी। इन दो विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और विश्रॉड (वी एस एच ओ आर ए डी एम) का विनिर्माण किया जाएगा। हम राचकोंडा, तेलंगाना में एक परीक्षण फायर रेंज स्थापित करने जा रहे हैं जिससे आशा है कि हमारे परिचालन लाभ में मितव्ययता आएगी।

2.7.2 स्वचालीकरण (ऑटोमेशन) : सैम के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हैदराबाद की हमारी विनिर्माण सुविधा में उत्पादन प्रणालियों का स्वचालीकरण करना चाहते हैं।

2.7.3 अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना : हमारा मानना है कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की अनुमति देनी वाले परिवर्तित सरकारी नीति से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाते हुए अपने ग्राहकों के लिए नवीन उत्पाद विकसित करना चाहते हैं। हमारे अनुसंधान एवं विकास व्यय की वृद्धि 23.60% की सीएजीआर दर से वित्तीय वर्ष 2015 में 227.21 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 347.10 मिलियन रही। हमारा मानना है कि नए उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे सकते हैं तथा उत्पाद निर्भरता में कमी ला सकते हैं। हमने मिसाइलों के अभिकल्पन एवं विकास के उद्देश्य से मिसाइल विकास समूह की स्थापना की है। हमने 'सीकर' प्रौद्योगिकी विकास के लिए आरएफ प्रयोगशाला, लेजर प्रयोगशाला, वायुगतिकीय प्रयोगशाला और सीकर प्रयोगशाला जैसी विभिन्न तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। हम दूसरी पीढ़ी के कांकूर्स एम ए टी जी एम के उन्नत संस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं।

2.7.4 प्रक्रियाओं में सुधार : हम अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार एवं मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार भी लाना चाहते हैं।

2.7.5 नई पीढ़ी के सैम और एटीजीएम: हम अपने अनुभव का लाभ उठा कर नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम और भारी वजन वाले टॉरपिडो जैसे नए उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं जिससे हमारे राजस्व में और वृद्धि आएगी। डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम विकसित करने में संयुक्त विकास भागीदारी है। रक्षा मंत्रालय ने हमें नई पीढ़ी के सैम के उत्पादन अभिकरण एवं अग्रणी एकीकर्ता तथा तीसरी पीढ़ी के एक एटीजीएम के लिए मनोनीत अभिकरण बनाया है। हमने नए उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई एमओयू और गैर प्रकटीकरण समझौते किए हैं।

2.8 निर्यात :

बीडीएल प्रमुखत: भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। संप्रति कंपनी, हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है। मित्र देशों को आकाश सैम, हल्के भार वाले टॉरपिडो एवं प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशों में सक्षम ग्राहकों से बातचीत करने की आशा रखती है। बीडीएल ने हल्के भार वाले टॉरपिडो के निर्यात के लिए एक मित्र देश के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हल्के भार वाले टॉरपिडो की आपूर्ति के लिए इसी ग्राहक से 14.33 मिलियन अमरीकी डालर के और आदेश प्राप्त हुए हैं।

3. भविष्य दृष्टि :

भारत के रक्षा उद्यम में महत्वपूर्ण एवं प्रगामी परिवर्तन आ रहे हैं जिसमें विकास की वृहद् संभावनाएँ हैं। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डी पी पी), 2016 के तहत देशी तौर पर अभिकल्पित, विकसित उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार

ने 'बाय - आई डी डी एम' (भारत में अभिकल्पित,विकसित एवं विनिर्मित खरीदो) नाम से नई खरीद श्रेणी की शुरुआत की है। आपकी कंपनी हमेशा से देशी तौर पर अभिकल्पित, विकसित विनिर्माण को प्रोत्साहित करती आ रही है। इस वर्ग के अपनाये जाने से आने वाले समय में कंपनी को लाभ होगा और आपकी कंपनी, एम एस एम ई तथा भारत के अन्य निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता से अधिक से अधिक देशी उत्पादों को विकसित करने और प्रयोग में लाने के लिए संसाधनों के श्रेणीकरण में सशक्त होगी।

आपकी कंपनी यह जानती है कि इसकी नामित उत्पादन अभिकरण की स्थिति धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धात्मक बिडर के रूप में बदलती जा रही है। पिछले दो वर्ष से भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर की प्रतिभागिता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में भारतीय निजी क्षेत्र के समूह ने भारतीय रक्षा बाजार में अपना कार्यानुभव बढ़ाया है। ऐसा सरकार के सहयोग से हुए कुछ नीतिपरक हस्तक्षेप, विशेषकर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हो रहा है। इन प्रयासों के प्रभाव से देशी उद्योग के लिए वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ उत्पाद एवं टेक्नोलॉजी की सहभागिता के नये अवसर खुले हैं। निजी क्षेत्र और वैश्विक रक्षा कंपनियों का इस ओर ध्यान बढ़ जाने से आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

दि. 31 मार्च, 2017 तक आपकी कंपनी के पास रु. 8889 करोड़ के कार्य आदेश हैं जिसमें एक प्रकार के ए टी जी एम के लिए प्राप्त नये कार्य-आदेश भी शामिल हैं। साथ ही, आपकी कंपनी को टॉरपिडो के निर्यात के अतिरिक्त निर्यात-आदेश प्राप्त हुए हैं जिससे आने वाले वर्षों में हमारी उत्पादन-शालाएँ व्यस्त रहेंगी। आपकी कंपनी के लिए ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एस ए एम) और ए टी जी एम परियोजनाओं की आपूर्ति वचनबद्धता की दृष्टि से आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहेगा।

कार्य-आदेश स्थिति एवं संभावित कार्य-आदेशों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी तेजी से विकास के लिए तैयार है। प्राप्त एवं प्रक्रियागत आदेशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए कंपनी अपनी वर्तमान क्षमताओं का विस्तार एवं विभिन्न स्थानों पर नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना कर रही है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चलते कंपनी की भविष्य-दृष्टि उज्ज्वल दिखाई देती है। दशकों के अनुभव से आपकी कंपनी भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

4. जोख़िम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोख़िम और इनसे निपटान की योजना में उद्योग से संबंधित जोखिम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन के लिए समय, बाजार खंडों में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम शामिल हैं। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर अण्ड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन किया गया तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

4.1 संव्यवहार जोख़िम : कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्वितरण, उनके आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम समान स्तर पर अवसर प्राप्त निजी क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है।

निपटना : इस व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को सँभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इससे अतिरिक्त ग्राहक आधार के विस्तार के लिए बीडीएल, भारत सरकार के प्रोत्साहन से सक्रिय रूप से निर्यात बाजारों में प्रवेश के अवसर तलाश रहा है। कंपनी वर्तमान में हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है।

4.2 नीति जोख़िम : कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों के अधीन है। यदि हम लागू नियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारे व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

निपटान : कंपनी, भारत सरकार नीतियों के अनुसार सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रही है और इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

4.3 परिचालन और श्रम जोख़िम : कंपनी का प्रचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधरित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्यबल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है, अतः लंबे समय तक कार्य रोकने की स्थिति में इससे हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

निपटान : कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

4.4 आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता जोख़िम : कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन प्रभावित हो सकता है।

निपटान : कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन नष्ट (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बनती गई है।

4.5 प्रौद्योगिकी जोख़िम : हम उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का विनिर्माण एवं मरम्मत करते हैं। नए उत्पाद और प्रौद्योगिकियों के प्रवेश में जोखिम शामिल होता है तथा प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली नहीं की जा सकती।

निपटान : कंपनी ने अपने खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित कर लिया है और प्रौद्योगिकी जोख़िमों का सामना करने के लिए आर अण्ड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करती है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। व्यावसायिक व पेशेवर कार्मिकों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभाविता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य है – लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष संगठन के आपदा प्रबंधन, नियंत्रण तथा अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता व प्रभाविता संबंधी स्वतंत्र, सोद्देश्य व उचित भाव सहित प्रस्तुत करना। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को निदेशक मंडल के लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति बनी हुई है। ये लेखापरीक्षा फर्म, आंतरिक रूप से सहयोग देने वाले लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

ए) **लागत में कमी की पहल :** वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न प्रभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों से मिलकर बनी लागत घटाव समिति का गठन किया गया है। सामग्री लागत में कमी, देशीकरण, आउटसोर्सिंग, ऊर्जा प्रभावी इकाइयों से वर्तमान इकाइयों का प्रतिस्थापन कर ऊर्जा बचत, कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन और वैकल्पिक पदार्थों का उपयोग जैसे विभिन्न लागत में कमी लाने के क्षेत्रों को पहचाना गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लागत की समीक्षा / कमी कार्यक्रम के तहत 25.29 करोड़ की राशि बचायी गई है।

बी) **मितव्ययता :** व्यय प्रबंधन, मितव्ययता तथा व्यय के युक्तीकरण संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीदी, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोदी कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में रोजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

कच्चा माल, निर्माणाधीन तथा अतिरिक्त पुर्जों की सामग्री-सूची इष्टतम स्तर पर रखी जाती है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

6. **मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों का साक्षी विकास :**

6.1 दि. 31 मार्च, 2018 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

	कायपालकतर	कायपालक	कल
पुरुष	1937	778	2713
स्त्री	221	99	323
कुल	2158	877	3035
पिछले वर्ष	2289	893	3182

आपकी कंपनी मानव-शक्ति के प्रशिक्षण एवं विकास पर और अधिक बल दे रही है। वर्ष के दौरान मध्य प्रबंधन स्तर के प्रशिक्षण एवं विकास पर जोर दिया गया। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा कंपनी ने कार्यपालकों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम, कार्यपालक विकास कार्यक्रम, उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, आई पी एम ए स्तर 'डी' प्रमाणन कार्यक्रम, परियोजना प्रबंधन व्यावसायिक (पी एम पी) कार्यक्रम आयोजित किये।

इनके अलावा, मौजूदा परियोजनाओं की दृष्टि से कंपनी की आवश्यकताओं और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ग्राहकों की आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

6.2 **औद्योगिक संबंध :**

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा – मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन बना हुआ है। कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

बी डी एल वेबसाइट

ग्लोबल एअरोस्पेस और डिफेंस आउटलुक के पी एम जी

वित्तीय वर्ष 2016-17 का रक्षा मंत्रालय का वार्षिक विवरण

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की उपलब्धियों की रिपोर्ट – 13 फरवरी, 2017 (मेक इन इंडिया)

रक्षा नीति का मसौदा 2018

भारतीय रक्षा उद्योग – सीमाओं की पुन:परिभाषा

आई पी ओ दस्तावेज - बी डी एल

2018 ग्लोबल एअरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री आउटलुक – डेलाइट www.iiss.org

अनुलग्नक – 5

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटीकरण, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए।

कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आग से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित किया जाता है) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन पूरी करती है।

2. निदेशक मंडल :

का) निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। इसकी कुल प्रदत्त पूँजी का 87.75% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मंडल का पुनर्गठन किया गया था जिसमें कुल दस सदस्य हैं यथा –अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और पाँच अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)।

बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है –

ए)	**कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)**	**पदनाम**
1)	श्री वी उदय भास्कर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री एस पिरमनायगम	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
3)	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद	निदेशक (उत्पादन)
4)	श्री के दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)
बी)	**अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)**	
	श्री अश्विनी कुमार महाजन, अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सी)	**अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)**	
1)	श्रीमती सुषमा वी दबक	स्वतंत्र निदेशक
2)	प्रो. अजय पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्री अजय नाथ *	स्वतंत्र निदेशक
4)	श्री के एस संपत *	स्वतंत्र निदेशक
5)	श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति *	स्वतंत्र निदेशक

* दि. 13 सितंबर, 2017 के रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. H-62011/2/201 6-डी (बीडीएल) के तहत उक्त स्वतंत्र निदेशक दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में नियुक्त किये गये।

सी) **निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों**

वर्ष 2017-18 के दौरान दि. 08 मई, 2017; दि. 3 अगस्त, 2017; दि. 18 सितंबर, 2017; दि. 20 नवंबर, 2017; दि. 26 दिसंबर, 2017; दि. 15 फरवरी, 2018; दि. 28 फरवरी, 2018; दि. 1 मार्च, 2018; दि. 5 मार्च, 2018; दि. 16 मार्च, 2018 और दि. 21 मार्च, 2018 को निदेशक-मंडल की कुल ग्यारह (11) बैठकें संपन्न हुईं। निदेशक मंडल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक होती है और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक है। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है –

निदशक	निदशक मडल की बठक		दि. 26 सितबर, 2017 को हई विगत ए जी एम म उपस्थिति	अन्य निदशक की सदस्यता म सपन्न बठक	सभी कपनियों को मिलाकर समितियों म सदस्यता	
	निदशकों क कायकाल म सपन्न निदशक-मडल की बठक	कल बठकों म प्रतिभाग			अध्यक्ष क रूप म	सदस्य क रूप म
कार्यकारी निदेशक						
श्री वी उदय भास्कर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11	11	हाँ	-	-	-
श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सीएफओ	11	11	हाँ	-	-	1
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन)	11	11	हाँ	-	-	2
श्री के दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	11	9	हाँ	-	-	-
सरकारी निदेशक						
श्री अश्विनी कुमार महाजन अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	11	6	-	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक						
श्रीमती सुषमा वी दबक	11	11	हाँ	-	1	
प्रो. अजय पाण्डेय	11	8	-	-	1	1
श्री अजय नाथ (13 सितंबर 2017 से)	9	5	-	-	-	1
श्री के एस संपत (13 सितंबर 2017 से)	9	3	-	-	1	1
श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति (13 सितंबर 2017 से)	9	7	-	-	-	1

टिप्पणी :

i) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक ने वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं रखा।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़कर।

iii) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।

iv) अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं लेने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति के लिए अवकाश मंजूर किया गया।

v) श्री वी उदय भास्कर, सीएमडी, श्री अश्विनी कुमार, सरकारी निदेशक, श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ, श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (उत्पादन) और श्री के दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) भारत के राष्ट्रपति की ओर से दो-दो (2) शेयर धारक हैं। दि. 31 मार्च, 2018 तक कोई भी निदेशक अपनी निजी क्षमता के आधार पर कंपनी का कोई भी शेयर या परिवर्तनीय लिखत नहीं रखते हैं।

डी) **कानूनों के अनुपालन की समीक्षा :** कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की और पाया कि अनुपालन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन को चिंतित करने वाला किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

डी) **निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण :** लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 (7), डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में, 'निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नीति' तैयार की गई और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। उक्त नीति की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति, कंपनी का संव्यवहार मॉडल, प्रक्रियाएँ व पद्धतियों पर परिचय कार्यक्रम कराया जाता है और साथ ही, आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्टें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि निदेशक कंपनी से संबंधित आवश्यक जानकारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सदस्य समय-समय पर नैगमिक अभिशासन तथा निदेशक मंडल संबंधी अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं।

3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :

दि. 31 मार्च, 2018 तक निदेशक मंडल की निम्नलिखित चार (4) समितियाँ कार्यरत रहीं :

ए) लेखापरीक्षा समिति

बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी) स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

इन समितियों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। बहुमत / सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

ए) **लेखापरीक्षा समिति**

ए) **विचारार्थ विषय**

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमीय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या आस्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोख़िम प्रबंधन का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त हुए किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद के सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।

बी) **सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण और गठन :**

कंपनी ने एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार दि. 18 सितंबर 2017 को समिति का पुनर्गठन किया। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की छः (6) बैठकें हुई यथा –दि. 08 मई, 201 7; दि. 03 अगस्त, 2017; दि. 18 सितंबर, 2017; दि. 20 नवंबर, 2017; दि. 26 दिसंबर, 2017 और दि. 28 फरवरी, 2018। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	सदस्य का नाम	श्रणी / वग	सबधित सदस्य क कायकाल क दौरान हई बठकों की सख्या	कल बठकों म उपस्थिति
1	श्रीमती सुषमा वी दबक अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	6	6
2	प्रो. अजय पाण्डेय सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	6	5
3	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद सदस्य	निदेशक (उत्पादन)	6	6
4	श्री अजय नाथ * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4	2
5	श्री के एस संपत * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4	2
6	श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4	4

* दि. 13 सितंबर, 2017 से नियुक्त किये गये।

सी) कार्यकारी निदेशक स्थायी तौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाये जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं। कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कंपनी की 47वीं आम सभा में भाग लिया।

बी) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :**

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 के तहत निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशों के आ जाने से दि. 18 सितंबर 2017 को 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' नामक समिति का पुनर्गठन किया गया।

ए) **विचारार्थ विषय**

- उपलब्ध मानदंडों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकता हो, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।
- प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस / कार्यनिष्पादन वेतन / परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

बी) **गठन, सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण :**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 19 के अनुरूप है। वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पाँच (5) बैठकें यथा – दि. 18 सितंबर, 2017; दि. 20 नवंबर, 2017; दि. 26 दिसंबर, 2017; दि. 05 मार्च, 2018 और 16 मार्च, 2018 को संपन्न हुई। वर्ष 2017 -18 के दौरान समिति का गठन और उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	सदस्य का नाम	श्रणी / वग	सबधित सदस्य क कायकाल क दौरान हई बठकों की सख्या	कल बठकों म उपस्थिति
1	प्रो. अजय पाण्डेय अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	5	3
2	श्रीमती सुषमा वी दबक सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5	5
3	श्री अश्वनी कुमार महाजन सदस्य	सरकारी निदेशक	5	3
4	श्री अजय नाथ * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5	4
5	श्री के एस संपत * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5	3
6	श्रीमती के लता नरसिम्हा मूर्ति * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5	5

* दि. 13 सितंबर 2017 से नियुक्त किये गये।

सी) **पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :**

i) केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वे कंपनी से संबद्ध नियमावली अनुरूप होंगी।

ii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है। आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से पहले आने वाली तिथि तक सेवाकाल बढ़ाया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यत: प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या पहले आने वाली अवधि तक की जाती है।

iii) वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।

iv) अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामित) को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v) निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 20,000/- किया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क रु. 10,000/- ही रखा है। वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।

सी) **स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति :**

वर्ष के दौरान कंपनी की लिस्टिंग आवश्यकताओं के आधार पर इस समिति का गठन दि. 20 नवंबर, 2017 को किया गया था। इस स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम 2015 के नियम 20 के अनुरूप किया गया है।

श्री के एस संपत इस स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति के अध्यक्ष हैं और श्री एस पिरमनागयम, निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ तथा श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (वित्त) इस समिति के सदस्य हैं।

समिति के विचारार्थ विषय में सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना होता है। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना आदि शामिल हैं।

निवेशक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें, इसके लिए कंपनी की एक अलग / विशेष ई-मेल आई डी inverstors@bdl-india.in उपलब्ध है। कंपनी 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार उक्त ई-मेल आई डी तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दिये गये हैं। आगे, एस ई बी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लि. प्राधिकृत है।

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 13 (4) के अनुसार, बीएसई और एनएसई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या:	46
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या:	45
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या:	1 *

* लंबित शिकायत का निपटान / समाधान दि. 4 अप्रैल, 2018 को किया गया था।

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान, डी पी ई दिशा-निर्देश के अनुसार दि. 18 सितंबर, 2017 को सी एस आर समिति का पुनर्गठन किया गया है :

ए) विचारार्थ विषय

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास समिति के 'विचारार्थ विषय' इस प्रकार हैं :

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

बी) वर्ष के दौरान दि. 08 मई, 2017 और दि. 16 मार्च, 2018 को इस समिति की कुल दो (2) बैठकें हुई। वर्ष के दौरान इस समिति के गठन और उक्त बैठकों में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	सदस्य का नाम	श्रणी / वग	सबधित सदस्य क कायकाल क दौरान हई बठकों की सख्या	कल बठकों म उपस्थिति
1	श्री अजय नाथ * अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्रीमती सुषमा वी दबक सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	प्रो अजय पाण्डेय सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री के एस संपत * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1	0
5	श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति * सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री एस पिरमनायगम सदस्य	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	2	2
7	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद सदस्य	निदेशक (उत्पादन)	2	2

* दि. 13 सितंबर 2017 से नियुक्त किये गये।

4. निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ :

ए) खरीद समिति

निदेशक मंडल द्वारा सी एम डी के अधिकारों से परे नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को समिति गठित की गई थी जो प्रत्येक ऐसे मामले में अधिकतम रु. 25 करोड़ की मंजूरी दे सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकारों के अधीन खरीदी प्रस्ताव भी अनुमोदित कर सकती है।

खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के अंदर क्रय आदेश रखने संविदा देने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है -

आधार	पजी की प्रकति	राजस्व की प्रकति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा संदर्भों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

वर्ष के दौरान दि. 18 सितंबर, 2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 22 मार्च, 2018 को इस समिति की एक बैठक हुई।

बी) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) समिति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव संबंधी विभिन्न विषयों का कार्य देखने और अनुमोदन लेने सहित सरकारी वकील को तथा प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज तैयार करने बी आर एल एम को कंपनी संबंधी सूचना / दस्तावेज / रिकॉर्ड प्रदान कर सहयोग देने दि. 18 सितंबर, 2017 को आई पी ओ समिति का गठन किया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष बनाये गये और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य। वर्ष के दौरान दि. 20 जनवरी, 2018 और दि. 05 मार्च, 2018 को इस समिति की दो (02) बैठकें हुई।

सी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दि. 28 मार्च, 2018 को संपन्न हुई। बैठक के दौरान, कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना-अंतरण की गुणता, मात्रात्मकता और समयबद्धता की समीक्षा की गई जो निदेशक मंडल के प्रभावी व तार्किक कर्तव्य–निर्वहण के लिए आवश्यक है। एक स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर अन्य सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक के कार्यवृत्त दि. 30 मई, 2018 के संपन्न निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किये गये।

5. आम सभाएँ :

कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुई। विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है –

वा.आ.स. की सख्या	वित्तीय वष	बठक की तिथि	बठक का समय	बठक का स्थान	लिय गय कल मख्य सकल्प
45	2014-15	28 सितंबर, 2015	15:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद	शून्य
46	2015-16	28 सितंबर, 2016	15:00 बजे		शून्य
47	2016-17	26 सितंबर, 2017	12:00 बजे		शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक बैलट के माध्यम से किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प नहीं प्राप्त हुआ। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के सूचीबद्ध होने से पूर्व तीन अतिविशिष्ट बैठकें दि. 8 मई, 2017; दि. 20 सितंबर, 2017 और दि. 15 फरवरी, 2018 को संपन्न हुईं और बैठक के दौरान संव्यवहार संबंधी निम्नलिखित मदों का अनुमोदन किया गया :

ईजीएम सख्या	बठक की तारीख	विशष सव्यवहार मद
8वाँ	दि. 15 फरवरी, 2018	ए) प्राधिकृत पूंजी रु. 25 करोड़ से बढ़ाकर रु. 200 करोड़ रुपये करना। बी) 1:1 के अनुपात में रु. 10 के 91640625 बोनस शेयर जारी करना। सी) वित्तीय वर्ष 2017-18 से सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क रु. 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना।
7वाँ	दि. 20 सितंबर, 2017	ए) रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर की रु. 147.49 की दर से कुल 450,53,58,594 रु. राशि (कर छोड़ कर) के 30546875 शेयर की वापस-खरीद के लिए अनुमोदन। बी) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण और कंपनी 'संस्था के अंतर्नियमों' में परिवर्तन।
6वाँ	दि. 08 मई, 2017	ए) प्रत्येक ईक्विटी शेयर रु. 1000/- के अंकित मूल्य के एक शेयर का प्रत्येक शेयर रु. 10/- के अंकित मूल्य के 100 ईक्विटी शेयर में उप-विभाजन। बी) शेयरों के उप-विभाजन पर, असोसिएशन के ज्ञापन की कैपिटल धारा में परिवर्तन/संशोधन।

6. प्रकटन :

ए) दि. 31 मार्च, 2018 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ नहीं हैं।

बी) वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की संभाव्यता हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। कंपनी ने लिस्टिंग विनियम की विनयम सं.46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए 'पार्टी संबंधी लेने-देन नीति' तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है।

सी) ऐसे कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिसका कंपनी ने अनुपालन नहीं किया हो। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश या कैपिटल मार्केट संबंधी किसी विषय को लेकर स्टॉक एक्सचेंज या एस ई बी आई या किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा है और न ही कोई आक्षेप लगाया गया है।

डी) विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म : डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी की विज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया।

ई) संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्घाटित करने में उसकी संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध ए एस-17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंड़ों का अनुपालन किया गया है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता को उद्घाटित न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।

एफ) व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।

जी) निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।

एच) प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं-

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2016-17	2017-18
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	1382.90	1132.44
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	11.60	16.32
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	0.84	1.44

i) **राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश**

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देश और विनिर्देशों का पालन करती आ रही है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को तत्संबंधी ज्ञान में अद्यतन करने और अपना कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

बी डी एल ने 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति निर्देशों को लागू किया है।

7. **संप्रेषण के माध्यम :**

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली दृढ़ है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट (www.bdl-india.in) के साथ-साथ संप्रेषण के सभी माध्यम शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप में जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आरटीआई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहती है। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों को निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं।

लिस्टिंग विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन प्लाटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। आगे, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत में प्रसारित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेज़ी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र में और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं।

कार्य-निष्पादन संबंधी कंपनी की जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है।

8. **सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी**

(ए) वर्ष 2017 -1 8 के लिए 48वीं आम सभा दि. 27 सितंबर, 2018 सुबह 11.30 बजे होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032 में होगी।

(बी) वर्ष 2018-19 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थायी कैलंडर इस प्रकार है :

30.06.2018 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2018 या उससे पहले
30.09.2018 को समाप्त तिमाही के लिए	15.11.2018 या उससे पहले
31.12.2018 को समाप्त तिमाही के लिए	15.02.2019 या उससे पहले
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2019 या उससे पहले
49वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2019 या उससे पहले

(सी) सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका शुक्रवार 21 सितंबर, 2018 से गुरुवार 27 सितंबर, 2018 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

(डी) आपके निदेशक मंडल ने दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10 के प्रति ईक्विटी शेयर पर 7.29 अर्थात् 72.9% (सम मूल्य) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 48वीं आम सभा में अनुमोदित हो जाने पर यह लाभांश अतिम तिथि के भीतर शेयरधारकों में वितरित किया जाएगा।

(ई) कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई')	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')
पी जे टावर्स, 26वाँ तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017 -18 और 2018-19 के लिए दोनों शेयर बाजारों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(एफ) संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के ईक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आई एस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

शयर एक्सचज	स्टॉक कोड
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई आई आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

(जी) शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान

कंपनी नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूँजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूँजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करता है कि कुल जारी / भुगतान पूँजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के उपलब्ध डीमेटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं ।

कंपनी छ: माह के अंतराल में पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र लॉजमेंट के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 -19 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा – एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(एच) बाजार मूल्य डॉटा

कंपनी दि. 23 मार्च, 2018 से बी एस ई तथा एन एस ई में सूचीबद्ध हुई। बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :

मार्च, 2018 के दौरान बी एस ई संसेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

बी एस ई

महीना	बीएसई ससक्स बद	बीडीएल शयर मल्य			कल शयर जिनका कारोबार किया गया	टनओवर (रुपय लाख म)
		उच्च रुपय	न्यन रुपय	बद रुपय		
मार्च, 2018	34,047	414	360	393.35	979,900	3878.91

एन एस ई

महीना	एनएसई निफ्टी बद	बीडीएल शयर मल्य			कल शयर जिनका कारोबार किया गया	टनओवर (रुपय लाख म)
		उच्च रुपय	कम रुपय	बद रुपय		
मार्च, 2018	10114	414 .60	36 2	396.65	5806314	22956.04

कंपनी के पहली बार दि. 23 मार्च, 2018 को सूचीबद्ध होने की वजह से बी एस ई संसेक्स और निफ्टी बंद होने की स्थिति सहित बी एस ई और एन एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति देना संभव नहीं हो पाया है।

(आई) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डीमेटीरियलाइजेशन / रीमेटीरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

205-208,अनारकली कांप्लेक्स

झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044

दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543473

ई-मेल : bdl_ipo@alankit.com

वेबसाइट : www.alankit.com

निवेशक शिकायत आई डी : bdl_igr@alankit.com

संपर्क-सूत्र : पंकज गोयंका / बोजीमन

(जे) शेयर ट्रांसफर प्रणाली

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा क्रय / बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से सपंर्क करना चाहिए। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक रूप से / प्रमाण पत्र के रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में शेयरधारक एस टी ए / कंपनी से पत्राचार करेंगे।

(के) दि. 31 मार्च, 2018 तक शेयरधारण का वितरण

मौजद ईक्विटी शयर	कल शयरधारक	%	कल शयर	%
1-100	145363	93.025	5791189	3.16
101-500	10495	6.716	2332379	1.273
501-1000	153	0.098	109485	0.06
1001-5000	170	0.109	372110	0.203
5001-10000	35	0.022	238482	0.13
10001-20000	1 1	0.007	130123	0.071
20001-30000	10	0.006	241887	0.132
30001-40000	3	0.002	112910	0.062
40001-50000	5	0.003	231429	0.126
50001-100000	3	0.002	209440	0.114
100001-500000	6	0.004	1451057	0.792
500001 and above	8	0.006	172060759	93.877
कुल	**156262**	**100**	**183281250**	**100**

(एल) शेयर का डीमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा – नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.स.	विवरण	कल शयर	%
1	एन एस डी एल	180047147	98.24
2	सी डी एस एल	3234091	1.76
3	भौतिक रूप में	12	0
	कुल	**183281250**	**100**

(एम) बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

(एन) पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोख़िम तथा हेड्जिंग गतिविधियाँ :

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरणिकाओं में किया गया है।

(ओ) संयंत्र के स्थान

<table>
<tr><td colspan="2">भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग
हैदराबाद-500058
दूरभाष : (040)-24587002
फैक्स : (040)-24347513</td></tr>
<tr><td>भारत डायनामिक्स लिमिटेड
भानूर
पटानचेरु मंडल
संगारेड्डी जिला
हैदराबाद-502305
दूरभाष: (040)-23469551
फैक्स : (040)-23469552</td><td>भारत डायनामिक्स लिमिटेड
"जी" ब्लॉक, ए पी आई आई सी – आई ए एल ए
वी एस ई जेड पोस्ट
विशाखापट्टणम-530049
दूरभाष : (0891)- 2821500
फैक्स : (0891)- 2821502</td></tr>
</table>

(पी) **पत्राचार का पता / निगम कार्यालय**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

सी आई एन : L24292TG1970GOI001353

निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500 032

दूरभाष : (040) 23456 123 फैक्स : (0 4 0) 2 3456110

ई-मेल : bdlcompsecy@bdl-india.in ; investors@bdl-india.in

वेबसाइट : www.bdl-india.in

9. अन-अनुपालन का विवरण :

दि. 31 मार्च, 2018 तक नैगमिक अभिशासन के संबंध में किसी प्रकार का अन-अनुपालन नहीं है।

10. गैर-आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकेतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

11. दावा नहीं किये गये लेखा के शेयर का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) किया है और दि. 23 मार्च, 2018 को सूचीबद्ध हुई है। आई पी ओ के दौरान, असंपूर्ण / गलत / अवैध डीमैट लेखा विवरण, अधूरा पता इत्यादि कारणों के चलते कुछ शेयर निवेशकों को सुपुर्द / जमा नहीं किये जा सके। लिस्टिंग विनियम के विनियम 39 (4) के अनुसार, ऐसे शेयर एक अलग संदिग्ध खाते में रखे जाते हैं और ऐसे शेयर जब भी सही निवेशक कंपनी / एस टी ए से संपर्क करते हैं, तो उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब तक ऐसे शेयर के सही मालिक दावा नहीं करते, तब तक ऐसे शेयर पर मतदान का अधिकार रोके रखा जाता है :

विवरण	कल शयरधारक	ईक्विटी शयर
कुल शेयरधारक और दि. 01 अप्रैल, 2017 तक दावा न किये गये संदिग्ध खाते में स्थित शेयर	-	-
वर्ष के दौरान दावा न किये गये संदिग्ध खाते से हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारक	-	-
वर्ष के दौरान ऐसे कुल शेयरधारक जिन्हें दावा न किये गये संदिग्ध लेखा से शेयर हस्तांतरित किये गये	-	-
कुल शेयरधारकों की संख्या और दि. 31 मार्च, 2018 तक संदिग्ध खाते में स्थित दावा नहीं किये गये शेयर की संख्या	3*	105*

*** दावा न किये गये शेयर अप्रैल, 2018 और मई, 2018 के दौरान सही मालिकों को हस्तांतरित कर दिये गये। आज की तारीख पर दावा न किये गये कोई शेयर नहीं हैं।**

12. इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी ज़रूरी है। आचरण संहिता और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दी गई है।

13. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता :

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा :

यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार, आचरण एवं नैतिक संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 06669311

स्थान : विशाखापट्टणम
दिनांक : 20 जुलाई, 2018

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन - प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण सूचीबद्ध विनियम की अनुसूची –V एवं विनियम 15(2) में संदर्भित अनुसार एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के संबद्ध प्रावधान एवं सी पी एस ई के लिए सरकार द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा यह परीक्षण नैगमिक अभिशासन प्रमाणन की दिशा-निर्देश टिप्पणी के आधार पर किया गया है जो कंपनी द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

मेरी राय, मुझे प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने उक्त उल्लिखित सूचीबद्ध विनियम एवं डी पी ई दिशा-निर्देश में निर्धारित नैगमिक अभिशासन की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी की गतिविधियाँ इसकी भावी व्यवहार्यता, न ही किसी दक्षता या प्रभावधर्मिता के प्रति कोई आश्वासन देती है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि कंपनी के रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की शिकायत एक महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं रही।

(वाई रमेश)
पेशेवर कंपनी सचिव
सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 15 जून, 2018

अनुलग्नक – 6

संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सिद्धांतवार (एन वी जी के अनुसार) संव्यवहार नीति / नीतियाँ

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एन वी जी) में उल्लिखित 9 सिद्धांत इस प्रकार हैं :

सिद्धांत 1

संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं संचालित और अभिशासित हो।

सिद्धांत 2

संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र के दौरान सातत्यता में योगदान दें।

सिद्धांत 3

संव्यवहार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

सिद्धांत 4

व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिए स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

सिद्धांत 5

संव्यवहार में मानवाधिकारों का सम्मान और इसका प्रचार होना चाहिए।

सिद्धांत 6

संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण करते हुए इसके पुन:स्थापन का प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 7

संव्यवहार से सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित होने लगी हो तो इसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए।

सिद्धांत 8

संव्यवहार से समावेशी और न्यायसंगत विकास को समर्थन मिलना चाहिए।

सिद्धांत 9

संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

खण्ड 'ए' : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1 **कंपनी की नैगमिक पहचान संख्या (सी आई एन)**
L24292TG1970GOI001353

2 **कंपनी का नाम**
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

3 **वेबसाइट**
www.bdl-india.in

4 **ई-मेल आईडी**
investors@bdl-india.in

5 **क्षेत्र जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)**
अस्त्र प्रणाली का विनिर्माण (2927)

6 **कंपनी की तीन प्रमुख उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार)**
मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण

7 **कुल स्थान जहाँ कंपनी का संव्यवहार कार्य संपन्न होता हो**
ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों के विवरण दें) शून्य
बी. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या - 4

8 **कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय / राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय**
राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड 'बी' : कंपनी के वित्तीय विवरण

1 **प्रदत्त पूँजी (भारतीय रुपये)**
183,28,12,500

2 **कुल टर्नओवर (भारतीय रुपय)**
458760 लाख

3 **कुल कराधान बाद लाभ (भारतीय रुपये)**
52815 लाख

4 **नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर कुल व्यय (भारतीय रुपये)**
1839.40 लाख

5 **उपर्युक्त मद सं. 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर व्यय किया गया हो, उसकी सूची**
बी डी एल की सी एस आर गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं:
- शिक्षा और कौशल विकास
- ग्रामीण विकास
- खेल-कूद और स्वच्छ भारत परियोजनाएँ
- पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी पहल

खण्ड 'सी' : अन्य विवरण

1 **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?**
नहीं।

2 **सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व की पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या बताएँ।**
लागू नहीं।

3 **क्या कोई ऐसी इकाई / इकाइयाँ (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) हैं जिनके साथ कंपनी संव्यवहार करती हो और वे संस्था / संस्थाएँ कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी इकाई / इकाइयों का प्रतिशत बताएँ। [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]**
नहीं।

खण्ड 'डी' : संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी।

1. **संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण।**

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता संबंधी संव्यवहार उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति द्वारा किया जाता है। सी एस आर अण्ड एस डी समिति के गठन का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी के सर्वांगीण संव्यवहार का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का है जो संबंधित समूह प्रधान द्वारा इनका कार्यान्वयन करवाते हैं :
बी डी एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का विवरण इस प्रकार है :

2. **संव्यवहार उत्तरदायित्व प्रधान के विवरण :**
डी आई एन : 06669311
नाम : श्री वी उदय भास्कर
पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दूरभाष : 040-23456123
ई-मेल : cmdbdl@bdl-india.in
निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान की जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं।

3. **सिद्धांतवार संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियाँ**
(ए) अनुपालन के विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें) – अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका देखें।

4. **संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी अभिशासन**

(ए) कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या सी आई ओ की बारंबारिता बताएँ।

कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन दैनिकता आधार पर संव्यवहार उत्तरदायित्व कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित बोर्ड / समितियाँ वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करती हैं।

(बी) क्या कंपनी संव्यवहार उत्तरदायित्व या सातत्यता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यह लिंक देखने के लिए कौन-सा हाइपरलिंक है? कितने अंतराल में यह प्रकाशित किया जाता है?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूची बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय, 2015 के विनियम 34 (एफ) के लागू होने के बाद यह पहला वर्ष है।

खण्ड 'ई' : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।

1. **क्या नैतिक मूल्य, घूसकोर और भ्रष्टाचार संबंधी नीति कंपनी की हद तक सीमित है? हाँ / नहीं। क्या यह ग्रुप / संयुक्त / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी लागू है?**

कंपनी में 'एकता समझौता' लागू है जिस पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ताकि समय-समय पर जारी होने वाली रु. 2 करोड़ के ऊपर के उच्च मूल्य वाली निविदाओं के संबंध में कोई सवाल उठा सकें। इस 'एकता समझौता'

(ए) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें।)

स.	प्रश्न	पी-1	पी-2	पी-3	पी-4	पी-5	पी-6	पी-7	पी-8	पी-9
1	क्या आपकी कंपनी में संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए कोई नीति / नीतियाँ लागू हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है?	हाँ। कंपनी, कंपनी संबंधी विभिन्न नीतियाँ सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / संचालन के क्षेत्र में बतायी गयी सभी कार्यपद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुपालन करती है।								
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप है ?	हाँ। बी डी एल में विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न लागू कानून / दिशानिर्देश / नियमों आदि के अनुरूप हैं और समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है। नीतियाँ तैयार करते समय उद्योग प्रथाओं, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का ध्यान रखा जाता है।								
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अनुमोदन प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सी ई ओ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	विभिन्न लागू कानून / विधियों / नियमों / दिशानिर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियों को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक/ अधिकारी की कोई निर्दिष्ट समिति है?	वार्षिक विवरण का अंग नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये अनुसार विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी करती है।								
6	नीति ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ।	नीतियाँ कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या यह नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है?	कंपनी की नीतियों और परिचालन ढाँचे कंपनी की वेबसाइट और साथ ही इंट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं।								
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था है?	हाँ। कंपनी के माल और सेवाओं को सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक बुनियादी ढाँचे, मानव-शक्ति समूह, दस्तावेजीकृत मानक परिचालन पद्धति तथा अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना की गई है।								
9	क्या नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एस ई बी आई (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत आवश्यक अनुसार निदेशक मंडल ने कंपनी में प्रतिभूतियाँ रखने वाले हितधारक अन्य व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए 'स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति' नाम से एक समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने किसी निदेशक या कर्मचारी की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए एक सतर्क तंत्र भी स्थापित किया है। आगे, बिडर / ठेकेदार से अभ्यावेदन और साथ ही विभिन्न निविदाओं के प्रति कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राय स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आई ई एम) को संदर्भित किये जाते हैं। आवश्यकता महसूस करने पर आईईएम संबंधित अधिकारी और बिडर के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा कर 'स्पीकिंग आर्डर' (लिखित आदेश) के माध्यम से अपनी राय देते हैं।								
10	क्या कंपनी ने इस नीति के काम को आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया है?	कंपनी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखाकार लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, साचिविक लेखापरीक्षा, गुणता लेखापरीक्षा, संरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।								

(बी) यदि क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर किसी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' तो इसका कारण बताएँ : लागू नहीं।

के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उच्च प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस समझौते में विशेषत: संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वाले और बी डी एल दोनों पक्षों के कार्मिक / अधिकारियों के बीच ठेके के किसी भी पहलू / चरण में काई भी भ्रष्ट प्रथा न अपनाए इस दृष्टि से एकता समझौते में विचार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर बोली लगाने वालों को अयोग्य करार कर दिया जाता है और भावी व्यापार लेनदेन से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत का हल निकाला गया?**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 2 : संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।।

1. **आपके ऐसे तीन उत्पाद या सेवाओं की सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोख़िम का ध्यान रखा गया हो।**

कंपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइल व संबद्ध रक्षा उपकरण बनाने के संव्यवहार में लगी हुई है। वैसे कंपनी का एक ही उत्पाद है जिसमें सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता के साथ-साथ उपलब्ध अवसरों का हित शामिल है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) :**

कंपनी ने ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा संयंत्र, पारंपरिक डिस्चार्ज लैंप के स्थान पर एल ई डी से बिजली जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण मानकों का कार्यान्वयन किया है। एल ई डी लाइट पारंपरिक लाइट से 80% ज्यादा कार्यक्षम होती है। एल ई डी में 95% ऊर्जा बिजली में अंतरित होती है और मात्र 5% ही उष्मता के रूप में व्यर्थ होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 6000 ट्यूबलाइट (एफ टी एल) की जगह एल ई डी लगवाए हैं और इससे सालाना लगभग 230400 किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी।

3. **क्या कंपनी में संवहनीय स्रोतीकरण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं?**

टिकाऊ सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए कंपनी विक्रेताओं के चयन संबंधी अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणित विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, विनिर्माता के विभिन्न प्राधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता तथा अन्य आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। निर्धारित समय के भीतर सामग्री की आपूर्ति, किसी विक्रेता को दिये गये कार्य-आदेशों के वार्षिक मूल्यांकन से औसत कार्यनिष्पादन का निर्धारण कार्य किया जाता है।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपासी क्षेत्र भी शामिल हों?**

रक्षा क्षेत्र का उपकरण होने के नाते माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम से खरीद-नीति लागू नहीं है। यद्यपि कंपनी स्थानीय और लघु उत्पादक और सेवा प्रदाताओं से खरीदने / सेवाएँ लेने की कोशिश कर रही है। वैसे कंपनी ने माइक्रो, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित छ: विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है।

5. **क्या कंपनी में उत्पाद / अपशिष्ट के पुन:चक्रण के लिए कोई मेकानिज़्म है?**

कपनी के उत्पाद और इनसे जनित अपशिष्ट की प्रकृति को देखते हुए पुन:चक्रण जैसी कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इस प्रकार के अपशिष्ट का निपटान पर्यावरणीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निपटान या पुन:चक्रण करने वाली एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 3 : संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए :

1. **दि. 31.03.2018 तक कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या :**
3031

2. **अस्थायी / संविदागत / कैजुअल आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या**
60

3. **स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या :**
320

4. **स्थायी अपंग कर्मचारियों की संख्या :**
103

5. **कर्मचारी (असोसिएशन) संघ :**
बी डी एल में प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त तीन संघ हैं।

6. **आपके अस्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी मान्यता प्राप्त असोसिएशन के सदस्य हैं ?**
97%

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पादन संबंधी मामलों में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या :**
शून्य

8. **पिछले वर्ष के दौरान संरक्षा और कौशल उन्नयन विषयों पर कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :**
वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या :
(श्रेणीवार विवरण)

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)					
विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल
जे ओ टी एन ए	212	91	411	474	1188
जे ओ टी एन ए से इतर	141	79	206	418	844

सिद्धांत 4 : व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिए स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक / बाह्य हितधारकों को मैप किया है (जोड़ा है)? हाँ / नहीं**
हाँ।

2. **उपर्युक्त में से कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित हितधारकों की पहचान की है?**
बी डी एल की सी एस आर परियोजनाओं का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित समुदायों को लाभ पहुँचाना है। आगे, बी डी एल सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन हो। बी डी एल, यह भी प्रयास करता है कि परियोजनाएँ जिन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनायी गई हों उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कंपनी ने रोजगार की दृष्टि से (i) अ.जा / अ.ज.जा (ii) दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान वंचित, कमजोर और हाशिये के व्यक्तियों के रूप में की है।

3. **क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ?**

बीडीएल ने अपनी सी एस आर योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित करने पर बल दिया है जिनसे प्रमुखत: वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास, स्वास्थ्य संरक्षण पहल, पेय जल आदि के प्रावधान शामिल हैं।

सिद्धांत 5 : संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इनका प्रचार करें :

1. **क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी की हद तक सीमित है या फिर समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य भी इस दायरे में आते हैं।**

कंपनी का कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह इत्यादि नहीं है। कंपनी की मानव संसाधन संबंधी नीतियों में कर्मचारी और अपने संव्यवहार के परिचालन से संबद्ध अन्य सभी के मानवाधिकार के संबंधी सभी बातें शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी, महिला कर्मचारियों का आदर करने और इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए एक नीति क़ायम की गयी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया?**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 : संव्यवहार पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसकी पुन:स्थापन के प्रयास होना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक व्याप्त है या इसके समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी हैं?**

कंपनी के रूप में पूरी तरह से व्याप्त है। बीडीएल का कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह आदि नहीं है।

2. **जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए क्या कंपनी की कोई रणनीतियाँ / पहल है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।**

बी डी एल की तीनों इकाइयाँ – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हैं। प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण, आंतरिक लेखापरीक्षा और आई एस ओ 14001 : 2015 उन्नयन के लिए लेखापरीक्षा की गयी और प्रमाणन निकाय ने तीनों इकाइयों के लिए आई एस ओ 1400:2015 प्रमाणन की सिफारिश की।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोख़िम की पहचान कर इनका मूल्यांकन करती है? हाँ / नहीं।**

हाँ।

4. **क्या क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज़्म से संबंधित कंपनी की कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में तत्संबंधी जानकारी दें। साथ ही, यदि है तो कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई?**

नहीं।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज आदि से संबंधित हाइपरलिंक दें।**

बी डी एल ने शून्य द्रव रिसाव प्रणाली, हानिकारक अपशिष्ट निपटान प्रणाली जैसी विभिन्न हरित पहलों का कार्यान्वयन किया है। और आगे, पर्यावरण रक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए गये।

सौर ऊर्जा प्रमुख नवीकरण ऊर्जाओं में से एक है। बी डी एल ने अपनी हरित ऊर्जा पहल के अंतर्गत अपनी इकाइयों में 10 मेगावाट ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रतिबद्धता में संशोधन किया है। वर्ष के दौरान 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पूरी हो गई है और इब्राहीमपट्टणम इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा परियोजना का कार्य जारी है।

6. **रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा होने वाले उत्सर्जन / अपशिष्ट सी पी सी बी / एस पी सी बी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर है?**

हाँ

7. **सी पी सी बी / एस पी सी बी से प्राप्त कारण बताओ / कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित (यानी संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किये गये) हैं।**

शून्य

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संघों का नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध हैं :**

भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई)
सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (सॉडेट)

2. **क्या आपने सार्वजनिक उन्नयन या सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत / दलबंदी की है?**

नहीं।

सिद्धांत 8 : संव्यवहार को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 8 संबंधी नीति के अनुसरण में कंपनी के कोई निर्धारित कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं?**

जैसा कि उपर्युक्त खण्डों में बताया गया है कि बीडीएल की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएँ उन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास में लगी हैं जहाँ कंपनी की इकाइयाँ स्थित हैं। इसके अलावा बीडीएल के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।

2. **क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं।**

बीडीएल मौजूदा परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न एन जी ओ, फाउण्डेशन, सरकारी एजेंसियाँ तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के साथ सहयोग से काम करता है।

3. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का कितना प्रत्यक्ष योगदान है?**

   वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर रु. 1839.40 लाख की राशि खर्च की है। कृपया इस वार्षिक विवरण के अंग के रूप में प्रस्तुत की गई सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट देखें।

4. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जिनसे कि आपकी यह सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनायी गयी है।**

   हाँ। बी डी एल, अपनी अधिकतम परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है।

सिद्धांत 9 : संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत कितना लंबित है?**

   शून्य।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार और उससे परे उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?**

   कंपनी अस्त्र प्रणाली विनिर्माण के संव्यवहार से जुड़ी रहने के कारण यह लागू नहीं।

3. **क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है?**

   नहीं।

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान कार्यक्रम किया है?**

   नहीं। यद्यपि बी डी एल हमेशा नियमित अंतराल पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कर ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य-गण, भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

हम यह रिपोर्ट, सी ए आर ओ, 2016 की रिपोर्ट अर्थात स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक- ए के अनुच्छेद 7 (बी) के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखाकार के सुझावों के अनुपालन में जारी कर रहे हैं। यह हमारी ओर से स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के लिए दी गई दि. 30.05.2018 की रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

1. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

हमने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 तक की अवधि संबंधी तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी।) के सार की लेखापरीक्षा की है।

2. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाना कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है।

इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की आस्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

3. लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा द्वारा इन एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय दें।

हमने, अधिनियम के प्रावधान, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानक, अधिनियम के प्रावधान तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किये जाने वाले विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने, एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक मूल्यों के अनुरूप करें और इसकी योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सके कि ये एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ तथ्यात्मक अकथनों से मुक्त है।

लेखापरीक्षा में एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन-प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा के लिए अपनायी जाने वाली पद्धतियाँ, धोखाधड़ी या गलती से हुई एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं के वास्तविक अकथनों से होने वाले जोख़िम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती हैं। जोख़िम प्रबंधन के दौरान लेखापरीक्षक, स्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा पद्धतियों को तैयार करने में कंपनी की सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किये गये लेखा-अनुमान की विश्वसनीयता सहित एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की पूरी प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं।

हमें विश्वास है कि एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

4. राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ, 31 मार्च, 2018 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति के विवरण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

5. विषयों का महत्व

हम निम्न के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं :

(i) एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिका की टिप्पणी सं. 28 दर्शाता है कि ग्राहक द्वारा गुणता की स्वीकृति एवं ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा दरों की स्वीकृति के आधार पर कुछ-एक विक्रय के हिसाब करने संविदा में संशोधन किया जाना प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. अन्य विधि एवं विनियम आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक-'ए' में संलग्न है।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी इस प्रकार है कि -

(ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी गईं और प्राप्त की गई हैं।

(बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।

(सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं।

(ई) दि. 31 मार्च, 2018 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन तथा निदेशक मंडल द्वारा किये गये रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से लेकर दि. 31 मार्च, 2018 तक कोई भी निदेशक अक्षम नहीं पाया गया।

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' का अवलोकन करें।

(जी) धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक-'सी' में प्रस्तुत करते हैं।

(एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार –

(i) कंपनी ने अपनी भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 36 (6) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

(ii) कंपनी ने, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा पर यदि कोई हो तो, सामग्री नुकसान के लेखा मानक या अनुप्रयोज्य विधि के आवश्यकतानुरूप प्रावधान रखा है।

(iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 04.07.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का

अनुलग्नक – ए

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिका के संबंध में दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 (1) के संबंध में है।

1. ए) निम्नलिखित उप-खण्ड (सी) के अधीन कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूरे विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है।

   बी) कंपनी में नियमित रूप से स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की विधि कायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिसंपत्तियों का भौतिकतः सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है।

   सी) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेख देखने पर पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधिकार विलेख कंपनी के नाम से है जबकि निम्न संपत्तियों के संदर्भ में अधिकार विलेख प्राप्त होना शेष हैं :

परिसपत्ति की प्रकति	रु. लाख म	कारण
कंचनबाग स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि (0.97 लाख की निवेश संपत्ति सहित)	29.39	राज्य सरकार द्वारा यह भूमि मुफ्त में दी गई। अधिकार विलेख जारी नहीं किया गया। भा.ले.मा. 16 के अनुसार मूल्य सही है।
इब्राहीमपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	5831.28	टी एस एच सी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया। उनके नियमानुसार फैक्टरी बनाने के बाद ही भूमि का पंजीकरण किया जाएगा।
विशाखापट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	376.13	राज्य सरकार द्वारा अधिकार विलेख बनाया जाना है।
विशाखापट्टणम में पट्टे पर भूमि	-	पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा विलेख किया जाना है।

2. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मार्गस्थ एवं तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री छोड़कर तैयार माल, कच्चा माल, भंडार, पुर्जे की सामग्री सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार यह सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं तथा वास्तविक परीक्षण में पाई गई लेखा विसंगतियाँ उचित रूप से दर्शाए जा रहे हैं।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म / कंपनी या अन्य पार्टियों को अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अतः धारा 189 के तहत सूचित पार्टियों को अग्रिम एवं ऋण संबंधी मामले यहाँ लागू नहीं होंगे।

4. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने तथा गारंटी देने संबंधी मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। अतः निक्षेप स्वीकार किए जाने तत्संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा यथासंशोधित कंपनी नियमावली (निक्षेप स्वीकार करना), 2014 कंपनी के लिए लागू नहीं होंगी।

6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना है। हमने संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है। तथापि, इन अभिलेखों की सटीकता या पूर्णता के बारे में अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की गई है।

7. सांविधिक शुल्क के संबंध में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

   ए) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किये जा रहे हैं। कंपनी अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी एवं सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक देय तिथि से लेकर छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी अविवादित कर भुगतान के लिए शेष नहीं है।

   बी) कंपनी अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं मूल्यवर्द्धित कर के संबंध में देय विवादित राशि के विवरण निम्न प्रकार हैं :

सविधि	शल्क की प्रकति	विवादित राशि (रुपय लाख म)	विधि क अनसार समायोजित / विरोध किय जान पर प्रदत्त	शष	अवधि	फोरम जहा विवाद लबित ह
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	284.36	71.09	213.27	2007-08	टीएस वीएटी ए टी
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	332.14	166.07	166.07	2010-11	टीएस वीएटी ए टी
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5550.83	693.85	4856.98	2011-12	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में रिट लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5024.27	0	5024.27	2012-13	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में रिट लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4266.81	0	4266.81	2013-14	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में रिट लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6468.12	0	6468.12	2014-15	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में रिट लंबित है।
वित्तीय अधिनियम	सेवा कर	2355.81	0	2355.081	2012-13 से 2014-15	प्रधान आयुक्त, सेवा कर, हैदराबाद
कुल		24282	931.01	23351.03		

8. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को शुल्क के भुगतान में कोई चूक नहीं की है तथा कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किया है।

9. कंपनी ने प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव या मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सी ए आर ओ) का खण्ड (ix) कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।

10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी देखने में नहीं आयी है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। अतः सी ए आर ओ का खण्ड (xi) लागू नहीं होगा।

12. कंपनी **निधि** (एन आई डी एच आई आदि) कंपनी नहीं है. अतः सी ए आर ओ का खण्ड (xii) लागू नहीं होगा।

13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि संबंधित पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा-मानक के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं में सभी विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

14. कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिमान्य ईक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, अधिमान्य प्रस्ताव के मामले लागू नहीं होते हैं।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नक़द लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 4/07/2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का
अनुलग्नक – बी

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं पर दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 (2) (एफ) के संबंध में है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2018 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

2. **प्रबंधन का दायित्व :**

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों के अनुवर्तन के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

3. **लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :**

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" (निर्देश टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार की मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभाविता के उचित आश्वसन प्राप्त होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमियाँ होने के जोख़िम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

4. **वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :**

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं - 1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; 2) उचित आश्वसान देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किए गए हैं। 3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आश्वासन।

5. **वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ :**

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेईमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखाधड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोख़िम हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

6. **राय :**

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2018 तक वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 4/07/2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का

अनुलग्नक-सी

यह अनुलग्नक दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के एकमेव वित्तीय विवरणों पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखपरीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 (2) (जी) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 143 के उपखण्ड 5 के अंतर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के निदेशों की रिपोर्ट इस प्रकार है :

<table>
<tr><th colspan="2">निदश</th><th>रिपोट</th><th>प्रभाव</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या कंपनी के पास पूर्णस्वामित्व वाली और पट्टे पर स्थित भूमि के संबंध में स्पष्ट टाइटल / पट्टे संबंधी विलेख हैं? यदि नहीं तो, जिनके लिए टाइटल / पट्टे संबंधी विलेख उपलब्ध नहीं हैं, उन पूर्णस्वामित्व वाली / पट्टे पर स्थित भूमियों के क्षेत्र बताएँ।</td><td>स्पष्ट टाइटल / पट्टे संबंधी उपलब्धता अभिनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि निम्नलिखित जायदाद / भूमि से संबंधित विलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
<table>
<tr><th colspan="2">भूमि की प्रकृति</th><th>भूमि का विस्तार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंचनबाग स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (5 एकड़ 1 गुण्टे की निवेश संपत्ति सहित)</td><td>151 एकड़ 33 गुण्टा</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विशाखापट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व वाली भूमि</td><td>10 एकड़ 13 गुण्टा</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>इब्राहीमपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व वाली भूमि (विक्रय करार उपलब्ध)</td><td>597 एकड़ 22.50 गुण्टा</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विशाखापट्टणम स्थित पट्टेधारित भूमि</td><td>3 एकड़ 25 गुण्टा</td></tr>
</table></td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या उधार / ऋण / ब्याज इत्यादि के अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि है तो उसके कारण और शामिल राशि स्पष्ट करें।</td><td>हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में वर्ष के किसी भी प्रकार के उधार का अधित्याग नहीं किया गया।</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री तथा सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार / अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है?</td><td>कंपनी की लेखा-बही तथा रिकॉर्ड के आधार पर हमारी राय में तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री का उचित रिकॉर्ड रखा गया है। साथ ही, वर्ष के दौरान कंपनी ने, सरकार या अन्य प्राधिकरण से किसी प्रकार का उपहार या अनुदान प्राप्त नहीं किया है।</td><td>शून्य</td></tr>
</table>

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 4/07/2018

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

नि./बी.डी.एल.लेखा(2017-18)/2018-19/235
सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर - 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD,
BANGALORE - 560 001.

दिनांक/ DATE. 18 जुलाई 2018

सेवा मे,
श्री वी.उदय भास्कर,
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,प्लॉट सं. 38-39,
टीएसएफसी बिल्डिंग, फिनानसियल डिस्ट्रिक्ट
गाछीबौली, हैदराबाद - 500032

महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "निल टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ।

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये।
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये ।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

18/7/2018
(एन. सुब्रमणीयन)
निदेशक (प्रशासन)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ :

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें। लगता है उनकी दि. 30 मई, 2018 और दि. 04 जुलाई, 2018 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह दी जा चुकी है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो प्राथमिकत: सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उद्धृत लेखापरीक्षा संबंधी मेरी राय के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अनुलग्नक-ए के अनुच्छेद 7 (बी) में किये गये संशोधनों को देखते हुए अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-
(संतोष कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18 जुलाई, 2018

भारतीय लेखा मानक

वित्तीय विवरणिका – 31 मार्च, 2018

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका – 31 मार्च, 2018

निगम सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन सार्वजनिक उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं।

विषय-सूची

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं –

(ए) तुलन-पत्र

(बी) लाभ-हानि लेखा

(सी) ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(डी) नक़द-प्राप्ति विवरण

(ई) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ

(एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी

रिपोर्टिंग संस्था :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद-500058.

निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा

हैदराबाद-500032.

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2018 को समाप्त तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणिया	31माच, 2018 तक की स्थिति	31माच, 2017 तक की स्थिति
आस्तियाँ			
(1) गैर-चालू आस्तियाँ			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	72,016.16	59,698.53
(बी) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	2	12,984.34	13,475.45
(सी) निवेशित संपत्ति	3	0.97	0.97
(डी) अमूर्त आस्तियाँ	4	14,820.96	16,013.71
(ई) विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	5	-	112.94
(एफ) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) सामग्री सूची	6	368.94	294.68
(ii) ऋण	7	294.25	322.73
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	8	5,030.98	5,020.42
(जी) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	27	19,255.98	14,144.71
(एच) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	9	3,297.25	3,301.62
कुल - गैर-चालू आस्तियाँ		**128,069.83**	**112,385.76**
(2) चालू आस्तियाँ			
(ए) सामग्री-सूची	10	192,586.64	224,041.57
(बी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	11	23,529.92	-
(ii) प्राप्य ट्रेड	12	52,856.37	15,455.05
(iii) नक़द एवं नक़द तुल्य	13	2,998.94	9,310.67
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक में शेष	14	32,680.00	164,490.00
(v) ऋण	15	223.68	289.26
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	16	175,800.33	172,873.28
(c) चालू कर आस्तियाँ	27	-	940.39
(d) अन्य चालू आस्तियाँ	17	51,091.54	138,224.33
कुल चालू आस्तियाँ		**531,767.42**	**725,624.55**
कुल आस्तियाँ		**659,837.25**	**838,010.31**
ईक्विटी एवं देयताएँ			
ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	18	18,328.12	12,218.75
(बी) अन्य ईक्विटी	19	177,309.87	207,278.84
कुल ईक्विटी		**195,637.99**	**219,497.59**
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	5,173.88	5,163.01
(बी) प्रावधान	21	-	1,787.21
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	35,826.18	42,912.46
कुल गैर-चालू देयताएँ		**41,000.06**	**49,862.68**
(2) चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) ट्रेड अदायगी	23	101,150.56	152,936.42
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	24	24,015.89	13,867.26
(बी) अन्य चालू देयताएँ	25	231,412.47	351,033.05
(सी) प्रावधान	26	63,285.87	50,813.31
(डी) चालू कर देयताएँ, निवल	27	3,334.41	-
कुल चालू देयताएँ		**423,199.20**	**568,650.04**
कुल देयताएँ		**464,199.26**	**618,512.72**
कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		**659,837.25**	**838,010.31**

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते-एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(संदस्यता सं. 242470)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07117827

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. : 06669311

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

	विवरण	टिप्पणिया	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
	आय			
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	28	458,759.75	488,661.64
II	अन्य आय	29	17,255.91	29,994.26
III	**कुल आय (I + II)**		**476,015.66**	**518,655.90**
IV	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	30	290,759.21	312,522.69
	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	31	(5,370.00)	(12,438.01)
	कर्मचारी लाभ पर व्यय	32	52,933.98	44,838.65
	वित्त लागत	33	327.92	367.75
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	34	6,347.75	6,201.58
	अन्य खर्च	35	53,634.39	86,881.98
	कुल व्यय (IV)		**398,633.25**	**438,374.64**
V	**असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / (हानि)**		**77,382.41**	**80,281.26**
VI	असामान्य मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**77,382.41**	**80,281.26**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	27	29,678.52	31,198.21
	(2) आस्थगित कर	27	(5,111.27)	(3,322.51)
	कुल कर व्यय		**24,567.25**	**27,875.70**
IX	**वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)**		**52,815.16**	**52,405.56**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	सामग्री जो बाद में लाभ-हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं की जा सकती		-	-
	(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना		-	(1,087.41)
	(बी) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाले मदों से संबंधित आयकर		-	376.33
	कुल अन्य व्यापक आय		**-**	**(711.08)**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**		**52,815.16**	**51,694.48**
XII	**प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन**			
	मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	36 (2)	26.65	24.51

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते-एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(संदस्यता सं. 242470)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07117827

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. : 06669311

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2016 तक प्रदत्त एवं जारी पूँजी	9,775.00
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	2,443.75
31 मार्च, 2017 को शेष	12,218.75
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	6,109.37
31 मार्च, 2018 को शेष	**18,328.12**

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारक्षित एव अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अजन	कल
1 अप्रैल, 2016 को शेष	153,717.26	1,725.00	14,784.34	**170,226.60**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	52,405.56	52,405.56
वर्ष के लिए अन्य व्यापक लाभ (कर का निवल)	-	-	(711.08)	(711.08)
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(12,198.49)	(12,198.49)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-
लाभ-हानि के विवरण से अंतरण	35,300.00	-	-	35,300.00
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण	-	-	(35,300.00)	(35,300.00)
बोनस शेयर जारी करना	(718.75)	(1,725.00)	-	(2,443.75)
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस-खरीद पर जोड़	-	-	-	-
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**188,298.51**	**-**	**18,980.33**	**207,278.84**

विवरण	प्रारक्षित एव अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अजन	कल
1 अप्रैल, 2017 को शेष	188,298.51	-	18,980.33	**207,278.84**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	52,815.16	52,815.16
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	-
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(18,922.23)	(18,922.23)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	(3,054.69)	-	-	(3,054.69)
लाभ-हानि विवरण से अंतरण	23,000.00	-	-	23,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
अवधि के दौरान वापस-खरीद पर जोड़	-	3,054.69	-	3,054.69
बट्टे खाते में लिखा गया प्रति-खरीद प्रीमियम	(41,998.90)	-	-	(41,998.90)
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	(6,109.38)	(3,054.69)	-	(9,164.07)
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-	-	(9,689.99)	(9,689.99)
अंतरिम लाभांश	-	-	(2,500.00)	(2,500.00)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(508.94)	(508.94)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**160,135.54**	**-**	**17,174.33**	**177,309.87**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते-एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(संदस्यता सं. 242470)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07117827

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. : 06669311

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

नक़द प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्रवाह:		
असामान्य सामग्री तथा कर पूर्व लाभ	77,382.41	80,281.26
समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	6,347.75	6,201.59
वित्त लागत	327.92	367.74
ब्याज से आय	(9,181.75)	(20,166.77)
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	20.31
ग्राहक से उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	(734.05)	(704.78)
व्यय के लिए प्रावधान	7,153.37	12,571.40
दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं / प्रावधानों को बट्टे-खाते डाला गया	(120.06)	(4,522.08)
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के निवेश पर उचित मूल्य का समायोजन	(727.55)	(152.41)
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन का बिक्री पर लाभ	(26.02)	-
कार्यगत पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनीय लाभ	**80,422.02**	**73,896.26**
कार्यगत पूँजी में परिवर्तन		
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन		
प्राप्य ट्रेड	(37,401.32)	(1,437.34)
अन्य बैंकों में शेष	131,810.00	92,110.00
ऋण	94.06	26.73
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(6,659.15)	(17,076.14)
सामग्री सूची	28,990.28	(18,653.03)
अन्य आस्तियाँ	86,998.14	32,744.78
परिचालनीय देयताओं में वृद्धि /(अपवृद्धि) के लिए समायोजन		
देय ट्रेड	(51,785.86)	12,666.27
अन्य वित्तीय देयताएँ	10,279.56	9,521.02
अन्य देयताएँ	(125,680.45)	(196,917.56)
प्रावधान	5,996.62	4,620.49
परिचालनों से प्रजनित नक़द	**123,063.90**	**(8,498.52)**
निवल आयकर प्रदत्त	(25,403.72)	(33,490.40)
असामान्य सामग्री से पहले निवल नक़द	97,660.18	(41,988.92)
असामान्य सामग्री	-	-
परिचालनीय गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (ए)	**97,660.18**	**(41,988.92)**
बी. निवेश गतिविधियों से नक़द-प्रवाह		
स्थायी आस्तियों पर पूँजीगत व्यय	(16,868.58)	(13,635.92)
स्थायी आस्तियों की बिक्री से प्राप्ति	-	20.34
वर्ष के दौरान म्युचुअल फण्ड में निवेश	(23,026.02)	-
लाभ-हानि के तरीके से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों का बिक्री पर हुआ लाभ	26.02	-
ब्याज प्राप्ति	12,760.32	13,883.91
निवेश गतिविधियों से / उपभोक्त निवल नक़द (बी)	**(27,108.26)**	**268.33**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नक़द प्राप्ति		
ईक्विटी शेयर के जारी से प्राप्ति	-	-
शेयर आवेदनों से धन प्रप्ति	-	-
वित्त लागत	(188.90)	(228.73)
शेयरों की वापस-खरीद	(45,053.59)	-
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	(9,689.99)	(4,190.06)
प्रदत्त लाभांश और इस पर कर	(21,931.17)	(12,198.49)
सी. वित्तीय गतिविधियों से / उपभोक्त निवल नक़द (सी)	**(76,863.65)**	**(16,617.28)**
नक़द एवं नकुद तुल्य में निवल वृद्धि / (अपवृद्धि) (ए+बी+सी)	**(6,311.73)**	**(58,337.87)**
वर्ष के प्रारंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य	**9,310.67**	**67,648.54**
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य (निम्न नोट (i) का संदर्भ लें)	**2,998.94**	**9,310.67**
टप्पणी (i):		
नक़द एवं नक़द तुल्य युक्त :		
चालू खाते में	371.30	4,614.29
जमा खाते में	2,619.22	4,690.79
नक़द राशि	8.42	5.59
	2,998.94	**9,310.67**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते-एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(संदस्यता सं. 242470)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07117827

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. : 06669311

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई 2018

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई 2018

लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन:

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्न लिखित सम्मिलित नहीं हैं:

उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियां और देयताएँ (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल।

1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग:

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण

2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

2.2 लेन-देन और शेष राशियां

i. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गीकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की धन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।

iii. तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

3. राजस्व की मान्यता

3.1 वस्तुओं की बिक्री:

i) मान्यता का समयन:

यह कम्पनी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को तब मान्यता देती है, जब संविदा की शर्तों के अनुसार वस्तुओं का स्वामित्व ग्राहक के हाथ में आ जाए. तब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:

ए. कम्पनी वस्तुओं के स्वामित्व की महत्वपूर्ण जोखिमें और प्रतिफल खरीदार को हस्तान्तरित कर दे।

बी. कम्पनी न तो प्रायः स्वामित्व से जुड़े दर्जे की अविच्छिन्न प्रबन्धकीय संबद्धता अपने हाथ में रखे न बेची गई वस्तुओं पर प्रभावी नियन्त्रण।

सी. आय की राशि का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी. हो सकता है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करें।

ई. लेन-देन पर आई हुई या आने वाली लागतों का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

ii) बिल पर बिक्री और धारिता आधार पर बिक्री:

आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण, यदि अपेक्षित हो, के बाद बिना शर्त कर दिया जाए तथा निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाएँ :

ए. स्वामित्व का हस्तान्तरण संविदा की शर्तों के अनुसार कर दिया जाए।

बी. सुपुर्दगी सम्भावित हो।

सी. मद हाथ में हो, उसकी पहचान कर ली गई हो और बिक्री मान्य होते समय ग्राहक को सुपुर्दगी के लिए तैयार हो।

डी. संविदा की शर्तों के अनुसार सुपुर्दगी आस्थगित कर दी गई हो।

ई. भुगतान की सामान्य शर्तें लागू होंगी।

iii) कार्यस्थलीय संविदा:

कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

iv) निःशुल्क रेल संविदा:

निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएँ वाहक को सौंप दी जाएँ।

निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएँ गन्तव्य पर पहुँच जाएँ।

v) बहुविध घटक:

जहाँ संस्थापना और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्त रखी गई हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों पर कम्पनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आवंटन उन अलग-अलग घटकों को करती है।

जिस पुंज संविदा में संस्थापना और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कम्पनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय उन अलग घटकों को उनके अपने उचित मूल्य के आधार पर आवंटित करती है।

vi) **ग्राहकों से वित्तपोषित आस्तियां:**

ग्राहकों से मुफ्त में प्राप्त आस्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उनकी अनुरूपी आय को आगे बताए अनुसार मान्यता दी जाएगी :

- यदि किसी एक ही सेवा की पहचान की गई हो, तो वह वस्तु आय को मान्यता तभी देगी जब सेवा का निष्पादन कर दिया गया हो।
- यदि एक से अधिक अलग से पहचानी जाने योग्य सेवा चिह्नित की गई हो, तो संविदा के लिए प्राप्त या प्राप्य कुल प्रतिफल का उचित मूल्य प्रत्येक सेवा को आवंटित किया जाता है और तब मान्यता के मानक प्रत्येक सेवा पर लागू किए जाते हैं।
- यदि किसी अग्रगामी सेवा की पहचान संविदा के भाग के रूप में की जाए, तो उस सेवा के लिए जिस अवधि की आय को मान्यता दी जाएगी, वह साधारणतः ग्राहक से की जाने वाली संविदा की शर्तों के आधार पर निश्चित की जाएगी।

vii) **आय का मापन:**

आय का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है। आय के रूप में दर्शायी राशियों में उत्पादन शुल्क सम्मिलित होता है, लेकिन वापसियां, व्यापार भत्ता, छूटें, मूल्यवर्धन कर, सेवा कर माल और तीसरी पार्टियों द्वारा संग्रहीत राशियां घटा दी जाती हैं।

viii) **निर्माण की संविदा:**

संविदा की आय में सम्मिलित है संविदा में सहमति प्राप्त प्रारम्भिक राशि और संविदा सम्बन्धी कार्य में किसी प्रकार की कमोबेशी, दावे और उस सीमा तक प्रोत्साहन भुगतान, जहाँ उनके आय में प्रतिफलन की सम्भावना हो तथा उनका विश्वसनीय मापन किया जा सके। संविदा आय को संविदा के समापन चरण के अनुपात में मान्यता दी जाती है। समापन चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग की तारीख तक संविदा पर आई वास्तविक लागतों के अनुपात में संविदा के समापन के लिए प्रत्याशित प्राक्कलित कुल लागतों पर किया जाता है।

यदि परिणाम का विश्वसनीय प्राक्कलन न किया जा सके और जहाँ यह सम्भावना हो कि लागतों की उगाही हो जाएगी, वहाँ आय को आई हुई लागतों की सीमा तक मान्यता दी जाती है। निर्माण की संविदा पर प्रत्याशित हानि को खर्च के रूप में मान्यता तुरन्त दे दी जाती है, जब सम्भावना यह होती है कि संविदा की कुल लागतें संविदा की कुल आय को पार कर जाएँगी।

3.2 सेवाओं की बिक्री:

i) **मान्यता का समयन:**

सेवाओं से आय को मान्यता उस लेखा-अवधि में दी जाती है, जिसमें उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में रिपोर्टिंग-अवधि की समाप्ति के लिए प्रावधान करना होता है (समापन विधि का प्रतिशत) ।

ii) **आय का मापन:**

आमदनियों, लागतों या समापन की दिशा में प्रगति के परिमाण का संशोधन किया जाता है, यदि परिस्थितियां बदल जाएँ. इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित आमदनियों या लागतों में किसी भी प्रकार की कमोबेशी को उस अवधि की लाभ-हानि में दिखाया जाता है, जिस दौरान संशोधन की परिस्थितियां प्रबन्धन को पता चलें।

iii) **मूल्य में बढ़ोतरी:**

जिन संविदाओं के मामले में अतिरिक्त प्रतिफल निश्चित करने हों और ग्राहकों से उनका अनुमोदन प्राप्त करना हो, ऐसी अतिरिक्त आय को मान्यता ग्राहकों से पुष्टि प्राप्त होने के बाद दी जाती है। जहाँ सह-इकाइयों के मूल्यों के आँकड़ों के लिए प्रावधान न किया गया हो, उनका प्राक्कलन किया जाता है।

iv) **ब्याज की आमदनी:**

किसी भी वित्तीय आस्ति से ब्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। ब्याज की आमदनी अवधि के आधार पर बकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले ब्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राक्कलित भावी नकद प्राप्तियों में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

v) **लाभांश:**

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान:

4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गए सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।

4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।

4.3 ह्रासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएँ पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।

4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानीजाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यह्रास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

5. आय कर

5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमाई जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

5.3 आस्थगित कर:

i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरों पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियां उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।

ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरों और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियां उपलब्ध होंगी। कराधान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।

iii) आस्थगित आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।

iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्विटी मूल्य में भी दी जाती है।

6. पट्टे

प्रारम्भ की तारीख को पट्टे का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

6.1 पट्टादाता के रूप में

i) जहाँ पट्टादाता के रूप में कम्पनी व्यावहारिक तौर पर स्वामित्व की सभी जोखिमें वहन करने और लाभ उठाने वाली हो, वहाँ सम्पत्ति, संयन्त्र और उपकरणों के पट्टों का वर्गीकरण वित्तीय पट्टों के रूप में किया जाता है। वित्तीय पट्टे प्रारम्भ में ही पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के उचित मूल्य पर या उससे नीचे पूँजी में परिणत किए जाएँगे, यदि पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य न्यूनतम हो। उनके अनुरूप भाड़े की देयताएँ उधारियों में सम्मिलित तो की जाती हैं, लेकिन वित्त प्रभार घटाकर या यथासंगत अन्य वित्तीय देयताओं में। प्रत्येक पट्टा भुगतान का वर्गीकरण देयता और वित्तीय लागत के बीच किया जाता है। वित्तीय लागत पट्टे की सम्पूर्ण अवधि पर लाभ-हानि में इस प्रकार प्रभारित की जाती है कि प्रत्येक अवधि के लिए शेष राशि पर ब्याज की टिकाऊ नियतकालिक दर निकल आए।

ii) जिन पट्टों में पट्टादाता रूपी कम्पनी को स्वामित्व के जोखिमों और लाभों के उल्लेखनीय हिस्से हस्तान्तरित न हों, उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों के अन्तर्गत किए गए भुगतानों (पट्टाधारक से प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रोत्साहनों को घटाकर) को सरल रेखा आधार पर लाभ-हानि में प्रभारित किया जाता है, यदि भुगतानों की रूपरेखा पट्टाधारक की प्रत्याशित मुद्रास्फीतिजन्य बढ़ी हुई लागतों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने वाली न हो।

6.2 पट्टाधारक के रूप में

जहाँ कम्पनी पट्टाधारक हो, वहाँ परिचालन पट्टों से पट्टा आमदनी को पट्टे की सम्पूर्ण मीयाद पर सरल रेखा आधार पर आमदनी में मान्यता दी जाती है, यदि धन-प्राप्तियों की रूपरेखा मुद्रास्फीति के कारण प्रत्याशित लागत में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ बढ़ने वाली न हो। पट्टे पर दी गई सम्बन्धित आस्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

7. सामग्री-सूची

7.1 मालसूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।

7.2 लेखन सामग्री, वर्दियां, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।

7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुर्ज़े, निर्माण सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार तथा फ़ालतू पुर्ज़े आय में प्रभारित किए जाते हैं।

7.4 कच्चे माल, पुर्ज़ों और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

8. वित्तीय लिखतें

8.1 वित्तीय लिखतें:

सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्त के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाज़ार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कम्पनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है:

- जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाना है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएँगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है। शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंत:स्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह यह देखा जाता है कि क्या उनका नक़द-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नकद प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए)(i) परिशोधित लागत: संविदागत नकद प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नकद प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले ऋण निवेश पर नफ़ा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii)अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) :

ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नक़द-प्रवाह के लिए रोकी रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नक़द-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि को शामिल नहीं किया जाता। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्विटी से लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii)लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य :

परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंडों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। । इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्विटी लिखतें:

(बी)(i)कम्पनी सभी ईक्विटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांशों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(बी)(i)लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफ़ा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ़वीओसीआई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ़वीओसीआई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदर्शी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यतः ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोखिम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या जब वित्तीय आस्ति के नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नकद प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

  जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमें और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमें और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।

v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियां

व्यापारिक प्राप्तियां साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियां हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 18 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्तःस्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएँ और ईक्विटी लिखतें

वर्गीकरण

ऋण और ईक्विटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्विटी के रूप में।

i) ईक्विटी लिखतें

ईक्विटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएँ घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्विटी लिखतों को प्राप्त आयराशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएँ

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आवंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राक्कलित भावी नकद भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

iii) व्यापार और अन्य देय राशियां

ये राशियां कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

iv) व्युत्पन्नियां

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफ़ों/(नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नकद प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियां ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोखिमें आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोखिमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियां

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात् अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तः-स्थापित व्युत्पन्नियां अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियां और देयताएँ बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

9. नकद और नकद सममूल्य:

नकद प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नकद और नकद सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियां, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नकद राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोखिम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ़्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

10. उचित मूल्य पर मापन

10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियां और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।

10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रमपरम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है :

स्तर-1 –- सक्रिय बाज़ारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।

स्तर-2 –- स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात् मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात् मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।

स्तर-3 –- आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाज़ार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोखिमों और उचित मूल्य क्रमपरम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

11. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर

11.1 मापन

i. भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।

ii. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से ह्रास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।

iii. बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध

भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।

iv. जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राक्कलित सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर ह्रास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

11.2 ह्रास की विधि, प्राक्कलित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

i. अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आवंटन के लिए सम्पूर्ण प्राक्कलित जीवन-काल पर ह्रास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।

ii. निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।

iii. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

11.3 निपटान

निपटान पर नफ़ा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगमराशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

12. अमूर्त आस्तियाँ

12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइन्सेस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियां तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों,उनका वर्गीकरण ''विकासाधीन अमूर्त आस्तियां' के रूप में किया जाता है।

बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।

सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :

- साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
- प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।
- साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
- यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
- साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और
- साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।

ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन / परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है :

अनुज्ञप्त	उपयोगी काल
कंप्यूटर के साफ्टवेयर का उत्पादन	3 वर्ष

13. संपत्ति निवेष :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ नहो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन कियाजा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखत: बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आई लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जानेपर बिक्री की लागत घटाकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढ़ोतरी को नफ़े की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफ़ा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियां भी सम्मिलित हैं) ह्रास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज़ और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियां और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियां तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएँ तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।

14.5 बंद परिचालन किसी बिकी हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यत: फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समनुषंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

15 आस्तियों की क्षति :

15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।

15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नकद उत्पन्न इकाइयां) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टावधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती हैं।

16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकत: आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।

16.2 जहां समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएँ हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यूं न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।

16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।

16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनुरूप वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।

16.5 निर्णीत हरजाना :

माल / सेवाओं की निर्धारित तिथि और वास्तविक आपूर्ति तिथि एक ही लेखांकत अवधि में आने पर निर्णीत हरजाने का लेखांकन संविधागत शर्तों के अनुसार, यदि कोई हो तो देरी की अवधि तक के लिए किया जाता है।

सुपुर्दगी समय में चूक हो जाने पर ऐसी चूक के लिए प्रावधान संविदा की शर्तों के अनुसार माल / सेवा की निर्धारित आपूर्ति तिथि और माल / सेवा की अपेक्षित आपूर्ति तिथि के बीच हुई देरी की अवधि के लिए किया जाता है।

आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों को मानित नहीं करते हुए टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ : कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएँ जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णत: समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएँ तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

17.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ देयताएँ

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अत: इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्ते संबंधित बाध्यता की शर्तो के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

17.3 रोजगार-उपरान्त बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरान्त बाध्याताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (एँ)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित योजनाएँ संबंधी देयता अथवा आस्ति की तुलन-पत्र में पहचान योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएँ बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बॉण्ड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राक्कलित भविष्य नकद बहिर्भाव को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुन:मापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से जन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।

बी) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अशंदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा

अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नकद वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा-समापन लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरेक पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निमाण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरेक को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किये जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किये जाते हैं।

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

18 दी गई ईक्विटी

ईक्विटी शेयर को ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्विटी में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर अर्जन

20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना भाग कर की जाती है:

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर।

20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त ऑकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- भारित औसत संख्या के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

नोट 1 से 36 और लेखा नीति लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते – एस आर मोहन अण्ड कंपनी		निदेशक मंडल की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेट्स		एवं निदेशक मंडल के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या : 002111S		
एस संदीप रेड्डी	एस पिरमनायगम	वी उदय भास्कर
भागीदार	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं. 242470)	डी आई एन 07117827	डी आई एन : 06669311
		एन नागराजा
स्थान : हैदराबाद	स्थान : हैदराबाद	कंपनी सचिव
तारीख : 30 मई, 2018	तारीख : 30 मई, 2018	(सदस्यता सं. ए19015)

1. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2016 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक की स्थिति	1 अप्रल,2016 तक सचित मल्यह्रास / परिशोधन	वष क लिए मल्यह्रास / परिशोधन	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक सचित मल्यह्रास / परिशोधन	31 माच, 2017 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	6,173.46	386.94	-	**6,560.40**	-	-	-	**-**	**6,560.40**
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	37.05	37.05	-	**74.10**	**3,403.07**
भवन	10,178.16	4,659.16	(167.00)	**14,670.32**	392.08	577.52	(0.16)	**969.44**	**13,700.88**
फेंसिंग और चारदीवारी	1,033.02	79.11	-	**1,112.13**	286.18	264.43	-	**550.61**	**561.52**
सड़कें तथा नालियाँ	847.26	6.17	-	**853.43**	111.20	111.19	-	**222.39**	**631.04**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	99.31	43.69	-	**143.00**	1.76	4.48	-	**6.24**	**136.76**
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	30,769.15	2,537.91	(263.71)	**33,043.35**	1,963.33	2,411.89	(242.63)	**4,132.59**	**28,910.76**
फर्नीचर तथा उपकरण	1,712.73	922.68	(59.87)	**2,575.54**	409.10	502.98	(53.45)	**858.63**	**1,716.91**
परिवहन वाहन	420.54	119.76	(1.18)	**539.12**	55.50	78.71	-	**134.21**	**404.91**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,170.06	3.20	-	**5,173.26**	1,248.78	253.74	(1.54)	**1,500.98**	**3,672.28**
कुल	**59,880.86**	**8,758.62**	**(491.76)**	**68,147.72**	**4,504.98**	**4,241.99**	**(297.78)**	**8,449.19**	**59,698.53**

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2017 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रल,2017 तक सचित मल्यह्रास / परिशोधन	वष क लिए मल्यह्रास / परिशोधन	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2018 तक सचित मल्यह्रास / परिशोधन	31 माच, 2018 तक की स्थिति
पूर्णस्वामित्व पर भूमि	6,560.40	1,868.73	-	**8,429.13**	-	-	-	**-**	**8,429.13**
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	74.10	37.05	-	**111.15**	**3,366.02**
भवन	14,670.32	5,681.61	15.65	**20,367.58**	969.44	852.95	15.81	**1,838.20**	**18,529.38**
फेंसिंग और चारदीवारी	1,112.13	16.38	0.49	**1,129.00**	550.61	207.35	1.89	**759.85**	**369.15**
सड़कें तथा नालियाँ	853.43	-	-	**853.43**	222.39	110.61	-	**333.00**	**520.43**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	143.00	27.51	1.95	**172.46**	6.24	5.84	1.95	**14.03**	**158.43**
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	33,043.35	8,522.76	775.03	**42,341.14**	4,132.59	2,767.88	327.67	**7,228.14**	**35,113.00**
फर्नीचर तथा उपकरण	2,575.54	1,068.77	(641.47)	**3,002.84**	858.63	447.44	(39.39)	**1,266.68**	**1,736.16**
परिवहन वाहन	539.12	8.15	(1.24)	**546.03**	134.21	79.53	(1.23)	**212.51**	**333.52**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,173.26	74.79	-	**5,248.05**	1,500.98	286.13	-	**1,787.11**	**3,460.94**
कुल	**68,147.72**	**17,268.70**	**150.41**	**85,566.83**	**8,449.19**	**4,794.78**	**306.70**	**13,550.67**	**72,016.16**

पुनर्वर्गीकरण रु. 523.69 लाख (संचित मूल्यह्रास रु. 95.61 लाख) सहित समायोजन

* पुनर्वर्गीकरण रु. 718.10 लाख (संचित मूल्यह्रास रु. 211.70 लाख) सहित समायोजन

टिप्पणियाँ:

पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि :

(ए) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित

(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2018 को 2 एकड़ 8 गुण्टा और दि. 31 मार्च, 2017 को 2 एकड़ 8 गुण्टा) शामिल है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी गई है जिस पर उनका स्वामित्व है।

(ii) राज्य सरकार से 146 एकड़ 32 गुंटा ज़मीन नि:शुल्क प्राप्त हुई है जिसका मूल्य रु.28.42 लाख है। (31 मार्च, 2017 तक 28.42 लाख) इस भूमि का हकनामा / स्वामित्व अभी प्राप्त होना है।

(बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत 82 एकड़ 31 गुंटा भूमि जिसके लिए कंपनी द्वारा रु. 21.66 लाख का (31 मार्च, 2017 तक 82 एकड़ 31 गुंटा) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(सी) 10 एकड़ 13 गुंटा ज़मीन (31 मार्च, 2017 तक 10 एकड़ 13 गुंटा) का हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना है जिसके लिए भुगतान की गई 376.13 लाख (31 मार्च, 2017 तक रु.376.13) राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(डी) स्वामित्व में ली जा चुकी 597 एकड़ 22.50 गुण्टे ज़मीन के लिए अंतरण लिखत रसीद प्राप्ति के लेबित रहने के संबंध में इसे भुगतान की गई अनुमानित कीमत के आधार पर पूँजीकृत किया गया है। कुछ शर्तों के अधीन क्रय करार पर रु. 5831.28 लाख का भुगतान कर पूर्ण स्वामित्वाधिकार पर ज़मीन ली गई। इनमें से एक शर्त है कि करार की तिथि और इसके समय-विस्तार से लेकर दो वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पाद आरंभ किये जाने पर उस समय की ज़मीन की लागत के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।

पट्टे पर प्राप्त भूमि :

(ए) प्रति एकड़ प्रति वर्ष रु.1 के पट्टे किराये के आधार पर भारत सरकार से 3 एकड़ और 25 गुण्टे की ज़मीन पट्टे पर ली गई। पट्टे पर किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता। अत: पूँजीगत लागत शोध्य है।

(बी) अमरावती में कुछ शर्तों के साथ पूर्ण स्वामित्वाधिकार 553.34 एकड़ 34 गुण्टा (31 मार्च, 2017 को 553 एकड़ 34 गुण्टा) पट्टे पर ली गई जमीन के लिए 07.02.2014 प्रीमियम के रुप में रु. 3922.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इन शर्तों में प्रमुख है कि जब तक समय के विस्तार के आदेश प्राप्त न हों, आबंटित तिथि से 60 महीने के भीतर फैक्टरी भवन तथा अन्य कार्य पूरे न होने की स्थिति में पट्टा करार रद्द किया जा सकता है और कंपनी को बिना किसी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किये किसी तरह के निर्माण सहित पट्टे की भूमि पर पट्टाकर्ता का स्वामित्वाधिकार होगा।

भवन :

(ए) कंपनी की माल्कियत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य रु. 111.01 लाख (31 मार्च, 2017 को रु.111.01 लाख और 31 मार्च, 2018 को रु.111.01 लाख) सम्मिलित है।

(i) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमानित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

सपत्ति	काय-काल
भवन	30 / 60
फेंसिंग और चारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

2. पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
सिविल	9,970.47	10,609.39
संयंत्र एवं मशीनरी	2,995.63	2,855.65
अन्य	18.24	10.41
कुल	**12,984.34**	**13,475.45**

टिप्पणियाँ:

(i) 31 मार्च, 2018 तक भवन संबंधी पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य में रु.40.09 लाख शामिल है (31 मार्च, 2017 रु. 40.09 लाख) जिसे स्थगित रखा गया है। उप जिला अधीक्षक और तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्टों के बाद कंपनी ने रंगारेड्डी जिले के सर्वेक्षण समायोजन तथा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है। आगे, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्राधिकारी से भी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण एवं अन्य प्राधिकारियों से स्वीकृति मिल जाने के बाद लेखा-बही में आवश्यक समायोजन किए जाएँगे।

(ii) अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित विवरणों के लिए टिप्पणी 36(7) तथा पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 36(6) का संदर्भ लें।

3. निवेश संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2016 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक की स्थिति	1 अप्रल, 2016 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	वष क लिए मल्यहास / परिशोधन	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	31 माच, 2017 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2017 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रल, 2017 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	वष क लिए मल्यहास / परिशोधन	वष क लिए कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2018 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	31 माच, 2018 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

(i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गई राशि

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
किराये से आय	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-

(ii) संविदात्मक बाध्यताएँ

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) पट्टे पर दिए जाने की व्यवस्थाएँ

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ और 1 गुंटा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु. 1 प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2018 में भी यही रही।

(iv) उचित मूल्य

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
निवेशित संपत्तियाँ	1459.26	1459.26

उल्लेखनीय निर्णय :

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और ये भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में ही है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस विभाग के अनुसार इस भूमि का उचित मूल्य रु.0.06 लाख प्रति वर्ग गज़ है।

(v) नुकसान का जायज़ा लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं है।

4. अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2016 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक की स्थिति	1 अप्रल,2016 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	वष क लिए मल्यहास / सशोधन	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2017 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	31 माच, 2017 तक की स्थिति
विकास व्यय	2,591.82	1,444.36	-	**4,036.18**	**644.34**	1,658.77	-	**2,303.11**	**1,733.07**
कंप्यूटर साफ्टवेयर	918.11	168.11	-	**1,086.22**	**200.93**	300.83	-	**501.76**	**584.46**
अनुज्ञप्ति शुल्क	11,247.00	2,449.18	-	**13,696.18**	**-**	-	-	**-**	**13,696.18**
कुल	**14,756.93**	**4,061.65**	**-**	**18,818.58**	**845.27**	**1,959.60**	**-**	**2,804.87**	**16,013.71**

विवरण	सकल वहन राशि				मल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रल, 2017 तक की स्थिति	वष क दौरान जोड़	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन r	31 माच, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रल,2017 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	वष क लिए मल्यहास / सशोधन	वष क दौरान कटौतिया / समायोजन	31 माच, 2018 तक सचित मल्यहास / परिशोधन	31 माच, 2018 तक की स्थिति
विकास व्यय	4,036.18	426.72	(1,138.80)	**3,324.10**	2,303.11	714.24	-	**3,017.35**	**306.75**
कंप्यूटर साफ्टवेयर #	1,086.22	474.70	195.00	**1,755.92**	501.76	474.49	116.68	**1,092.93**	**662.99**
अनुज्ञप्ति शुल्क	13,696.18	519.28	-	**14,215.46**	-	364.24	-	**364.24**	**13,851.22**
कुल	**18,818.58**	**1,420.70**	**(943.80)**	**19,295.48**	**2,804.87**	**1,552.97**	**116.68**	**4,474.52**	**14,820.96**

समायोजन में पुनर्वर्गीकरण सम्मिलित ₹ 194.41 लाख (संचित मूल्यह्रास ₹ 116.09 लाख)

5. विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	-	112.94
कुल	**-**	**112.94**

उल्लेखनीय निर्णय :

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि साफ्टवेयर की कार्यावधि 3 साल हो सकती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
6	**गैर-चालू निवेश**		
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश (अनकोटेड)	368.94	294.68
	(i) ए पी गैस पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (दि. 31 मार्च, 2017 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)		
		368.94	**294.68**
	- लेखा नीति 15 के अनुसार हानि की जाँच की गयी और कंपनी ने पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं दिखाई देते।		
	- टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
	उल्लेखनीय निर्णय :		
	ए पी गैस पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेशी की निवल मालियत पर आधारित है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कंपनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है।		
7	**गैर-चालू ऋण**		
	सुरक्षित, शोध्य माल	249.58	297.13
	असुरक्षित, शोध्य माल	44.67	25.60
		294.25	**322.73**
	टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
8	**अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	- आस्थगित ऋण	5,030.98	5,020.42
		5,030.98	**5,020.42**
	टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	उल्लेखनीय निर्णय :		
	आस्थगित ऋण :		
	आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आयुध निर्माणी से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रुपय में समान किश्तों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसार पूर्णत: मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड के अनुरूप नहीं हैं। अत: प्राप्तियों को लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान पर आस्थगित ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थगित ऋण के अंतर को आस्थगित खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।		
9	**अन्य गैर-चालू आस्तियाँ**		
	पूँजीगत अग्रिम	794.95	660.30
	आस्थगित व्यय*	2,502.30	2,641.32
		3,297.25	**3,301.62**
	* आस्थगित ऋण पर टिप्पणी सं.8 में उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
10	**सामग्री सूची ***		
	कच्चा माल तथा घटक	131,489.68	141213.13
	घटाव : प्रावधान	(4,532.64)	(1,772.47)
	मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	2,404.65	25856.32
		129,361.69	**165,296.98**
	निर्माणाधीन कार्य #	61,497.48	56128.62
	घटाव : प्रावधान	(462.42)	(121.16)
		61,035.06	**56,007.46**
	तैयार माल	626.02	624.88
	घटाव : प्रावधान	(190.38)	(147.24)
	मार्गस्थ तैयार माल	-	-
		435.64	**477.64**
	भंडार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	1,059.90	1522.14
	घटाव : प्रावधान	(135.25)	(170.43)
	मार्गस्थ भंडार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	-	7.09
		924.65	**1,358.80**
	शिथिल औज़ार	1,055.24	1060.23
	घटाव : प्रावधान	(254.68)	(189.31)
	मार्गस्थ शिथिल औज़ार	0.89	1.40
		801.45	**872.32**
	निर्माण सामग्री		
	भंडार तथा उपस्कर - कल्याण	294.07	288.49
	घटाव : परिशोधन	(293.56)	(287.76)
		0.51	**0.73**
	विविध भंडार	**27.64**	**27.64**
		192,586.64	**224,041.57**
	# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री सूची मिलाकर	9.20	82.94
	* उप ठेकेदारों / अन्यों को जारी की गई सामग्री सहित	13,497.30	22,799.18
	- ₹ 13497.30 लाख (31 मार्च, 2017 को रु. 22799.18 लाख) से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु.11,325.55 लाख (31 मार्च, 2017 को रु. 12419.41 लाख) की सामग्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है।		
	- सामग्री-सूची का मूल्य कंपनी की लेखा नीति सं.7 के अनुसार तैयार किया गया है।		
	- अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण, टिप्पणी 36(7):का संदर्भ लें।		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
11	**चालू निवेश**		
	लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
	म्युचुअल फण्ड में निवेश (कोटेड)		
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फण्ड- प्लान ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : 74818.404 (31 मार्च, 2017:शून्य)	2,031.76	-
	एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म- डेबिट फण्ड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : 455024.513 (31 मार्च, 2017: शून्य)	10,246.46	-
	एसबीआई शॉर्ट टर्म -डेबिट फण्ड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : 49751986.348 (31 मार्च, 2017: शून्य)	10,199.60	-
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फण्ड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ : नं. ऑफ यूनिट्स : 38617.679 (31 मार्च, 2017: शून्य)	1,052.10	-
		23,529.92	**-**
	टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य का कुल	23,529.92	-
12	**प्राप्य ट्रेड**		
	सुरक्षित	-	-
	असुरक्षित, शोध्य माल	52,856.37	15,455.05
	संदिग्ध	-	-
	घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (अनुमानित जमा राशि भत्ता)	-	-
		52,856.37	**15,455.05**
	संदर्भ टिप्पणी 36 (1) : वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन;		
	36 (15): उचित मूल्य माप ; 36 (12) पंजीकृत प्रभार।		
13	**नक़द एवं नक़द तुल्य**		
	बैंकों में शेष		
	- चालू खातों में	371.30	4,614.29
	- जमा खातों में (3 महीनों से कम)	2,619.22	4,690.79
	नक़द राशि *	8.42	5.59
	मार्गस्थ प्रेषण व्यय	-	-
		2,998.94	**9,310.67**
	नक़द प्रवाह विवरणिका अनुसार नक़द एवं नक़द तुल्य	**2,998.94**	**9,310.67**
	*रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नक़द तथा नक़द तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं हैं।		
	* हाथ नक़दी में अग्रदायी धारकों के पास की नक़दी भी शामिल है		
	संदर्भ: टिप्पणी 36 (15) : उचित मूल्य के उपाय		
14	**अन्य बैंकों मे शेष**		
	सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	32,680.00	164,490.00
	(परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)		
		32,680.00	**164,490.00**
	- कंपनी ने ₹ 1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने ₹ 1,700.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किए थे।		
	- 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
	नक़द मध्यस्थ बैंक शेष :		
	नक़द एवं नक़द तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	2,998.94	9,310.67
	बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	32,680.00	164,490.00
	बैंक में शेष एवं कुल नक़द	**35,678.94**	**173,800.67**

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
15	**चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	113.08	124.89
	- असुरक्षित, शोध्य माल	110.60	164.37
	कुल चालू ऋण	**223.68**	**289.26**
	टिप्पणी 36 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य मापन		
16	**अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	दावे / वापसी की प्राप्ति	6,854.09	10,092.65
	घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	(21.47)	(21.47)
	आस्थगित ऋण*	358.85	347.85
	बिल रहित राजस्व	167,957.09	158,080.94
	जमा पर उपचित ब्याज	633.74	4,355.90
	उपचित ब्याज - अन्य	18.03	17.41
	कुल अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ	**175,800.33**	**172,873.28**
	टिप्पणी 36 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
17	**अन्य चालू आस्तियाँ**		
	पूँजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम :		
	विक्रेताओं के लिए अग्रिम		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	17,828.33	22,650.46
	- असुरक्षित, शोध्य माल	24,535.31	112,431.83
	- असुरक्षित, शोध्य संदिग्ध	3.19	3.19
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(3.19)	(3.19)
	पूर्वदत्त व्यय	169.53	130.03
	जमा	1,421.62	1,459.11
	अग्रिम सेवा कर तथा जीएसटी	6,997.73	1,413.88
	आस्थगित व्यय*	139.02	139.02
	कुल चालू आस्तियाँ	**51,091.54**	**138,224.33**
	टिप्पणी 36(7) का संदर्भ लें : अल्पावधि के लिए बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

18 ईक्विटी शेयर पूँजी :

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रति शेयर रु. 10/- के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	20,000.00	12,500.00
प्रति शेयर रु. 1,000/- के 12,50,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष)		
जारी, खरीदी गई और प्रदत्त :		
प्रति शेयर रु.10/- के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर पूर्णत: प्रदत्त	18,328.12	12,218.75
प्रति शेयर 1,000/- के 12,21,875 ईक्विटी शेयर पूर्णत: प्रदत्त (पिछले वर्ष)		
	18,328.12	**12,218.75**

टिप्पणियाँ :

ईक्विटी शेयर का सम मूल्य पर रु.10/- है (वर्ष 2016-17 और उससे पहले यह रु.1000/- था। यह धारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है तथा शेयर पर खर्च रुपय और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हकदार बनाता है।

(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	शयरों की सख्या	राशि
31 मार्च, 2016 का शेष	977,500	9,775.00
वर्ष के दौरान जारी बोनस	244,375	2,443.75
31 मार्च, 2017 का शेष	1,221,875	**12,218.75**
वर्ष के दौरान शेयरों का वर्गीकरण	**122,187,500**	**12,218.75**
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	(30,546,875)	(3,054.69)
वर्ष के दौरान जारी बोनस	91,640,625	9,164.06
31 मार्च, 2018 का शेष	**183,281,250**	**18,328.12**

(बी) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण

विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति		31 माच, 2017 तक की स्थिति	
	रख गय शयरों की सख्या	ईक्विटी शयरों क धारकों की सख्या	रख गय शयरों की सख्या	ईक्विटी शयरों क धारकों की सख्या
पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर				
भारत सरकार	160,829,297	87.75%	1,221,875	100%

सी) चालू वर्ष तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2016	31 माच, 2015	31 माच, 2014	31 माच, 2013
वापस-खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)	30,546,875	-	172,500	-	-	-
वापस-खरीदे गये शेयर का अंकित मूल्य (रुपय में)	10.00	-	1,000.00	-	-	-
वापस-खरीदे गये कुल शेयरों का अंकित मूल्य	3,054.69	-	1,725.00	-	-	-
वापस-खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	41,998.90	-	18,160.80	-	-	-
वापस-खरीदे गये शेयरों से संबंधित प्रदत्त प्रतिफल	45,053.59	-	19,885.80	-	-	-
शेयर पूँजी कटौती	3,054.69	-	1,725.00	-	-	-
प्रयुक्त शेयर प्रीमियम	-	-	-	-	-	-
प्रयुक्त सामान्य प्रारक्षण	45,053.59	-	19,885.80	-	-	-
पूँजी शोधन प्रारक्षण में राशि का अंतरण	3,054.69	-	1,725.00	-	-	-

रु.1000 प्रति अंकित मूल्य के शेयर को रु.10/-के अंकित मूल्य में बाँटा गया जिससे ईक्विटी शेयर 8 मई, 2017 से 100 गुना बढ़ गये। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68, 69 और 70 के अनुसार कंपनी ने शेयरों की वापस खरीद प्रक्रिया वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार के साथ पूरी की। मार्च, 2016 में वापस खरीद की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और इसका प्रभाव उपर्युक्त वापस लिए गए शेयरों के विवरण में दिया गया है।

डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2016	31 माच, 2015	31 माच, 2014	31 माच, 2013
जारी बोनस शेयरों की संख्या (संख्या)	91640625	244375	-	-	-	-
जारी बोनस शेयरों का मूल्य (₹ लाख में)	9164.06	2443.75	-	-	-	-

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति
19	**अन्य ईक्विटी**		
	सामान्य प्रारक्षण	160,135.54	188,298.51
	पूँजी शोधन प्रारक्षण	-	-
	प्रतिधारित अर्जन	17,174.33	18,980.33
	वर्ष के अंत में शेष	**177,309.87**	**207,278.84**
	ए. सामान्य प्रारक्षण		
	वर्ष के आरंभ में शेष	188,298.51	153,717.26
	पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	(3,054.69)	-
	वापस-खरीदे गए बट्टे खाते में डाला गया	(41,998.90)	-
	मूल्यहास समायोजन	-	-
	लाभ-हानि खाते की विवरणिका से अंतरण	23,000.00	35,300.00
	जारी किए गए बोनस शेयर	(6,109.38)	(718.75)
	वर्ष के अंत में शेष	**160,135.54**	**188,298.51**
	सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरित करने के लिए किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अत: सामान्य प्रारक्षण में शामिल मदों को क्रमश: लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
	बी. प्रारक्षित पूँजी शोधन		
	वर्ष के आरंभ शेष	-	1,725.00
	सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	3,054.69	-
	जारी किए गए बोनस शेयरों की प्रयुक्ति	(3,054.69)	(1,725.00)
	वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**
	वापस-खरीद के संदर्भ में शेयर पूँजी के नाममात्र मूल्यों में कमी को पूँजीगत पुन:प्राप्ति प्रारक्षण में रिकॉर्ड किया जाता है।		
	सी. प्रतिधारित अर्जन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	18,980.33	14,784.34
	वर्ष में हुआ लाभ	52,815.16	52,405.56
	अंतिम लाभांश और उस पर कर	(18,922.23)	(12,198.49)
	शेयरों की वापस-खरीद पर कर	(9,689.99)	-
	अंतरिम लाभांश	(2,500.00)	-
	अंतरिम लाभांश पर कर	(508.94)	-
	सामान्य प्रारक्षण में अंतरण	(23,000.00)	(35,300.00)
	अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	(711.08)
	वर्ष के अंत में शेष	**17,174.33**	**18,980.33**
20	**अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा	1,878.42	1,920.38
	अंतर्निहित व्युत्पन्न देयता (आस्थगित देयता)	3,295.46	3,242.63
		5,173.88	**5,163.01**
	टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य उपाय		
	उल्लेखनीय निर्णय : 1) आस्थगित ऋण : आस्थगित ऋण राशियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष के आस्थगित ऋण के मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाता है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अत: इसे उचित मूल्य पर लिया जाएगा। उचित मूल्य 8% की दर से भावी नक़द-गमन की छूट के आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इस 8% को पूँजी की लागत के रूप में मानती है। 2) अंतर्निहित व्युत्पन्न : एस डी आर दर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को 'अंतर्निहित व्युत्पन्न' के रुप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजित रुपय मूल्य माना जाता है।		

	विवरण	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति
21	**गैर-चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ		
	प्रोद्भूत छुट्टी	-	711.05
	उपदान	-	1,076.16
		-	**1,787.21**
22	**अन्य गैर-चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम		
	रक्षा मंत्रालय	21,181.70	29,943.30
	अन्य	1,050.00	1,061.22
	आस्थगित आय*	2,573.37	2,716.34
	आस्थगित राजस्व	11,021.11	9,191.60
		35,826.18	**42,912.46**
	* टिप्पणी नं. 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी 36 (19) का भी संदर्भ लें : सोलार प्लांट के लिए अनुदान।		

(₹ लाख में)

23	**देय ट्रेड**		
	देय ट्रेड - चालू :		
	माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को देय राशि	3,725.68	1,601.71
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ ऋणदाताओं को देय	97,424.88	151,334.71
		101,150.56	**152,936.42**
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।		
	(i) लेखांकन वर्ष के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
	- मूल धन	3,524.81	1,400.39
	- ब्याज	200.87	201.32
	(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गयी राशि के साथ दिया गया ब्याज		-
	(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	25.94	9.99
	(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	200.87	201.32
	(v) ऊपर की तिथि पर दिए गए ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
	- माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखारीक्षकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		
24	**अन्य चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता*	369.04	357.73
	जमा	1,405.73	1,530.09
	व्यय के लिए ऋणदाता	5,085.67	3,628.26
	देय कर्मचारी लाभ	9,681.17	5,664.65
	अन्य	2,496.90	199.67
	पूँजीगत कार्य	4,977.38	2,486.86
		24,015.89	**13,867.26**
	टिप्पणी 36 (1) का संदर्भ लें : ऑफसेट्टिंग वित्तीय आस्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ		
	टिप्पणी 36 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	* टिप्पणी सं.19 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
25	**अन्य चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम		
	- रक्षा मंत्रालय	140,816.49	313,058.89
	- अन्य	52,812.16	7,421.19
	आस्थगित आय*	142.97	142.97
	आस्थागित राजस्व	1,989.46	704.79
	सांविधिक प्रेषण	35,651.39	29,705.21
		231,412.47	**351,033.05**
	टिप्पणी 36(7) का संदर्भ लें : अवधिपूर्ण समाप्त की गई परियोजनाओं का विवरण।		
	* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
26	**चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ		
	- उपदान	5733.97	249.45
	- प्रोद्भूत छुट्टी	153.25	-
	वारंटी	4990.22	4,589.84
	परिसमापन क्षतियाँ	27123.41	24,000.45
	दुर्वह ठेका	950.96	39.00
	सीएसआर एवं सतत विकास	958.93	1,225.74
	भावी प्रभार	13509.46	10,843.16
	अन्य	9865.67	9,865.67
		63,285.87	**50,813.31**

प्रावधानों में गति

	अन्य प्रावधान	कमचारी लाभ	वारटी	परिसमापन क्षतिया	दवह ठका	सीएसआर एव सतत विकास	भावी प्रभार	अन्य
	31 मार्च, 2017 का शेष	**249.45**	**4,589.84**	**24,000.45**	**39.00**	**1,225.74**	**10,843.16**	**9,865.67**
	मान्य अतिरिक्त प्रभार	5,887.22	1,647.69	20,366.29	950.96	1,509.54	2,974.03	-
	भुगतान से आयी कमी / भावी आर्थिक लाभ के लिए अन्य त्याग	(249.45)	(1,247.31)	(17,243.33)	(39.00)	(1,776.35)	(307.73)	
	31 मार्च, 2018 का शेष	**5,887.22**	**4,990.22**	**27,123.41**	**950.96**	**958.93**	**13,509.46**	**9,865.67**

वारंटी :
वारंटी अनुमान का निर्धारण, वारंटी दावा की प्रकृति, बारंबारिता तथा इनकी औसत लागत की ऐतिहासिक सूचना तथा उत्पाद की आपूर्ति 1 या 2 वर्ष के भीतर इसमें आने वाली विफलता को ठीक करने पर आने वाले भविष्यंभावी खर्च के प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर की जाती है।
परिसमापन क्षतियाँ :
परिसमापन क्षतियों का निर्धारण, तय आपूर्ति अवधि तथा इसमें देरी की वजहों की ऐतिहासिक सूचना तथा ग्राहकों को दिये जाने वाले माल या सेवाओं में हो सकने वाली देरी पर भविष्य में संभावित खर्च को प्रबंधन के प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।
दुर्वह ठेके :
दुर्वह ठेके संबंधी प्रावधान, कंपनी द्वारा बिक्री ठेके के कार्यान्वयन पर मूल्यांकित हानि को दर्शाता है। इस प्रकार की हानि ऐसे ठेकों के कार्यान्वयन के दौरान मूल्यांकन के समय कंपनी द्वारा मूल्यांकित कर दी जाती है।
सी एस आर तथा सतत विकास :
सी आर आर एवं सतत विकास व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आने वाले व्यय के अनुरूप लिया जाता है।
भावी प्रभार :
भावी प्रभार संबंधी प्रावधान, पूर्व से प्रभावी क्रय संबंधी ठेके शर्तों के अंतर्गत सुपुर्द करने के लिए स्वीकृत अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के समानांतर परिवर्द्धित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के लिए अनुमानित देयताओं को दर्शाती है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
27	**आयकर**		
	ए. आस्थगित कर शेष		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	25,814.49	19,016.39
	आस्थगित कर देयताएँ	6,558.51	4,871.68
	कुल	**19,255.98**	**14,144.71**
	आस्थगित कर शेष का ब्योरा		
	आस्तगित कर आस्तियाँ		
	पूर्णस्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,542.74	1,364.26
	प्रावधान	23,840.02	17,351.81
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	431.73	300.32
	उप-कुल	**25,814.49**	**19,016.39**
	आस्थागित देयताएँ		
	संपत्ति प्लांट एवं उपकरण	3,568.85	2,561.41
	अमूर्त आस्तियाँ	2,322.70	1,785.19
	निवेश का उचित मूल्य		
	- गैर सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	72.76	55.62
	- म्युचुअल फण्ड	174.39	-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	419.81	292.03
	अन्य	-	177.43
	उप-कुल	**6,558.51**	**4,871.68**
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (देयता)	**19,255.98**	**14,144.71**

आस्थगित कर शेष का समाधान :

2016-17 के लिए :

(₹ लाख में)

	विवरण	अथ शष	लाभ हानि क विवरण म पहचान गय	अन्य व्यापक आय म पहचान गय	इति शष
	आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
	पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,220.61	143.65	-	1,364.26
	प्रावधान	12,476.75	4,498.73	376.33	17,351.81
	आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	295.56	4.76	-	300.32
	उप-कुल	**13,992.92**	**4,647.14**	**376.33**	**19,016.39**
	आस्थगित कर देयाताओं से संबंधित :				
	प्लांट एवं उपकरण संपत्ति	1,473.28	1,088.13	-	2,561.41
	अमूर्त आस्तियाँ	1,674.39	110.80	-	1,785.19
	निवेशों का उचित मूल्य				
	- गैर सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	55.62			55.62
	- म्युचुअल फण्ड				-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	287.39	4.64	-	292.03
	अन्य	56.36	121.07	-	177.43
	उप-कुल	**3,547.04**	**1,324.64**	**-**	**4,871.68**
	कुल	**10,445.88**	**3,322.50**	**376.33**	**14,144.71**

आस्थगित कर शेष का समाधान :
वर्ष 2017-18 के लिए

विवरण	अथ शष	लाभ हानि क विवरण म पहचान गय	अन्य व्यापक आय म पहचान गय	इति शष
आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
पूर्णस्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,364.26	178.48	-	1,542.74
प्रावधान	17,351.81	6,488.21	-	23,840.02
आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	300.32	131.41	-	431.73
उप कुल	**19,016.39**	**6,798.10**	**-**	**25,814.49**
आस्थगित कर देयताओं से संबंधित :				
संपत्ति प्लांट एवं उपकरण	2,561.41	1,007.44	-	3,568.85
अमूर्त आस्तियाँ	1,785.19	537.51	-	2,322.70
निवेशों का उचित मूल्य			-	-
- गैर सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	55.62	17.14		72.76
- म्युचुअल फण्ड		174.39		174.39
आस्थगित ऋण का उचित मूल्य	292.03	127.78	-	419.81
अन्य	177.43	(177.43)	-	-
उप कुल	**4,871.68**	**1,686.83**	**-**	**6,558.51**
कुल	**14,144.71**	**5,111.27**	**-**	**19,255.98**

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 तक की स्थिति	31 माच, 2017 तक की स्थिति
बी. चालू कर आस्तियाँ तथा देयताएँ		
चालू कर आस्तियाँ	-	940.39
	-	940.39
चालू कर देयताएँ		
देय आयकर	3,334.41	-
कुल चालू कर देयताएँ	**3,334.41**	**-**

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
सी. कर व्यय		
i) लाभ हानि के विवरण में पहचाने गये		
चालू कर		
चालू वर्ष से संबंधित	29,130.44	30,711.73
पिछले वर्ष से संबंधित	548.08	486.48
कुल	**29,678.52**	**31,198.21**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष से संबंधित	(5,111.27)	(3,322.51)
कुल	**(5,111.27)**	**(3,322.51)**
ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये		
आस्थगित कर		
चालू वर्ष से संबंधित	-	(376.33)
कुल	**-**	**(376.33)**

वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकित लाभ का समाधान निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
	लगातार परिचालनों से कर पूर्व लाभ	**77,382.41**	**80,281.26**
	कर देय आय गणना में (देयकर) राशियों पर नहीं की जाने वाली व्यय की कटौती		
	34.608% पर आय कर व्यय की गणना की गयी है। (वि.व. 2017-18 : 34.608%)	26,780.50	27,783.74
	वर्ष के दौरान किये गये दान	0.09	0.17
	सी एस आर गतिविधियों से संबंधित राशि।	522.42	455.22
	एम एस एम ई को बकाया ब्याज	11.84	23.61
	पूँजीकृत विदेशी मुद्रा	-	-
	अन्य	2,425.04	-
	देय ब्याज u/s 234A, 234B, 234C	86.56	114.68
	देय कर आय की गणना में कर व्यय राशि जिस पर भारांश कटौती उपलब्ध है		
	अनुसंधान एवं विकास व्यय पर भारित कटौती	(696.00)	(1,198.50)
	मूल्यहास	-	-
	निवेश भत्ता u/s 32(AC)	-	-
	वी एल नकदीकरण	-	-
	भूमि के सूचीकरण पर आस्थगित कर का प्रभाव	-	(143.65)
	आस्थगित कर का लेखांकित वर्ष 2018-19 पर प्रभाव	(5,111.27)	
	पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन	-	(253.14)
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष ले.व.2014-15 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	1.02	195.31
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष ले.व.2016-17 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(1.09)	
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष ले.व.2017-18 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	548.15	
	आने वाले वर्ष के चालू कर का चालू वर्ष में संबंधित समायोजन पहचाना गया	-	486.48
	आने वाले वर्षों (कर दरों में परिवर्तन) का आस्थगित कर से संबंधित चालू वर्ष में समायोजन पहचाना गया	-	35.45
	लाभ/हानि का आयकर संबंधी सामग्री का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया	-	376.33
	आयकर व्यय लाभ या हानि में पहचाना गया	**24,567.25**	**27,875.70**

	विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
28	**परिचालनों से राजस्व**		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	309,548.27	393,007.87
	पुर्जे	84,442.62	36,092.58
	उत्पाद शुल्क	1,134.10	35,083.84
	विविध	22,994.48	3,432.40
	सेवाओं की बिक्री		
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	6,636.87	150.43
	प्रशिक्षण	402.91	-
	जॉब वर्क	6,644.50	6,858.27
	अन्य परिचालन राजस्व		
	विनिर्माण ठेके	8,712.96	12,945.16
	स्क्रैप की बिक्री	1.26	40.16
	ग्राहक द्वारा उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	734.05	704.78
	अन्य दावे	17,507.73	346.15
	कुल	**458,759.75**	**488,661.64**
	- टिप्पणी 36(4): विनिर्माण ठेके का संदर्भ लें		
	- तैयार माल की बिक्री में रु. शून्य (रु.8544.88 लाख पिछले वर्ष) तथा पुर्जों की बिक्री पर रु.75221.63 लाख (रु.24773.81 लाख पिछले वर्ष) शामिल है जिनका लेखांकन ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक स्वीकृति और मूल्य के आधार पर किया गया है और इसका संशोधन ग्राहक के विचाराधीन है। कंपनी को इस राशि की प्राप्ति का भरोसा है।		
	उल्लेखनीय निर्णय : राजस्व : - कंपनी द्वारा पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है। - पूर्णता प्रतिशत का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है। - कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की स्थिति में अनुमानित नष्ट की पहचान तुरंत की जाती है।		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
29	**अन्य आय**		
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय		
	बैंक निक्षेप	8,173.83	18,918.12
	संबंधित पार्टियों से ब्याज आय	-	-
	अन्य	1,007.92	1,248.65
		9,181.75	**20,166.77**
	अन्य गैर-परिचालित आय		
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते डाला गया	120.06	4,407.22
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसे प्रावधानों को बट्टे खाते डाला गया	-	73.28
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	7,321.94	5,220.92
	विविध आय (निवल)	433.34	727.12
		7,875.34	**10,428.54**
	अन्य लब्धि व क्षतियाँ		
	निवल विदेशी मुद्रा लब्धि / हानि	(554.75)	(773.77)
	लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि (हानि)	727.55	152.41
	संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	-	20.31
	लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	26.02	
		198.82	**(601.05)**
	कुल	**17,255.91**	**29,994.26**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
30	**खपत सामग्री की लागत**		
	खपत सामग्री की लागत	273,816.22	311,923.75
	प्रत्यक्ष व्यय	16,942.99	598.94
		290,759.21	**312,522.69**
31	**तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन**		
	अथ स्टॉक :		
	तैयार माल	624.88	1,545.39
	निर्माणाधीन कार्य	56,128.62	42,770.10
		56,753.50	**44,315.49**
	इति स्टॉक :		
	तैयार माल	626.02	624.88
	निर्माणाधीन कार्य	61,497.48	56,128.62
		62,123.50	**56,753.50**
	निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि	**(5,370.00)**	**(12,438.01)**
32	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन तथा मजदूरी, बोनस सहित	38,325.96	33,585.65
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	12,880.19	9,416.05
	स्टाफ कल्याण व्यय	1,727.83	1,836.95
	कुल	**52,933.98**	**44,838.65**
	टिप्पणी 36(3) का संदर्भ लें : रोज़गार लाभ दायित्व, 36(8) पार्टी से संबंधित लेन देन		
33	**वित्त लागत**		
	ब्याज व्यय	188.90	228.73
	अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
	कुल	**327.92**	**367.75**
34	**मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति का मूल्यह्रास, संयंत्र एवं उपकरण	4,794.78	4,241.98
	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	1,552.97	1,959.60
	कुल	**6,347.75**	**6,201.58**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 माच, 2018 समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 समाप्त वष क लिए
35.	**अन्य व्यय**		
	शॉप आपूर्तियाँ	448.03	267.06
	माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क	1,088.83	35,129.11
	बिजली तथा ईंधन	2,092.51	1,947.55
	पानी का प्रभार	640.73	486.46
	यात्राएँ #	1,345.41	1,583.28
	मरम्मत :		
	इमारतें	1,481.53	1,250.94
	संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	633.47	855.78
	फर्नीचर तथा उपस्कर	82.53	97.08
	वाहन	10.16	9.09
	अन्य	80.79	108.79
	वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़िल	125.62	54.85
	शिथिल औजार तथा उपस्कर	132.15	129.88
	बीमा	467.37	553.47
	दरें तथा कर	735.00	719.31
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलिफोन	184.25	168.72
	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	88.43	51.98
	प्रचार-प्रसार	653.28	274.23
	विज्ञापन	150.98	129.70
	बैंक प्रभार	92.13	81.71
	विधि व्यय	30.48	9.60
	दान	5.50	15.50
	अन्य प्रभारित	1,138.60	-
	बट्टा खाता - अन्य	-	1.12
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक: (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें)	10.90	13.42
	आस्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	-	-
	सुरक्षा व्यवस्था	3,528.93	3,593.63
	परिसमापन क्षतियाँ व्यय	18,019.56	15,300.81
	परिसमापन क्षतियों के लिए प्रावधान	20,366.29	18,172.26
	घटाव : पूर्व में बट्टे खाते में लिखित परिसमापन क्षतियों के लिए प्रावधान	(17,243.33)	(14,470.29)
	कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा विकास	0.08	12.42
	मनोरंजन	0.68	1.13
	सौजन्यात्मक	112.48	154.98
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	11.82	6.40
	स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	0.40	0.48
	सीएसआर एवं सतत विकास व्यय	1,509.54	1,315.36
	प्रतिस्थापन एवं अन्य प्रभार, वारंटी एवं बैच अस्वीकृतियाँ	400.37	273.84
	निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	2,464.64	418.58
	भविष्य प्रभार के लिए प्रावधान	2,666.30	2,426.20
	दुर्वह ठेके के लिए प्रावधान	911.95	39.00
	अन्य प्रावधान	710.11	9,413.78
	विविध परिचालनीय व्यय	8,659.19	6,515.64
	घटाव : पूँजीगत व्यय	-	-
	अमूर्त आस्तियाँ (डीआरई)	(203.30)	(231.45)
	टूल्स एवं जिग्स	-	-
	अन्य	-	0.58
	कुल	**53,634.39**	**86,881.98**
	# निदेशकों के यात्रा-व्यय शामिल	78.78	101.75
	टिप्पणियाँ :		
	i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :		
	विवरण		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए	10.00	12.08
	कर लेखापरीक्षा के लिए	0.59	1.21
	अन्य सेवाओं के लिए	0.31	0.13
	लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	**10.90**	**13.42**
	उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षकों को कंपनी धारित शेयरों के बिक्री प्रस्ताव संबंधी रु.5.75 लाख की राशि दी गयी।		
	ii) टिप्पणी 36(5) का संदर्भ लें: अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय		
	iii) टिप्पणी 36 (8 का संदर्भ लें) :पार्टी के लेन-देन से संबंधित		

36. सामान्य टिप्पणियाँ :

अनुपालनों का विवरण :

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) में अधिसूचित) के साथ पठनीय [कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015] नियम 3 और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुरूप तैयार किये जाते हैं।

36(1) वित्तीय आस्तियाँ एवं वित्तीय देयताओं का समायोजन

निम्नलिखित तालिका दि. 31 मार्च, 2018 , 31 मार्च, 2017 तक प्रति समायोजन के वित्तीय लिखत प्रभाव को दर्शाती है। कॉलम 'निवल राशि', सभी प्रति समायोजन कर लिये जाने पर कंपनी के तुलन-पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

(₹ लाख में)

विववरण	तलन-पत्र पर समायोजन का प्रभाव		
	सकल राशिया	तलन-पत्र म समयोजित सकल राशिया	तलन-पत्र म प्रस्तत निवल राशि
31 मार्च, 2018 की स्थिति			
प्राप्त ट्रेड	77,040.62	(24,184.25)	52,856.37
ग्राहकों द्वारा परिसमापन क्षतियों को वापस लेना	(24,184.25)	(24,184.25)	-
31 मार्च, 2017 की स्थिति			
प्राप्त ट्रेड	29,744.23	(14,289.18)	15,455.05
ग्राहकों द्वारा परिसमापन क्षतियों को वापस लेना	(14,289.18)	(14,289.18)	-

36(2) प्रति शेयर अर्जन

(i) निरंतर परिचालनों के लिए :

विवरण	31 माच, 2018 को समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 को समाप्त वष क लिए
कर के बाद लाभ	52,815.16	52,405.56
मूल :		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	183,281,250	122,187,500
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	198,178,082	213,828,125
प्रति शेयर अर्जन (आईएनआर)	26.65	24.51
विलयित :		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्विटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	198,178,082	213,828,125
प्रति शेयर अर्जन (आईएनआर)	26.65	24.51

टिप्पणी : ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है। पिछले वर्ष के लिए ईपीएस का समायोजन उस दौरान दिये गये बोनस संबंधी मामले में किया गया है।

* अत:चालू वर्ष के दौरान शेयरों का विभाजन किया गया, विगत वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार परिशोधित किया जा रहा है।

(ii) परिचालनों के जारी न रखने के लिए :
परिचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(iii) परिचालनों को जारी एवं जारी न रखने के लिए :
तालिका (i) का संदर्भ लें।

36 (3) रोज़गार लाभ दायित्व

कंपनी भारत में कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान प्रदान करती है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देनेवाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह्य होते हैं। सेवानिवृत्ति / सेवा-समाप्ति पर देय उपदान कर्मचारियों द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन पर 15 दिनों के लिए समानुपात में गणना कर कुल वर्षों की सेवा से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। उपदान योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी भारत की मान्यता प्राप्त निधि में योगदान देती है। कंपनी उत्तरदायित्व को पूरी तरह से वित्तपोषित नहीं करती है। अपेक्षित उपदान भुगतान आकलन के आधार पर लक्ष्य स्तर बनाये रखने आने वाले समय के अनुरूप भुगतान करती है।

उपदान

तुलन-पत्र में पहचानी गई राशियाँ और वर्ष के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यताओं की गति इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान			भविष्य निधि		
	दायित्वों का वतमान मल्य	योजित आस्तियों का उचित मल्य	निवल राशि	दायित्वों का वतमान मल्य	योजित आस्तियों का उचित मल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2017	12,509.75	11,184.15	1,325.60	35,753.78	35,753.78	-
चालू सेवा लागत	5,662.78		5,662.78	2,964.72	-	2,964.72
ब्याज व्यय / (आय)	1,000.78	929.59	71.19	3,055.06	3,055.06	-
लाभ या हानि में पहचानी गयी कुल राशि	**6,663.56**	**929.59**	**5,733.97**	**6,019.78**	**3,055.06**	**2,964.72**
पुनर्मापन						
योजना आस्तियों पर वापसी ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि छोड़कर					28.08	(28.08)
(लब्धि)/हानि से जनांकिक अनुमान में परिवर्तन						-
(लब्धि)/हानि से वित्तीय अनुमान में परिवर्तन अनुभव						-
(लब्धि)/हानि			-	28.08		28.08
अन्य व्यापक आय में पहचानी गयी कुल राशि	**-**	**-**	**-**	**28.08**	**28.08**	**-**
कर्मचारी अंशदान		1,325.60	(1,325.60)	-	2,964.72	(2,964.72)
लाभ का भुगतान	(619.41)	(619.41)	-	(1,997.30)	(1,997.30)	-
31 मार्च, 2018	**18,553.90**	**12,819.93**	**5,733.97**	**39,804.34**	**39,804.34**	**-**

उपर्युक्त निवल देयता निधिक एवं अनिधिक योजनाओं में निम्न प्रकार दर्शाये गये हैं

विवरण	उपदान		भविष्य निधि	
	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2018	31 माच, 2017
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,553.90	12,509.75	39,804.34	35,753.78
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,819.93	11,184.15	39,804.34	35,753.78
निधि योजनाओं का घाटा	5,733.97	1,325.60	-	-

उल्लेखनीय प्रक्कलन : वास्तविक अनुमान और संवेदनशीलता

उल्लेखनीय वास्तविक अनुमान निम्न प्रकार रहे:

विवरण	उपदान		भविष्य निधि	
	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2018	31 माच, 2017
छूट दर	8.00%	8.00%	8.60%	8.65%
वेतन में वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	1.90%	3.40%	0.51%	0.51%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	उपदान		भविष्य निधि	
	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2018	31 माच, 2017
परिभाषित लाभ दायित्व	18,553.90	12,509.75	39,804.37	35,753.78
छूट दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)				
वृद्धि : +1%	17,330.24	11,750.98	33,645.49	30,221.65
अपवृद्धि: -1%	19,940.16	13,364.04	43,332.09	38,922.51
वेतन वृद्धि दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)				
वृद्धि : +1%	19,093.30	12,893.38	44,678.73	40,132.12
अपवृद्धि: -1%	18,018.19	12,143.70	36,979.37	33,216.42
संघर्ष दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)				
वृद्धि : +1%	17,330.24	11,750.98	33,645.49	30,221.65
अपवृद्धि: 1%	19,940.16	13,364.04	43,332.09	38,922.51

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में हुए परिवर्तन पर आधारित है। व्यवहार में ऐसा होने की संभावना नहीं है और कुछ धारणाओं में परिवर्तन सहसंबंधी हो सकता है। महत्वपूर्ण भीमांकित धारणाओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व संवेदनशीलता की गणना करते समय (रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के साथ गणना की गई परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) तुलन-पत्र में जब कभी भी ली जाने वाली परिभाषित लाभ देयता गणना की वही पद्धति लागू की गयी है। संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त धारणाओं के तरीके और प्रकार पूर्व अवधि की तुलना में नहीं बढ़ेंगे।

योजना की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान		भविष्य निधि	
	31 माच, 2018	31 माच, 2017	31 माच, 2018	31 माच, 2017
केन्द्र सरकार सुरक्षा	3,384.46	2,364.33	5,366.70	6,642.40
राज्य सरकार सुरक्षा	4,719.02	4,589.97	4,025.00	4,600.00
एनसीडी/बॉण्ड्स	3,204.97	3,503.99	25,366.73	20,846.73
ईक्विटी	989.70	232.63	2,244.78	1,644.77
मियादी जमा	280.76	484.27	-	-
सीबीएलओ	83.33	8.95	2,801.17	2,019.88
ऋण	3.85	-	-	-
अन्य अनुमोदित सुरक्षा	153.84	-	-	-
	12,819.93	**11,184.14**	**39,804.38**	**35,753.78**

परिभाषित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलिसी खरीद रखी है। प्रति वर्ष बीमा कंपनी उद्यम द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा के आधार पर निधि का मूल्य निर्धारण करती है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछले मूल्य निर्धारण तिथि पर निर्धारित अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के लिए संभावित नक़द की प्राप्ति निम्न प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	एक वष स कम	2-3 वर्षों क मध्य	4-5 वर्षों क मध्य	कल
31 मार्च, 2018				
परिभाषित लाभ दायित्व-उपदान	1,197.60	2,479.02	1,244.40	4,921.02
परिभाषित लाभ दायित्व-भविष्य निधि	2,393.56	5,234.60	7,699.34	15,327.50

जोखिम

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी के सामने कई जोखिम हैं। इनमें से प्रमुख जोखिम का विवरण इस प्रकार है :

वृद्धि दर जोखिम : निर्धारित लाभ बाध्यताओं की गणना नियायती दर पर की जाती है जो सरकारी बाण्ड पर आधारित होती है। यदि बांड लब्धियों में होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

वेतन में वृद्धि का जोखिम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यता में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोख़िम : यह जोख़िम घाटे (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से होता है जिनमें मृत्यु दर, आहरण, अपंगता तथा सेवानिवृत्तियाँ शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदंड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम सेवा-समय वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

(ii) परिभाषित आस्थगित अंशदान योजनाएँ

राज्य बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान : कर्मचारियों के लिए 4.75% दर से राज्य बीमा योजना में अंशदान दिया जाता है। कंपनी परिचालन प्रांत के संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में यह अंशदान दिये जाते हैं। यह निगम भारत सरकार के प्रशासनाधीन है और इसकी बाध्यताएँ अंशदान दी गई राशियों तक ही सीमित हैं। इससे आगे इसकी किसी प्रकार की संविदागत या अन्य निर्माणात्मक बाध्यताएँ नहीं है।

(iii) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति

अवकाश संबंधी बाध्यताओं में कंपनी की अर्जित अवकाश संबंधी देयताएँ शामिल हैं।

कंपनी ने क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना बनाये रखी है। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित अस्तियों से निवल बाध्यताओं की पहचान करती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
कंपनी कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	9362.85	8952.49
घटाव : योजना आस्तियाँ	9209.60	(8241.44)
निवल दायित्व	153.25	711.05
उल्लेखनीय अनुमान :		
रियायती दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा योजना

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
ए) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए अधिवार्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान - पी एस एम बी -II	277.95	238.26
बी) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिवार्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान - पी एस एम बी -II	384.94	2342.00
सी) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा (आई ई एम आई) की पुरानी योजना के लिए किया गया अंशदान	-	7.23

36(4) विनिर्माण ठेके

निर्माण ठेकों की राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है :

ठेका राजस्व की पहचान पद्धति :

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए कार्य पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता प्रयोग की जाती है।

ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित ठेका लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आई लागत के आधार पर किया जाता है। .

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018 को समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 को समाप्त वष क लिए
वर्ष के दौरान ठेके राजस्व की पहचान	8,712.96	12,945.16
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	40,875.34	31,176.34
पहचाना गया लाभ	4,737.17	5,723.18
बकाया प्रतिधारण धन राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	-	1,807.09

36(5) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय :

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित है जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पादन विकास शामिल है :

विवरण	31 माच, 2018 को समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 को समाप्त वष क लिए
राजस्व व्यय के रूप में रहने के कारण	3351.12	3115.99
पूँजीगत व्यय के रूप में रहने के कारण (पूँजीकृत आस्तियाँ)	671.05	355.03

36(6) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक दयताए :	31 माच, 2018 को समाप्त वष क लिए	31 माच, 2017 को समाप्त वष क लिए
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित बकाया पत्र :		
(i) साख-पत्र	4,456.52	1,977.77
(ii) प्रत्याभूतियाँ तथा प्रति-प्रत्याभूतियाँ	6,250.51	42.92
कुल	10,707.03	2,020.69
दावें/माँग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	20,995.51	15,468.71
(iii) सेवा कर	2,355.51	-
(iv) अन्य	347.39	331.87
कुल	23,698.41	15,800.58
ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :		
निवेश पूँजी पर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (ए) और उपलब्ध नहीं करायी गयी हो-		
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	8,262.69	9,143.29
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	-	-
(बी) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए ठेकागत प्रतिबद्धता या संपत्ति निवेश में वृद्धि	-	-
कुल	**8,262.69**	**9,143.29**

टिप्पणियाँ :

(i) ठेके का निष्पादन नहीं किये जाने पर ब्याज सहित 17.19 लाख रुपय की अग्रिम राशि तथा ब्याज आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम ₹.48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किए जाने पर भी यह राशि प्राप्त दावे / आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुआ है और आज तक यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संबंध में कंपनी ने ब्याज सहित ₹.4.45 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीदी के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। इस मामले में डिक्री बीडीएल के पक्ष में दी गई है जिसे कार्यान्वित किया जाना शेष है।

36(7) अल्पावधि में बंद की गयी परियोजनाएँ :

इस भुगतान के प्रति विक्रेता को दी गई अग्रिम राशि में विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी-1) की ₹.114.05 लाख (31 मार्च, 2017 तक ₹. 114.05 लाख), चालू आस्तियों की ₹.11,271.64 लाख (31 मार्च, 2017 तक ₹.11,271.64 लाख), सामग्री के लिए ₹. 7903.45 लाख (31 मार्च,2017 तक ₹.8025.31 लाख), कुल मिलाकर ₹.19289.14 लाख (31 मार्च, 2017 तक ₹.19411.00 लाख), शामिल है, चूँकि ये परिसंपत्तियाँ खरीदी गई, कंपनी ने इसका व्यय सुनिश्चित आदेश / एल ओ आई एवं ग्राहक द्वारा दी गई निधि में से किया है। दीर्घकालिक बकाया अग्रिम एवं गैर-चालू विशेष औजार एवं सामग्री की वजह से कंपनी की आर्थिक हानि नहीं हुई है। अत: किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं मानी गई है। आगे, समय पूर्व समाप्त माँग-पत्र / संविदा / एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने ₹.3590.00 लाख (31 मार्च, 2017 तक ₹.5525 लाख) की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहक से संपर्क किया जो उपलब्ध अग्रिम राशि के समायोजन के बाद निवल व्यय राशि है। अत: सरकार / ग्राहक से राशि निर्धारण के लिए खाते में किसी भी प्रकार के दावे / लाभ पर प्रभाव नहीं पाया गया है।

36(8) संबंधित पार्टी के लेन-देन

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के नाम

श्री वी उदय भास्कर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री के दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) (01.07.2016 से)
श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त)	एयर वाईस मार्शल एन बी सिंह, निदेशक (तकनीकी) (30.06.2016 तक)
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (उत्पादन)	श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव

आधारभूत प्रबंधन कार्मिक की प्रतिपूर्ति

(₹ लाख में)

	31 माच, 2018	31 माच, 2017
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	230.03	208.44
रोज़गार उपरान्त लाभ	41.54	11.45
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
कुल मुआवज़ा	**271.57**	**219.89**

36(9) पूँजीगत प्रबंधन

ए) जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयरधारकों से जुड़ी है तथा कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है।

बी) लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
(i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 1.36 प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर पर अंतरिम लाभांश 31 मार्च, 2017 को रुपय 'शून्य' है।	2,500.00	शून्य
(ii) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अप्रेक्षणीय लाभांश : निदेशकों ने वर्ष के अंत तक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर ₹ 7.29 के लाभांश की सिफारिश की है। (31 मार्च, 2017 : ₹ 1286 (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000/-))प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।	13,361.20	15,721.67

रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :

निदेशक-गण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

36(10) शेष की पुष्टि :

देनदार, लेनदार, प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथा प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान / समायोजन किये जाते हैं।

36(11) बिक्रियों की प्रतिधारणा :

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनके जोखिम पर रखा गया माल) ₹ 2,75,981.41 लाख (2016-17 ₹ 2,62,524.61 लाख) है।

36(12) प्रभार पंजीकृत :

कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक के साथ बही ऋण पर ₹.31,010.00 लाख (31 मार्च, 2017 तक ₹.31,010.00 लाख) के फ्लोटिंग प्रभार का पंजीकरण किया है।

36(13) परिचालन चक्र :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकतानुसार, यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

36(14) आकस्मिक आस्तियाँ :

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
आकस्मि आस्तियाँ	-	-

36(15) उचित मूल्य माप

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मल्य पदानक्रम	टिप्पणिया	31 माच, 2018 तक की स्थिति			31 माच, 2017 तक की स्थिति		
			लागत	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल
ए. वित्तीय आस्तियाँ								
ए) परिशोधित लागत पर मापन								
i) नक़द एवं नक़द तुल्य	3	13	2,998.94	2,998.94	-	9,310.67	9,310.67	
ii) अन्य बैंकों में शेष	3	14	32,680.00	32,680.00	-	164,490.00	164,490.00	
iii) ऋण	3	7, 15	517.93	517.93	-	611.99	611.99	
iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	8, 16	175,441.48	175,441.48	-	172,525.43	172,525.43	
iv) प्राप्य ट्रेड	3	12	52,856.37	52,856.37	-	15,455.05	15,455.05	
उप-कुल			**264,494.72**	**264,494.72**	**-**	**362,393.14**	**362,393.14**	**-**
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के ज़रिए किया गया निवेश	3	6	53.60	-	368.94	53.60		294.68
ii) आस्थगित प्राप्य	3	8, 16	3613.67	-	5,389.83	3,803.86		5,368.27
iii) म्युचुअल फण्ड में निवेश	1	11	23026.02		23,529.92	-		-
उप कुल			**26,693.29**	**-**	**29,288.69**	**3,857.46**	**-**	**5,662.95**
कुल वित्तीय आस्तियाँ			**291,188.01**	**264,494.72**	**29,288.69**	**366,250.60**	**362,393.14**	**5,662.95**
बी. वित्तीय देयताएँ								
ए) परिशोधित लागत पर मापन								
i) देय ट्रेड	3	23	101,150.56	101,150.56	-	152,936.42	152,936.42	
ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	20, 24	25,525.27	25,525.27	-	15,429.91	15,429.91	
उप-कुल			**126,675.83**	**126,675.83**	**-**	**168,366.33**	**168,366.33**	**-**
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित								
i) एबडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	20	-	-	3,664.50	-		3,600.36
उप-कुल			-	-	**3,664.50**	-	-	**3,600.36**
कुल वित्तीय देयताएँ			**126,675.83**	**126,675.83**	**3,664.50**	**168,366.33**	**168,366.33**	**3,600.36**

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नांकित तालिका आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रस्तुत करती है :

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 माच, 2018	31 माच, 2017
वित्तीय आस्तियाँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) अन्य कंपनियों के ईक्विटी लिखत में निवेश	3	368.94	294.68
ii) आस्थगित प्राप्य	3	5,389.83	5,368.27
iii) म्युचुअल फण्ड में निवेश	1	23,529.92	-
वित्तीय देयताएँ :			
ए) लाभ-हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य का मापन			
i) एबडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	3,664.50	3,600.36

उचित मूल्य का पदानुक्रम :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है :

स्तर 1: समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात् दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शाए जाते हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाले और वस्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम-से-कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक लिखत की पहचान की जाती है जो स्तर-2 में शामिल है।

स्तर 3: आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं हो तो उसे स्तर 3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाज़ार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता।

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक

वित्तीय लिखत के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त निर्धारित मूल्य निर्धारण तकनीक में शामिल हैं:

- दर नहीं दिये जाने पर ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण कंपनी की निवल मालियत के आधार पर किया जाता है।
- 45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किये जाते हैं।

प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट (स्तर-3) का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर-3 के मदों में परिवर्तन को दर्शाती है:

(₹ लाख में)

विवरण	गर-सूचीबद्ध शयर	आस्थगित प्राप्य	एबडड डरिवटीव दयता
31 मार्च, 2017 तक की स्थिति	294.68	5,368.27	3,600.36
लाभ-हानि में पहचानी गई लब्धि / हानि	74.26	21.56	(61.58)
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	368.94	5,389.83	3,538.78

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर 3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है :

विवरण	उचित मल्य की स्थिति		उल्लखनीय अप्रक्षणीय इनपट	सवदनशीलता
	31 माच, 2018	31 माच, 2017		
कोट न किये गये ईक्विटी शेयर	368.94	294.68	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य के 1% की वृद्धि से गैर-चालू निवेश में रु.3.68 लाख की वृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से गैर-चालू निवेश में रु.3.68 लाख की अपवृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा।
आस्थगित प्राप्य	5,389.83	5,368.27	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रूपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु.72.56 लाख की वृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा। इसी प्रकार, एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 72.56 लाख की अपवृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा।
एबडेड डेरिवेटिव देयता	3,538.78	3,600.36	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रूपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु.74.62 लाख की वृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा। इसी प्रकार, एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु.74.62 लाख की अपवृद्धि होगी और इसका समान असर लाभ-हानि पर होगा।

36(16) वित्तीय जोख़िम प्रबंधन :

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोख़िम, परिसमापन जोख़िम और ऋण जोख़िम जुड़े हैं। प्रत्येक जोख़िम का विश्लेषण इस प्रकार है :

ए) जमा जोख़िम

ऋण जोख़िम, नक़द एवं नक़द-तुल्य, प्रतिशोधन लागत पर लिखत तथा बैंक में जमा व बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों को मिलने वाले ऋण पर किया जाता है।

(i) जमा जोख़िम प्रबंधन

ए. नक़द एवं नक़द तुल्य पर ऋण जोखिम सीमित होता है क्योंकि सामान्यत: कंपनी अपना निवेश बैंकों में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी. दावे / पुन: प्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर साख जोख़िम का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है:

(i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष :

(ए) वित्तीय आस्तियों पर अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य तरीका लागू होता है:

(₹ लाख में)

विवरण	आस्ति समह	डीफाल्ट पर अनमानित सकलयक्त राशि	डीफाल्ट पर अनमानित सभावना	अनमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे / वापसी प्राप्य	6854.09	0.31%	(21.47)	6,832.62
12 महीने की अनुमानित जमा हानि पर हानि भत्ते की गणना	ऋण	517.93	-	-	517.93

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित जमा राशि का नुकसान

विवरण	6 महीन स कम या इसक बराबर	6 महीन स अधिक	कल
सकल वहन राशि	207473.41	13340.05	220813.46
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	207473.41	13340.05	220813.46

(ii) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है :

विवरण	आस्ति समह	डीफाल्ट पर अनमानित सकलयक्त राशि	डीफाल्ट पर अनमानित सभावना	अनमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी।	दावे / वापसी प्राप्य	10092.65	0.21%	(21.47)	10,071.18
12 महीने की अनुमानित जमा हानि पर हानि भत्ते की गणना	ऋण	611.99	-	-	611.99

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित जमा राशि का नुकसान

विवरण	6 महीन स कम या इसक बराबर	6 महीन स अधिक	कल
सकल वहन राशि	165710.57	7825.42	173535.99
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा राशि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्त ट्रेड की वहन राशि	165710.57	7825.42	173535.99

(iii) हानि भत्ते का समाधान :

विवरण	प्राप्य दय तथा बिना रसीद राजस्व	दाव/वापसी प्राप्य
31 मार्च, 2017 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)
जोड़ / कमी	-	-
31 मार्च, 2018 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)

(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वित्तीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोख़िम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थिति और साथ ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

बी) क्षति संबंधी जोख़िम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोख़िम प्रबंधन का तात्पर्य है बकाये की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नक़द व निधियों का होना। कंपनी खज़ाने द्वारा बैंकों में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नक़द-प्राप्ति के आधार पर नक़द एवं नक़द-तुल्य पर नज़र रखी जाती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है :

विवरण	31 माच, 2018	31 माच, 2017
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1500.00	1500.00

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

31 माच, 2017 तक की वित्तीय दयताओ क ठक म शामिल परिपक्वताए	12 महीन स कम	1 स 2 वष क बीच	2 स 5 वष क बीच	5 वर्षों स अधिक	कल
नॉन-डेरिवेटीव					
45 वर्षों के घटक की आस्थगित जमा	195.60	181.11	466.73	1,076.95	1920.38
जमा	1530.09	-	-	-	1530.09
व्यय के लिए ऋणदाता	3628.26	-	-	-	3628.26
कर्मचारी लाभ देय	5664.65	-	-	-	5664.65
अन्य	199.67				
पूँजीगत कार्य	2486.86				
डेरिवेटीव					
एबडेड डेरिवेटीव देयता (आस्थिगत देयता)	357.73	162.13	486.39	2594.10	3600.35

31 माच, 2018 तक की वित्तीय दयताओ क ठक म शामिल परिपक्वताए	12 महीन स कम	1 स 2 वष क बीच	2 स 5 वष क बीच	5 वर्षों स अधिक	कल
नॉन-डेरिवेटीव					
45 वर्षों के घटक की आस्थगित जमा	195.60	181.11	466.73	1,034.99	1878.42
जमा	1405.73	-	-	-	1405.73
व्यय के लिए ऋणदाता	5085.67	-	-	-	5085.67
कर्मचारी लाभ देय	9681.17	-	-	-	9681.17
अन्य	2496.90				
पूँजीगत कार्य	4977.38				
डेरिवेटीव					
एबडेड डेरिवेटीव देयता आस्थगित देयता)	369.04	173.45	520.35	2601.65	3664.49

सी) विपणन जोख़िम

(i) विदेशी मुद्रा जोख़िम

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र से जुड़ी है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखत: यू एस डी यूरो, जी बी पी, सी एच एफ तथा एस ई के के संदर्भ में विदेशी मुद्रा का जोख़िम बना रहता है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी विनिमय जोख़िम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (आई एन आर) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोख़िम का माप (गणना), उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नक़द- प्राप्ति की भविष्य दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। बिक्री ठेके के अनुसार, कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय दर परिवर्तन के लिए अर्ह्य है। अत: कंपनी विदेशी मुद्रा जोख़िम की दृष्टि से सुरक्षित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 माच, 2018				
	यएसडी	यरो	जीबीपी	सीएचएफ	एसईक
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
देयताएँ	83.16	15.09	0.03	0	107.59

विवरण	31 माच, 2017				
	यएसडी	यरो	जीबीपी	सीएचएफ	एसईक
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
देयताएँ	175.14	5.14	0.02	0.82	8.89

(ii) संवेदनशीलता

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रेषण विनिमय ठेकाओं से होती है।

(आंकडे लाख में)

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 माच, 2018	31 माच, 2017
संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूएसडी – 1% की बढ़ोतरी	54.27	115.54
आईएनआर/यूएसडी – 1% की कमी	(54.27)	(115.54)
आईएनआर/यूरो – 1% की बढ़ोतरी	12.26	3.72
आईएनआर/यूरो – 1% की कमी	(12.26)	(3.72)
आईएनआर/जीबीपी – 1% की बढ़ोतरी	0.03	0.02
आईएनआर/जीबीपी – 1% की कमी	(0.03)	(0.02)
आईएनआर/सीएचएफ – 1% की बढ़ोतरी	-	0.54
आईएनआर/सीएचएफ – 1% की कमी	-	(0.54)
आईएनआर/एसईके – 1% की बढ़ोतरी	8.51	0.66
आईएनआर/एसईके – 1% की कमी	(8.51)	(0.66)

36(17) खंड सूचना :

चूँकी कंपनी रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में है, अत: नैगमिक मंत्रालय के दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत ए एस 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

36(18) विदेशी मुद्रा प्रभाव :

विदेशी मुद्रा प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के अवलोकन में 31 मार्च, 2018 तक (पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए) प्रमुख मुद्रा-वार प्रभाव निम्नवत है :

(₹ लाख में)

मद्रा	देय		प्राप्य		आकस्मिक दयता	
	विदशी मद्रा	भारतीय रुपय क समान राशि	विदशी मद्रा	भारतीय रुपय क समान राशि	विदशी मद्रा	भारतीय रुपय क समान राशि
यू एस डी	83.16	5426.75	-	-	63.08	4150.77
	(175.14)	(11,553.68)	-	-	(1.40)	(90.76)
यूरो	15.09	1226.44	-	-	3.76	305.75
	(5.14)	(371.73)	-	-	(25.58)	(1,803.10)
जी बी पी	0.03	2.57	-	-	-	-
	(0.02)	(2.07)	-	-	-	-
सी एच एफ	-	-	-	-	-	-
	(0.82)	(53.94)	-	-	(0.76)	(50.04)
एस ई के	107.59	851.04	-	-	-	-
	(8.89)	(65.50)	-	-	(4.66)	(33.87)
कुल (₹)		**7506.80**	-	-		**4456.52**
		(12,046.92)	-	-		**(1,977.77)**

36(19) जवाहर लाल सोलार मिशन योजना (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में भानूर इकाई में 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। जे एन एन एन एस एम योजना के अनुसार कंपनी सोलार प्लांट के कमिशनिंग के लिए वायेबिलिटी गैप फण्ड (वीजीएफ) के लिए अर्ह्य है। योजना नियमों के अनुसार इसका पालन आस्थगित राजस्व के अंतर्गत अनुरक्षित किया जा रहा है। वीजीएफ राशि रु.995.89 लाख आस्थगित राजस्व के अंतर्गत लेखांकित किया गया। वर्ष के दौरान रु.23.24 लाख (सितंबर, 2017 से अनुपातिक राशि होने के चलते) राजस्व के रूप में पहचानी गयी।

36(20) लेखा मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभाव में नहीं है :

भारत सरकार नैगमिक मंत्रालय ने जीएसआर.........(ई) दि.28.3.2018 भा.ले.मा.115 तथा आहरण भा.ले.मा. 11 एवं भा.ले.मा. कुछ अन्य भा.ले.मा. में परिणामी परिवर्तन को दि. 1 अप्रेल, 2018 से शामिल किया जा रहा है। भारतीय लेखा मानक 115 का प्रभाव तथा अन्य लेखा मानकों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

36(21) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है। ऋणात्मक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं सम्बंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत अंश हैं

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(संदस्यता सं. 242470)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07117827

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. : 06669311

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2018

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

निगम पहचान संख्या (सी आई एन) : L2429TG1970GOI00353

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.

पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-50058.

दूरभाष : 040-23456145, **फैक्स :** 040-23456110

ई-मेल : investors@bdl-india.com **वेबसाइट :** www.bdl-india.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम सभा **गुरुवार, दि. 27 सितंबर, 2018 को 15.00 बजे होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032 में** निम्नलिखित संव्यवहार के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य संव्यवहार

1. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित प्राप्त कर, इन पर सहमति देना और अपनाना।
2. अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि कर दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3. रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री एस पिरमनायगम (डी आई एन : 07117827) के स्थान पर एक निदेशक को नियुक्त करना और अर्हता के नाते स्वयं की पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखना।

विशेष संव्यवहार

4. निम्न मुद्दों पर विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   "**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) और इसके तहत बने नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को लागू कर के अतिरिक्त रु. 1,50,000/- (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग) पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कंपनी की सहमति ली जाती है।"

   "**आगे संकल्प लिया जाता है कि** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या निदेशक मंडल के कोई भी निदेशक और कंपनी के कंपनी सचिव इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित या उपयुक्त सभी कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किये जाते हैं।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा

कंपनी सचिव

हैदराबाद

16 अगस्त, 2018

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार सूचना में तय विशेष संव्यवहार संबंधी विवरण संलग्न है।
2. **वार्षिक आम सभा (बैठक) में भाग लेने और मतदान देने के लिए अर्ह सदस्य अपनी जगह मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया विधिवत् रूप से पूरा कर, मुहर लगाकर, हस्ताक्षरित कर तत्संबंधी दस्तावेज बैठक आरंभ होने के 48 घंटे पहले कंपनी के निगम कार्यालय में जमा कर दिये जाने चाहिए। लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी आदि की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधि उचित संकल्प / प्राधिकरण इनमें जो भी लागू हो, साथ होना अनिवार्य है।**
3. अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, एक व्यक्ति ऐसे पचास से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जिनके पास कंपनी की कुल शेयर पूँजी का कुल 10 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा न रखता हो और मतदान का अधिकारी हो। कंपनी की कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक स्वामित्व रखते हुए मतदान अधिकार रखने वाले सदस्य प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं तो ऐसे प्रतिनिधि किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।
4. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के तहत अनिवार्य स्टॉक एक्सचेंजों के साथ नियुक्ति / पुन: नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस सूचना का अंग है।
5. अधिनियम की धारा 101 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 की शर्तों के अनुसार वार्षिक विवरण सहित वार्षिक आम सभा की सूचना व अन्य दस्तावेज, डीमैट अकाउंट पर ई-मेल पता देने वाले सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-मेल के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। यद्यपि, सभी सदस्य नोट करें कि अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें सभी संबंधित कागजात सहित कंपनी के वार्षिक विवरण की एक हार्ड कॉपी नि:शुल्क दी जाएगी। दस्तावेज भौतिक रूप से प्राप्त करने के लिए इच्छुक सदस्य विधिवत रूप से डीमैट अकाउंट देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को यथाशीघ्र सूचित करें। साथ ही, डीमैट अकाउंट का विवरण देते हुए अनुरोध bdl_igr@alankit.com ई-मेल पर भेजें।
6. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका **शुक्रवार दि. 21 सितंबर, 2018 से गुरुवार दि. 27 सितंबर, 2018** (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।
7. निदेशक मंडल ने रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु. 7.29 के लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में इसकी घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्तियों को यह देय होगा :
   - जिनके नाम गुरुवार दि. 20 सितंबर, 2018 के कार्यालयीन समय की समाप्ति तक नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (सी डी एस एल) द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली शेयरधारक लाभार्थियों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक के रूप में दर्ज हों।
   - गुरुवार दि. 20 सितंबर, 2018 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के पास वैध रूप से शेयरों के हस्तांतरण किये जाने पर सदस्यों के रूप में नाम दर्ज होने पर।
8. कंपनी जहाँ भी संभव हो, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से और अन्य मामलों में लाभांश वारेंट / बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद शेयर के संबंध में, लाभांश का भुगतान

दि. 20 सितंबर, 2018 के संव्यवहार समय की समाप्ति तक इस उद्देश्य के लिए डिपाजिटरी (एन एस डी एल एवं सी डी एस एल) द्वारा दिये गये लाभार्थी मालिकयत की सूची के आधार पर किया जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी, लाभांश का भुगतान, सदस्यों द्वारा अपने संबंधित डिपाजिटरी अकाउंट के प्रति दिये गये बैंक विवरणानुसार ही करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन करने के लिए किये जाने वाले सीधे अनुरोध पर कंपनी या इसके रजिस्ट्रार इस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन संबंधी सुझाव सदस्यों के डिपाजिटरी प्रतिभागियों को ही दिये जाते हैं। डिपाजिटरी अकाउंट खोलने के बाद जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में परिवर्तन किया हो और लाभांश, डिपाजिटरी अकाउंट खोलते समय निर्दिष्ट अकाउंट से अन्य अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं,ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे दि. 20 सितंबर से पहले अपने डिपाजिटरी प्रतिभागी के द्वारा अपने बैंक अकाउंट विवरण में परिवर्तन / सुधार (9 डिजिट वाले बैंक कोड सहित) करवा लें।

9. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी, भुगतान न किये गये लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष तक भुगतान न की गई राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' (निधि) में जमा कर देने के लिए बाध्य है। आगे, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016, यथासंशोधित ('आई ई पी एफ नियमावली') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार लगातार सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जिन शेयर के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया हो, उन शेयरों को निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट में अंतरित किया जाता है। अत: कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश ले लें / दावा करें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि

   I. ध्यान दें कि वार्षिक विवरण की प्रतियाँ वार्षिक आम सभा में वितरित नहीं की जाएँगी।

   II. बैठक में वार्षिक विवरण की अपनी प्रति, सूचना और विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची अपने साथ लाएँ।

   III. ध्यान दें कि उपस्थिति पर्ची / प्रॉक्सी फॉर्म में हस्ताक्षर अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हो।

   IV. बैठक स्थान के प्रवेश द्वार पर विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची दे दें क्योंकि बैठक में प्रवेश काउंटर पर उपलब्ध उपस्थिति पर्ची और इसके आदान-प्रदान के आधार पर ही अंदर जाने दिया जाएगा।

   V. ध्यान दें कि बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के संदर्भ में, नामों के क्रम में जो सदस्य ऊपर हैं, वे ही मतदान के हकदार होंगे।

   VI. डिमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के संबंध में उनके डीपी को सूचित करें और भौतिक शेयरों के संबंध में अपने संबंधित पते में कोई परिवर्तन हो तो पिनकोड सहित इसकी सूचना समय रहते हुए कंपनी / कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को दे दें।

   VII. सभी पत्राचार में उनके फोलियो / क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी संख्या उद्धृत करें।

   VIII. समान ऑर्डर में नामों वाले एकाधिक फ़ोलियो के मामले में एकाधिक फ़ोलियो समेकित होल्डिंग्स को एक फोलीओ के रूप में।

   IX. ध्यान दें कि वार्षिक आम सभा में किसी भी प्रकार के उपहार / कूपन वितरित नहीं किये जाएँगे।

11. इस बैठक में कारोबार के किसी भी मद पर कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर कंपनी के कंपनी सचिव को कंपनी के निगम कार्यालय के पते पर बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पहले लिखें, ताकि आवश्यक जानकारी बैठक में आसानी से उपलब्ध करायी जा सकें।

12. सदस्य यह भी नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित कंपनी का वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

13. जिन सदस्यों द्वारा अभी तक अपने ई-मेल आई डी रजिस्टर्ड नहीं किये गये हों या जो सदस्य अपने ई-मेल आई डी में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे संबंधित डी पी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने वालों के लिए) या आर अण्ड टी ए / कंपनी (भौतिक रूप से रखने वालों के लिए) से संपर्क स्थापित करें ताकि कंपनी द्वारा प्रेषित किये जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, एन ई सी एस सूचनाएँ इत्यादि पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हें प्राप्त हो सकें।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि शेयर संबंधी सभी पत्राचार हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें :

    अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
    एस ई बी आई पंजीकरण सं. INR000002532
    पता : 205-208, अनारकली कांप्लेक्स
    झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
    दूरभाष : +91 11 42541234, Facsimile : +91 11 41543474
    ई-मेल : bdl_igr@alankit.com ; वेबसाइट : www.alankit.com

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य अपने सभी शेयर के लिए अकेले या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। व्यक्तिगत नाम पर शेयर रखने वाले सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि फार्म नं. एस एच-13 भरकर अपनी इच्छा से इस नामांकन सुविधा का उपयोग करें। अनुरोध पर आर टी ए से फार्म प्राप्त किया जा सकता है। डीमेटीरियलाइज्ड फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य नामांकन पंजीकरण के लिए संबंधित डी पी को संपर्क करें।

16. कंपनी के निदेशक किसी भी रूप से एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

17. बैठक के स्थान का रूट-मैप संलग्न है।

18. अधिनियम की धारा 108 और इस पर बनी नियमावली तथा एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में सदस्यों को इस आम सभा की कार्य-सूची में शामिल मदों पर सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज (इंडिया) लि. के माध्यम से आर टी ए द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने ई-वोटिंग की सुविधा सुलभ करायी जाती है। ई-वोटिंग के अनुदेश इस प्रकार हैं :

    इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए अनुदेश :

    ए) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) प्रावधान नियम 44, नियम 2015 के अनुपालन में सदस्यों को सी डी एस एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग के माध्यम से अर्थात् सदस्यों द्वारा वार्षिक आम सभा के स्थान से इतर स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इस सूचना में शामिल मदों पर मतदान देने की सुविधा सुलभ करायी जाती है।

    बी) यह वोटिंग सोमवार दि. 24 सितंबर, 2018 को (सुबह 9 बजे) शुरू होगी और बुधवार दि. 26 सितंबर 2018 (शाम 5 बजे) बंद होगी। इस अवधि के बीच कंपनी के ऐसे सभी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनके पास गुरुवार दि. 20 सितंबर, 2018 की अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से कंपनी के शेयर हों।

    सी) सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी **गुरुवार, 20 सितंबर, 2018** तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के अंश के अनुपात में होगा।

    डी) कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा करने संवीक्षक के रूप में और बैलट पेपर्स की प्रक्रिया की पारदर्शिता व सही ढंग से इसके आयोजन के लिए श्री वाई रमेश, पेशेवर कंपनी सचिव, हैदराबाद को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

    ई) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य उक्त ए जी एम में भी भाग ले सकते हैं पर वे फिर से वोट नहीं डाल सकते।

    एफ) उक्त बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें बैठक के दौरान मताधिकार का प्रयोग करने बैलट पेपर की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। सदस्य मतदान के लिए एक ही पद्धति अपना सकते हैं या तो वार्षिक आम सभा के दौरान बैलट वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। यदि सदस्य दोनों माध्यम से अपना

मतदान देते हैं तो ई-वोटिंग को ही स्वीकार किया जाएगा और बैलट के माध्यम से दिया गया वोट अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जी) वार्षिक आम सभा में वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद, संवीक्षक वार्षिक आम सभा में डाले गए वोट की गणना करेंगे और कंपनी के कर्मचारी न रहे ऐसे दो साक्ष्यों के समक्ष ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गये वोट को खोलेंगे। संवीक्षक, वार्षिक आम सभा की समाप्ति से तीन कार्य दिवस के भीतर पक्ष या विपक्ष में यदि कोई हो तो, डाले गये वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वोटिंग के परिणाम तुरंत घोषित करेंगे। अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणाम संवीक्षक रिपोर्ट सहित कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in और सी डी एस एल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर घोषित किये जाने के तुरंत बाद दर्शाए जाएँगे। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सजेंच जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, अर्थात् बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेज दिये जाएँगे।

एच) **ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया:**

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान देने सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं : ए) ई-मेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के संदर्भ में (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल कंपनी / रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किये गये हैं) :

(i) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।

(ii) "शेयरधारक" टैब पर क्लिक करें।

(iii) अब आपका यूजर आई डी दर्ज करें।
- सी डी एस एल के लिए : 16 डिजिट वाला लाभार्थी आई डी।
- एन एस डी एल के लिए : 8 अक्षर वाला डी पी आई डी और बाद में 8 डिजिट वाला क्लाइंट आई डी।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करें।

(iv) आगे, प्रदर्शित अनुसार इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपके शेयर डीमैट फार्म में हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन होकर इससे पूर्व किसी अन्य कंपनी के लिए मतदान करने की स्थिति में मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करें।

(vi) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएँ :

डीमैट फार्म और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए

पी ए एन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपके 10 अंकों वाला अल्फा-न्यूमेरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट शेयरधारक और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले दोनों के लिए लागू)
	जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अपडेट नहीं किया है, उन्हें उनके नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फ़ील्ड में अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है। यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम है, तो कैपिटल अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद संख्या से पहले आवश्यकतानुरूप 0 जोड़ें। उदाहरण : यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और क्रम सं. 1 है तो RA00000001 दर्ज करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म–तिथि (डी ओ बी)	लॉग-इन होने के लिए लाभांश बैंक विवरण या आपके डीमैट अकाउंट या कंपनी रिकॉर्ड अनुसार जन्मतिथि (तारीख/माह/वर्ष) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं करवाए गए हैं तो दर्ज किये गये लाभांश बैंक फील्ड विवरण में उपर्युक्त अनुदेश (iii) के अनुसार सदस्यता आई डी / फाइल संख्या दर्ज करें।

(vii) ये विवरण सही-सही दर्ज कर देने के बाद 'SUBMIT' टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर आएँगे। यद्यपि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेनू में आ जाएँगे, जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अन्य कंपनी के संकल्पों को वोट देने के लिए डीमैट धारकों द्वारा यह पासवर्ड भी उपयोग किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह कंपनी सी डी एस एल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें। कड़ी सिफारिश की जाती है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, विवरण केवल इस सूचना में निहित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं ।

(x) संबंधित कंपनी जिस पर आप वोट का चयन करना चाहते हैं अर्थात् भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए 'EVSN' पर क्लिक करें।

(xi) वोटिंग पेज पर "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और जिसके सामने मतदान के लिए "हाँ / नहीं" दिखाई देगा। इच्छानुसार 'हाँ' या 'नहीं' का चयन करें। विकल्प 'हाँ' का तात्पर्य है कि आप संकल्प के लिए सहमत हैं और 'नहीं' का तात्पर्य है कि आप संकल्प के लिए असंतुष्ट हैं।

(xii) संकल्प के संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xiii) संकल्प का चयन कर, मतदान देने के लिए निर्णय ले लेने पर 'SUBMIT' पर क्लिक करें। अब एक 'कन्फरमेशन बॉक्स' दिखायी देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो पर 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें / बदलें।

(xiv) एक बार जब आप संकल्प पर अपना वोट "CONFIRM" कर लेंगे, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) आप वोटिंग पेज पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो यूजर आई डी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और 'Forgot Password पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा पूछे गये विवरण दर्ज करें।

(xvii) शेयरधारक एँड्रॉइड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सी डी एस एल का मोबाइल ऐप 'एम-वोटिंग' का इस्तेमाल करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमश: ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर वोट डालते समय मोबाइल ऐप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(xviii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी :
- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक (यानी व्यक्तियों के अलावा एच यू एफ, एन आर आई इत्यादि) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- मुहर और इकाई के चिह्न वाले पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।

- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनुपालन उपयोगकर्ता (कंप्लायेंस यूजर) बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते से लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजी जानी चाहिए और खातों की स्वीकृति पर वे अपना वोट डाल सकते हैं।
- बोर्ड रेज़ोल्यूशन एँड पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के नाम पर जारी किया है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक द्वारा जाँच किये जाने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xix) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई सवाल हैं तो आप 'अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफ ए क्यू) या Help Section के अंतर्गत उपलब्ध 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cslindia.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

(बी) 48वीं वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पार्सल के माध्यम से भौतिक रूप में प्राप्त करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आई डी कंपनी / डिपाजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं) के संदर्भ में : वोट डालने के लिए क्र.सं. (i) से (xvii) तक सभी चरणों का पालन करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में स्पष्टीकरण कथन (विवरणिका)

मद सं. 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावाली, 2014 के अनुसार कंपनी के लिए लागू उत्पादों की रिकॉर्ड की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।

निदेशक मंडल ने दि. 14 अगस्त, 2018 को संपन्न अपनी 249वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन देते हुए लागू कर के साथ-साथ रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष के पारिश्रम की भी सिफारिश की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

निदेशक मंडल इस सूचना के साथ संलग्न संकल्प की मद संख्या 4 को कंपनी के सदस्यों के समक्ष साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं और न ही रुचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव

हैदराबाद
16 अगस्त, 2018

सामान्य बैठकों पर विनियम और साचिविक मानक-2 के विनियम 36 (3) के अनुसार वार्षिक आम सभा में पुन:नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम	श्री एस पिरमनायगम
डी आई एन	0711827
जन्मतिथि	दि. 05 जून, 1960
निदेशक मंडल में पहली नियुक्ति की तिथि	दि. 1 जनवरी, 2015
योग्यताएँ	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त श्री पिरमनायगम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के सहायक सदस्य हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	इन्हें वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, स्ट्रेटजिक योजना, आपदा प्रबंधन, विदेश मुद्रा प्रबंधन, बजटिंग और लागत नियंत्रण क्षेत्रों में 30 वर्ष से भी अधिक समय का अनुभव प्राप्त है।
नियुक्ति या पुन:नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 01 जुलाई, 2015 की पत्र सं. H-62011/4/2013-D (BDL) के अनुसार ये दि. 01 जनवरी, 2015 को निदेशक मंडल में नियुक्त किये गये थे। उपर्युक्त आदेश में मंत्रालय द्वारा इनके रोजगार संबंधी निबंधन एवं शर्तें दी गयीं।
पिछली बार लिये गये पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18)	रु. 46,61,224/-
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकता (विदेश कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ और धारा 8 की कंपनियाँ)	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	11
कंपनी में धारित कुल शेयर की संख्या	
(ए) स्वयं के	शून्य
(बी) लाभार्थी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नोट : श्री एस पिरमनायगम किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंध नहीं रखते हैं।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

बी डी एल प्रगति पथ MILESTONES

2018	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव तथा कंपनी का सूचीबद्ध Initial Public Offer and listing of the company
2017	एल आर सैम की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना को LRSAM handed over to Indian Navy
2016	शेयरों की वापस-खरीद पूर्ण Completed buy back of shares
2015	भारतीय थल-सेना को आकाश अस्त्र–प्रणाली की सुपुर्दगी Handed over Akash weapon systems to the Indian Army
2014	बी डी एल द्वारा भारत सरकार को अब तक का सर्वाधिक लाभांश प्रदत्त BDL pays its highest ever dividend to Govt of India
2013	विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन Third manufacturing unit of BDL inaugurated at Visakhapatnam
2011	राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में बी डी एल इकाई का शिलान्यास President of India, Smt. Pratibha Devi Singh Patil laid the foundation stone for BDL's unit at Amravati, Maharashtra
2010	बी डी एल की तीसरी इकाई का विशाखापट्टणम में शिलान्यास Foundation stone laid for third manufacturing unit of BDL Visakhapatnam
2008	लंबी दूरी के सैम तथा भारी टॉरपिडो के लिए उत्पादन एजेंसी बनना Production Agency for Long Range SAM & Heavy Weight Torpedo
2007	टैंकरोधी डिकॉय प्रणाली का उत्पादन Production of Anti Torpedo Decoy System
2004	सामरिक मिसाइल के नौसेना संस्करण का उत्पादन Production of Naval Version of Strategic Missile
2003	दूसरी पीढ़ी से आगे के ए टी जी एम का उत्पादन Production of 2nd Generation ATGM
2001	हल्के भार वाले टॉरपिडो का उत्पादन Light Weight Torpedo Production
2000	मिनीरत्न -1 कंपनी के रूप में श्रेणीकृत Categorized as Mini Ratna-1 Company
1994	सामरिक मिसाइल उत्पादन Strategic Missile Production
1992	अनुसूची-बी में उन्नयन Upgraded to Schedule B
1989	सामरिक ए टी जी एम का उत्पादन Production of Strategic ATGM
1986	अनुसूची 'सी' में उन्नयन Upgraded to Schedule C
1985	दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन Production of 2nd Generation ATGM
1983	आई जी एम डी पी के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी घोषित Prime Production Agency for IGMDP
1971	पहली पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन Production of 1st Generation ATGM
1970	रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित Established as PSU under Ministry of Defence

भारत डायनामिक्स लिमिटेड BHARAT DYNAMICS LIMITED

निगम पहचान संख्या CIN : L2429TG1970GOI00353

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38 & 39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स, के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.

Corporate Office : Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.

पंजीकृत कार्यालय Registered Office : कंचनबाग Kanchanbagh, हैदराबाद Hyderabad-50058.

दूरभाष Tel. No : 040-23456145, **फैक्स Fax No :** 040-23456110

ई-मेल Email : investors@bdl-india.com **वेबसाइट Website :** www.bdl-india.in

Advisory & Design: www.corpcommstudio.in